

# विदेश व्यापार नीति

**27 अगस्त, 2009 - 31 मार्च, 2014**

05.06.2012 से प्रभावी

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

Website:<http://dgft.gov.in>

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड(ii)  
में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग

अधिसूचना सं० 1 / (आर ई 2012)/2009-2014  
नई दिल्ली, 05 जून, 2012

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 1.2 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं० 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 05 जून, 2012 को अद्यतन और वार्षिक परिशिष्ट को शामिल करते हुए विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 को, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है। यह नीति 05 जून, 2012 से प्रभावी होगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: 5 जून, 2012 तक किए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए विदेश व्यापार नीति का संशोधित संस्करण लागू होगा।

ह०/-  
( अनुप के. पूजारी )  
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं  
अपर सचिव, भारत सरकार



सत्यमेव जयते

मंत्री  
वाणिज्य एवं उद्योग  
भारत  
MINISTER  
COMMERCE & INDUSTRY  
INDIA

### प्रस्तावना

विदेश व्यापार नीति भारत के निर्यात को उत्प्रेरित करने के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधान है । 2009-2014 की अवधि के लिए विदेश व्यापार नीति की घोषणा 27, अगस्त, 2009 को उस कठिन आर्थिक परिप्रेक्ष्य में की गई थी जब विश्व गंभीर मंदी के दौर से गुजर रहा था । निर्यात में आ रही कमी को रोकने तथा इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनायी गई थी । विगत तीन वर्षों में हमने एक स्थिर नीतिगत वातावरण कायम रखा है और अफ्रीका, लैटिन अमरीका तथा एशिया के उभरते बाजारों पर ध्यान केन्द्रित करके गैर-परम्परागत लक्ष्यों तक पहुँच बनाने में एक सुविचारित बाजार विविधता की योजना अपनायी है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि निर्यात स्वयंमेव एक अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि देश के लाखों लोगों को लाभप्रद रोज़गार प्रदान करने का एक साधन मात्र है । अतः रोज़गारोन्मुख क्षेत्रों पर हमने विशेष ध्यान दिया है । हम अभिज्ञात प्राथमिकता क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए फोकस बाजार स्कीम, फोकस उत्पाद स्कीम, बाजार सम्बद्ध फोकस उत्पाद स्कीम जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

हमने स्वदेशी मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने की आवश्यकता की भी पहचान की है तथा भारत से मूल्य संवर्धन निर्यातों के प्रोत्साहन तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम ने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है ।

हमने विश्व के साथ बाह्य आर्थिक सम्पर्क बनाने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और विगत तीन वर्षों में आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता, कोरिया गणराज्य, जापान, मलेशिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया है और इस समय हम न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा यूरोपीय संघ के साथ कुछ समझौतों पर वार्तालाप कर रहे हैं । हम आशा करते हैं कि इन समझौतों के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात नए क्षेत्रों के बाजारों में महत्वपूर्ण पहुँच बनाने में सफल होगा ।

यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि भारतीय निर्यातकों को अन्य देशों की तुलना में उच्च सौदा लागत के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है । सौदा लागत में कमी लाने हेतु गठित कार्यदल की सिफारिशों को लागू करने से उद्योग जगत को 3000 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा । प्रक्रियात्मक सरलीकरण तथा मानवीय हस्तक्षेप में कमी लाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं ।

हम इस तथ्य से संतुष्ट हो सकते हैं कि भारतीय निर्यात जोकि वर्ष 2009-10 के दौरान घट कर 178 बिलियन अमरीकी डालर रह गया था वह बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 303 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया है । हम वर्ष 2014 तक 500 बिलियन अमरीकी डालर तक निर्यात करने तथा वर्ष 2020 तक विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने के अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर हैं । साथ ही, हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत हैं कि उच्च अन्तर्राष्ट्रीय पण्य मूल्यों विशेष रूप से पेट्रोलियम मूल्यों में हो रही वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जीडीपी के प्रतिशत रूप में व्यापार घाटे में समय के साथ वृद्धि हुई है । हमें उम्मीद है कि इस वर्ष के वार्षिक परिशिष्ट में घोषित किए गए उपाय भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक रहेंगे ।

( आनन्द शर्मा )

## विषय - वस्तु

<u>अध्याय</u>	<u>शीर्षक</u>	<u>पृष्ठ</u>
	शब्दावली	
1क.	विधिक ढाँचा	1
1ख.	विशेष फोकस पहल	2
1ग.	व्यापार बोर्ड	11
2.	आयात एवं निर्यात से संबंधित सामान्य प्रावधान	12
3.	संवर्धनात्मक उपाय	28
4.	शुल्क मुक्त/वापसी स्कीम	46
5.	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम	64
6.	निर्यात अभिमुख यूनिटें, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क, सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क और बायोटेक्नोलोजी पार्क	74
7.	विशेष आर्थिक जोन	94
7क.	मुक्त व्यापार व गोदाम जोन	95
8.	मान्य निर्यात	96
9.	परिभाषाएं	103

## शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर )

संक्षिप्त अक्षर

पूर्णाक्षर

एए	अग्रिम प्राधिकार पत्र
एसीसी	सीमाशुल्क सहायक आयुक्त
एसीयू	एशियाई निकासी संघ
एईजैड	कृषि निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एआरओ	अग्रिम निकासी आदेश
एएसआईडीई	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार बोर्ड
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण
सीईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीआईएस	स्वतन्त्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल
सीओडी	सुपुर्दगी पर भुगतान
सीओओ	मूल का प्रमाणपत्र
सीवीडी	कार्गु टरवेलिंग शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीओबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीसी	विकास आयुक्त
डीईपीबी	शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र
डीएफआरसी	शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र
डीजीसीआईएण्डएस	महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओई	इलैक्ट्रानिक विभाग
डीओआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीओटी	पर्यटन विभाग
डीटीए	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र

ईडीआई	इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ों का परस्पर अंतरण
ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा
ईएफसी	एक्जिम सुविधा समिति
ईएफटी	इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईएच	निर्यात सदन
ईएचटीपी	इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईआईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद्
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातोन्मुख एकक
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफआईआरसी	फोरेन एक्सचेंज इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट
एफएमएस	फोकस मार्केट स्कीम
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफपीएस	फोकस उत्पाद स्कीम
एफटी (डी एंड आर) एक्ट	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 का 22)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
जीआरसी	शिकायत निवारण समिति
एचएसीसीपी	खतरा, विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी वी1	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)
एचबीपी वी2	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2)
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीएम	भारतीय वाणिज्यिक मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईटीसी (एचएस)	भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली) निर्यात और आयात मर्चों का वर्गीकरण
आईटीपीओ	भारत व्यापार संवर्धन संगठन
एलओसी	लाइन ऑफ क्रेडिट
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	विधिक वचनबद्धता
एमएआई	बाजार पहुँच पहल
एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश मंत्रालय

एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
पीआरसी	नीति छूट समिति
पीटीएच	प्रीमियर व्यापार सदन
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरएण्डडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरईपी	प्रतिपूर्ति
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरएससीक्यूसी	गुणवत्ता शिकायत संबंधी क्षेत्रीय उप समिति
एसबी	पोत लदान बिल
एसईएच	स्टार निर्यात सदन
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूट्स कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफआईएस	भारत से सेवित स्कीम
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईओएन	मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड
एसएसआई	लघु उद्योग
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार व्यापार सदन
एसटीपी	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
टीईई	निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर
टीएच	व्यापार सदन
टीआरए	टेलिग्राफिक रिलीज एडवाइस
टीआरक्यू	टैरिफ रेट कोटा
वीए	मूल्य संवर्धन
वीकेजीयूवाई	विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना
डब्ल्यू एचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन माल विनिर्माण प्रणाली



## अध्याय - 1 क विधिक ढाँचा

### 1.1 प्रस्तावना

प्रस्तावना में वृहत ढाँचे को इंगित किया गया है ।

### 1.2 अवधि

(क) यह विदेश व्यापार नीति 2009-2014, जिसमें माल और सेवाओं के निर्यात और आयात संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है, 27 अगस्त, 2009 से लागू तथा 31 मार्च, 2014 तक प्रभावी रहेगी, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए । 26 अगस्त, 2009 तक के सभी निर्यात तथा आयात विदेश व्यापार नीति 2004-2009 द्वारा तदनुसार शासित होंगे।

(ख) 5 जून, 2012 को अद्यतन वार्षिक परिशिष्ट को शामिल करते हुए विदेश व्यापार नीति, 2009-2014, 5 जून, 2012 को प्रभावी होगी जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए ।

### 1.3 संशोधन

केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में इस नीति में अधिसूचना द्वारा संशोधन का अधिकार रखती है ।

### 1.4 अन्तर्वर्ती व्यवस्था

इस नीति से पूर्व जारी किए गए प्राधिकार पत्र उस उद्देश्य और अवधि के लिए जिसके लिए ये प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं मान्य रहेंगे जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

### 1.5

(क) यदि इस विदेश व्यापार नीति के तहत मुक्त रूप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियमित किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे प्रतिबंध लगाने की तारीख से पूर्व अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख-पत्र के उपलब्ध बकाया और समय अवधि के संबंध में निर्यात या आयात का पोत लदान मूल वैधता अवधि के भीतर किया गया हो ।

(ख) तथापि, ऐसे अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख-पत्र के परिचालन के लिए आवेदक को किसी ऐसे प्रतिबन्ध या विनियमन जारी होने के 15 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास साख पत्र और संविदा का पंजीकरण कराना होगा।

## अध्याय - 1 ख

### विशेष फोकस पहलें

#### 1ख.1

#### विशेष फोकस पहलें

(क) विश्व व्यापार में हमारी प्रतिशत में हिस्सेदारी तथा रोजगार अवसरों को सतत रूप से बढ़ाने के दृष्टिकोण से, बाजार विविधता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्तरधारकों को सहायता, कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, चमड़ा, मैरीन, इलैक्ट्रानिक्स और आई टी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग, हरित उत्पाद, पूर्वोत्तर से उत्पादों के निर्यात, खेलकूद के सामान और खिलौना क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष फोकस पहलों की पहचान की गई है/जारी रखा गया है। भारत सरकार इन क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियाँ तैयार कर निर्यात को बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास करेगी जिसको समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) इसके अलावा, समय-समय पर अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय पहल की घोषणा की जाएगी।

#### (i) बाजार विविधता

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान परिसंपत्तियों की गिरती हुई कीमतों और बढ़ी हुई आर्थिक अनिश्चितता द्वारा प्रभावित होकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मांग की कमी से विकसित देशों में भारत के निर्यातों की वृद्धि को कम कर दिया है। विकसित देशों से मांग में आई कमी से भारतीय निर्यातों को उबारने के लिए, इस नीति में अन्य बाजारों में भारतीय निर्यातों के वैविध्यकरण पर फोकस है, विशेष रूप से जो लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओसनिया के क्षेत्रों में स्थित हैं। भारतीय निर्यातों के वैविध्यकरण को प्राप्त करने के लिए, इस नीति के तहत निम्नलिखित पहल की गई है;

(क) फोकस मार्केट स्कीम के परिक्षेत्र में 29 नए देशों को शामिल किया गया है।

(ख) फोकस मार्केट स्कीम के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन को 2.5% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है।

(ग) 'बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद स्कीम' के तहत और

ज्यादा बाजारों और उत्पादों को शामिल करके परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है। इससे अफ्रीका और लेटिन अमेरिका और चीन और जापान जैसे प्रमुख एशियाई बाजारों में सभी देशों को किए जाने वाले निर्यात में सहयोग सुनिश्चित होगा।

## (ii) प्रौद्योगिकीय उन्नयन

निर्यात वृद्धि के अगले चरण में जाने हेतु भारत को निर्यात वस्तुओं की मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने की जरूरत है। इस लक्ष्य को हमारे निर्यात क्षेत्र के प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा देकर प्राप्त किया जा सकता है। प्रौद्योगिकीय उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इस नीति में कई पहलें की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) शून्य शुल्क पर ई पी सी जी स्कीम, इंजीनियरिंग उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, मूल रसायनों और भेषजों, अपैरेल एवं कपड़ा, प्लास्टिक, हस्तशिल्प, रसायनों और सह उत्पादों और चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों जैसे कुछ उत्पादों के लिए शुरु की गई है। इस स्कीम का विस्तार किया जा रहा है ताकि इसमें और निर्यात उत्पाद समूहों को शामिल किया जा सके। जिसमें समुद्री उत्पाद, खेलकूद का सामान, खिलौने, रबड़ और रबड़ उत्पाद, अतिरिक्त रसायन/सम्बद्ध उत्पाद और अतिरिक्त इंजीनियरिंग उत्पाद शामिल हैं। स्कीम की अवधि भी 31.3.2013 तक बढ़ाई जा रही है।

(ख) मौजूदा 3% ई पी सी जी स्कीम का निर्यातों द्वारा इसका प्रयोग आसान बनाने के लिए इसे काफी सरल बनाया गया है।

(ग) प्रलेखन एवं कार्रवाई समय को कम करने के लिए वार्षिक आवश्यकता हेतु ई.पी.सी.जी. स्कीम की सुविधा शुरु की गई है।

(घ) मूल्य संवर्धित विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित निविष्टियों पर न्यूनतम 15% मूल्य संवर्धन निश्चित किया गया है।

(ड.) ऑटोमोबाइल्स और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों समेत बहुत से उत्पादों को फोकस उत्पाद और बाजार लिंकड फोकस उत्पाद स्कीमों के तहत प्रोत्साहन के लिए शामिल किया गया है।

(च) प्रोजेक्ट निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

### **(iii) स्तर धारकों के लिए सहायता**

सरकार ने भारत की वस्तुओं के निर्यातों में 'स्तर धारकों' के योगदान को लगभग 60% माना है । स्तरधारकों को प्रोत्साहन देने और प्रोत्साहित करने के लिए तथा निर्यात उत्पादन के प्रौद्योगिकी उन्नयन को भी प्रोत्साहित करने के लिए, पिछले निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर 1% की दर से अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप चमड़े तथा इंजीनियरिंग, वस्त्र, प्लास्टिक, हस्तकरघा और जूट के विशिष्ट उप क्षेत्रों सहित विनिर्दिष्ट उत्पाद समूहों के लिए प्रदान की जाएगी। यह ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप इन स्तर धारकों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के आयात/घरेलू अधिप्राप्तियों के लिए प्रयोग की जा सकती है। एसएचआईएस स्क्रिप वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के मद्दे होंगी । तथापि, विनिर्माण सुविधा वाले स्तर धारकों के बीच हस्तांतरणीयता की अनुमति दे दी गई है। स्तरधारक प्रोत्साहन स्क्रिप स्कीम का विस्तार कर, समुद्री उत्पाद, खेल-कूद का सामान, खिलौने, विनिर्दिष्ट रसायन तथा संबद्ध उत्पादों और अतिरिक्त इंजीनियरिंग उत्पादों सहित अन्य कई निर्यात उत्पाद समूहों को शामिल कर लिया गया है । यह स्कीम 31.3.2013 तक बढ़ाई भी जा रही है ।

### **(iv) कृषि और ग्राम उद्योग**

(क) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना ।

(ख) ई पी सी जी के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत माल ए ई जैड में किसी भी स्थान पर स्थापित करने की अनुमति होगी।

(ग) प्रतिबंधित मदों जैसे कि पैनल, के आयात की विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत अनुमति होगी ।

(घ) कृषि निर्यातों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत, कीटनाशकों जैसी निविष्टियों के आयात की अनुमति होगी ।

(ङ) 150 करोड़ रु० की न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात

विशिष्टता वाले नये शहरों को अधिसूचित किया जाएगा ।

(च) अन्य स्तरधारकों तथा फूड पार्कों में स्थित ईकाइयों को सीमित हस्तांतरणीयता के जरिए कृषि-इन्फ्रा स्ट्रिप के लिए अतिरिक्त नम्यता की अनुमति होगी ।

(छ) परिशिष्ट 37च में अधिसूचित “पार्क सदन” के लिए निर्यात हेतु अनुमत मदों की सूची ।

#### **(v) हथकरघा**

(क) फोकस उत्पाद स्कीम के तहत 2 प्रतिशत बोनस लाभ दिया जाएगा ।

(ख) हथकरघा निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु एम.ए.आई./एम डी ए स्कीम के तहत विशिष्ट निधि निर्धारित की गई है ।

(ग) विशिष्ट कतरनों और अलंकरणों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत होगी । हथकरघा मेडअप्स को भी हकदारी में शामिल किया गया है ।

(घ) हाथ से बुनी हुई चटाई के नमूनों पर शुल्क मुक्त आयात की हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

(ङ.) पुनः निर्यात के लिए हाथ से बुने हुए कालीनों के पुराने टुकड़ों का खेप आधार पर शुल्क मुक्त आयात मरम्मत के बाद अनुमत होगा।

(च) 150 करोड़ रु० की न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात विशिष्टता वाले नये शहरों को अधिसूचित किया जाएगा ।

(छ) एफुलएन्ट शोधन संयंत्रों हेतु मशीनरी और उपकरण को सीमाशुल्क से छूट दी गई है ।

#### **(vi) हस्तशिल्प**

(क) यंत्रों, कटाई और छंटाई की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त

निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत होगी। हकदारी व्यापक है, और जिसकी सुविधा सहायक विनिर्माताओं के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातकों को भी दी जायेगी ।

(ख) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद उन निर्यातकों की तरफ से जिनके लिए सीधे आयात करना व्यावहारिक नहीं है, वे कतरनों, अलंकरणों और उपभोज्यों का आयात करने के लिए अधिकृत हैं ।

(ग) हस्तशिल्प निर्यातों के प्रोत्साहन हेतु एमएआई और एमडीए स्कीमों के अधीन विशिष्ट निधियाँ निर्धारित की जाएंगी ।

(घ) कतरनों, अलंकरणों और उपभोज्यों के शुल्क मुक्त आयात पर सी वी डी में छूट प्राप्त होगी ।

(ङ) 150 करोड़ रु० की न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात विशिष्टता वाले नये शहरों को अधिसूचित किया जाएगा ।

(च) एफुलएन्ट शोधन संयंत्रों हेतु मशीनरी और उपकरण सीमाशुल्क से छूट प्राप्त होंगे ।

(छ) सभी हस्तशिल्प निर्यातों को विशेष फोकस उत्पादों के रूप में माना जाएगा और उच्चतर प्रोत्साहन के हकदार होंगे ।

(ज) उपरोक्त के अतिरिक्त, हस्तशिल्प निर्यातों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम के तहत 2 प्रतिशत बोनस लाभ दिया जाएगा ।

#### **(vii) रत्न और आभूषण:**

(क) 8 कैरेट और अधिक के स्वर्ण का आयात प्रतिपूर्ति स्कीम के अधीन अनुमेय होगा बशर्ते कि आयात के साथ शुद्धता, भार और धातु की मात्रा दर्शाता हो और इसके साथ एक ऐसे प्रमाण पत्र संलग्न हो ।

(ख) उपभोज्यों उपकरणों और अतिरिक्त मदों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर आधारित) निम्नलिखित के लिए होगी:-

(i) निम्नलिखित से बने हुए आभूषण:

क) कीमती धातुएं (सोने और प्लेटिनम के अलावा)- 2%

ख) सोना और प्लेटिनम -- 1%

ग) रोडियम फिनिशड चांदी -- 3%

(ii) कटे और पॉलिशड हीरे - 1%

(ग) व्यापारिक नमूनों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी 300,000 रुपये होगी।

(घ) अस्वीकृत आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुनः आयात हकदारी निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 2 प्रतिशत होगी।

(ङ.) भारत में जेमोलाजिकल इन्स्टीच्यूट ऑफ अमरीका (जी आई ए) और अन्य अनुमोदित एजेंसियों के प्राधिकृत कार्यालयों/ एजेंसियों द्वारा प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनर्निर्यात के लिए खेप आधार पर हीरों के आयात की अनुमति होगी ।

(च) विदेशों में प्रदर्शनियों के लिए धारिता/भाग लेने के मामले में रत्न एवं आभूषणों के वैयक्तिक असबाब को बढ़ाकर 5 मिलियन यू एस डालर कर दिया गया है और निर्यात संवर्धन भ्रमण के मामले में 1 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है ।

(छ) अमेरिका में प्रदर्शनी के लिए भाग लेने के मामले में अनबिके मदों के पुनः आयात के लिए दिनों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया है ।

(ज) भारत को एक अन्तर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार केन्द्र बनाने के लिए, “हीरा बोर्स (बोर्सज)” स्थापित करने की योजना है।

### **(viii) चमड़ा और जूते**

(क) फोकस उत्पाद स्कीम के तहत अतिरिक्त 2 प्रतिशत बोनस लाभ दिया जाएगा।

(ख) फोकस उत्पाद स्कीम के तहत तैयार चमड़े के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) विनिर्दिष्ट मदों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी गत वित्तीय वर्ष के दौरान चमड़े के सिले-सिलाए वस्त्र के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत होगी।

(घ) जूतों (चमड़ा और सिंथेटिक दोनों), दस्ताने, यात्रा बैग और हैंड बैग के लिए कतरनों, अलंकरणों और जूते उपांगों के आयात के लिए शुल्क मुक्त हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 3 प्रतिशत होगी। ऐसी हकदारी पैकिंग सामग्री, जैसे छपे हुए और बिना छपे हुए जूतों के डिब्बे, लकड़ी के छोटे कार्टन, जूतों की पैकिंग के लिए टिन या प्लास्टिक सामग्री पर भी लागू होगी।

(ङ.) जलशोधन संयंत्रों हेतु मशीनरी और उपकरण को मूल सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

(च) अनुपयुक्त आयातित सामग्री जैसे की खालें एवं चमड़ा और नम नीला चमड़ा का पुनर्निर्यात अनुमत है।

(छ.) अस्तर और अन्तः अस्तर सामग्री सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 01-03-2002 की क्रम सं. 168 के अंतर्गत सी वी डी से छूट प्राप्त है।

(ज) आई टी सी (एचएस) के अध्याय 43 के अधीन आने वाले कच्चा, टैन किए गए और ड्रेस लोम खालों पर सीवीडी से छूट प्राप्त होगी।

(झ) बेची न गयी खालों, चर्मों और अर्द्ध तैयार चमड़े के पुनर्निर्यात की अनुमति, बिना निर्यात शुल्क के भुगतान के, सार्वजनिक बान्डेड गोदामों से दी जाएगी।

### **(ix) समुद्री क्षेत्र**

(क) मत्स्य क्षेत्र (फिशिंग ट्रालर्स, जहाजों, नौकाओं और अन्य ऐसी ही मदों के अलावा) में ई पी सी जी के तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आयात को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट होगी।

(ख) विनिर्दिष्ट खास निविष्टियों/रसायनों और सुगंधित तेलों आदि का शुल्क मुक्त आयात पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के



पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर अनुमत होगा।

(ग) टूना फिशिंग के लिए मोनोफिलामेंट लॉग लाइन तंत्र के आयात को शुल्क की रियायती दरों पर और टूना फिशिंग हेतु बेट फिश के आयात को शून्य शुल्क पर अनुमत होगी।

(घ) विनिर्दिष्ट अपशिष्ट मानदण्डों की शर्तों के साथ समुद्री खाद्य अपशिष्ट की निकासी हेतु स्व-निराकरण प्रक्रिया लागू करना।

(ड.) शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम और एसएचआईएस स्कीम के तहत लाभों के लिए समुद्री क्षेत्र को शामिल किया गया है।

#### **(x) इलेक्ट्रॉनिक और आई टी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग**

(क) फोकस उत्पाद स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) डी जी एफ टी से अनुमोदनों की त्वरित निकासी को सुनिश्चित किया जाएगा।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग निर्यातों को प्रोत्साहन देने हेतु एम ए आई और एम डी ए स्कीमों के उपयोग हेतु निर्यातक/एसोसिएशनें पात्र होंगी।

(घ) एस एच आई एस स्कीम के तहत लाभों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को शामिल किया गया है।

#### **(xi) खेलकूद का सामान और खेलौने**

(क) विनिर्दिष्ट विशेष निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 3% तक दी जाएगी।

(ख) एम डी ए/एम ए आई स्कीम के तहत खेलकूद के सामान और खेलौनों को प्राथमिकता क्षेत्र माना जाएगा। इस क्षेत्र से निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु एम ए आई/एम डी ए स्कीम के तहत विशिष्ट निधियाँ निर्धारित की जाएंगी।

(ग) खेल कूद के सामान और खेलौनों से संबंधित आवेदनों को

डी जी एफ टी द्वारा त्वरित निकासी हेतु ध्यान में रखा जाएगा ।

(घ) खेल कूद के सामान और खिलौनों को विशेष फोकस उत्पाद माना जाएगा और ये उच्चतर प्रोत्साहन के हकदार होंगे ।

(ङ.) उपरोक्त के अतिरिक्त, फोकस उत्पाद स्कीम के तहत खेल-कूद के सामान तथा खिलौने के लिए 2 प्रतिशत बोनस लाभ दिया जाएगा।

(च) शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम और एसएचआईएस स्कीम के तहत लाभों के लिए खेल कूद के सामान तथा खिलौनों को शामिल किया गया है।

### **(xii) हरित उत्पाद और प्रौद्योगिकियाँ**

भारत का लक्ष्य हरित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के उत्पादन और निर्यात हेतु केन्द्र बनने का है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निर्यात हेतु ऐसे उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। प्रारंभ में, परिवहन, सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन और अन्य उत्पादों जैसा कि अधिसूचित किया जाए जिसे विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 की रिवार्ड स्कीम के अधीन प्रोत्साहन दिया जाएगा, से संबंधित मदों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

### **(xiii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निर्यात पर प्रोत्साहन**

उत्तर-पूर्वी राज्यों से उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के अधिसूचित उत्पादों पर विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 की रिवार्ड स्कीम के अधीन प्रोत्साहन दिया जाएगा।

## अध्याय - 1 ग

### व्यापार बोर्ड

#### 1.ग.1 व्यापार बोर्ड (बीओटी)

विदेश व्यापार से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए व्यापार बोर्ड की स्पष्ट और सक्रिय भूमिका है ।

#### 1.ग.2 विचारणीय विषय

व्यापार बोर्ड के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :-

- I) बदलते हुए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्यों में निर्यात को बढ़ाने के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनाएं बनाने तथा इन्हें क्रियान्वित करने में सरकार को सलाह देना;
- II) विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना, बाधाओं का पता लगाना तथा निर्यात अर्जन को अधिकतम करने के लिए उद्योग विशिष्ट उपाय सुझाना ;
- III) आयात और निर्यात के मौजूदा संस्थागत ढांचे की जाँच करना तथा वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सरल और कारगर व्यावहारिक उपाय सुझाना ;
- IV) आयात और निर्यात के नीति दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा अधिकतम उपयोग हेतु ऐसी स्कीमों को तर्कसंगत और व्यावहारिक बनाने हेतु उपाय सुझाना;
- V) भारत के विदेश व्यापार के संवर्धन से संबंधित मामलों की जाँच करना तथा भारत के माल व सेवाओं की अन्तर्राष्ट्रीय प्रति-स्पर्धात्मकता को मजबूत बनाना; और
- VI) उपर्युक्त लक्ष्यों को प्रवर्धन देने के लिए अध्ययन करवाना ।

#### 1.ग.3 संयोजन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री व्यापार बोर्ड (बीओटी) के अध्यक्ष होंगे। सरकार 25 व्यक्तियों को भी नामित करेगी, जिनमें 10 व्यक्ति व्यापार नीति में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे । इसके अलावा, मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषदों के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ कामर्स के अध्यक्ष अथवा महासचिव पदेन सदस्य होंगे । व्यापार बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी ।

## अध्याय - 2

### आयात एवं निर्यात से संबंधित सामान्य प्रावधान

#### 2.1

**आयात और निर्यात  
मुक्त जब तक कि  
अन्यथा विनियमित न  
हो**

(क) निर्यात और आयात, उन मामलों को छोड़कर जहाँ वे विनियमित होते हैं 'मुक्त' होंगे। ऐसा विनियमन विदेश व्यापार नीति और/अथवा आईटीसी (एचएस) के अनुसार होगा।

(ख) आईटीसी (एचएस) में निर्यात और आयात की मदवार नीतिगत व्यवस्थाएँ हैं। आईटीसी (एचएस) विश्व सीमाशुल्क संगठन (<http://www.wcoomd.org>) द्वारा तैयार अन्तर्राष्ट्रीय सुसंगत प्रणाली माल नाम-पद्धति में सम्मिलित है।

(ग) आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-1 में आयात नीति व्यवस्था दी गई है और आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-2 में निर्यात नीति व्यवस्था दी गई है।

(घ) उन मामलों को छोड़कर जहाँ आईटीसी की अनुसूची-1 में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है, आयात नीति नए माल के लिए है, पुराने माल के लिए नहीं। पुराने माल के लिए आयात नीति व्यवस्था इस विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.17 में दी गई है।

#### 2.1.1

**इराक से/को 'हथियारों  
और संबंधित सामान'  
के आयात और निर्यात  
पर निषेध**

'हथियारों और संबंधित सामान' के लिए नीति जो कि आईटीसी (एचएस) के अध्याय 93 में दी गई है, के बावजूद इराक से/ को हथियारों और संबंधित सामान का आयात/निर्यात 'निषिद्ध' होगा।

#### 2.1.2

**कोरिया जनतांत्रिक  
गणराज्य से/को प्रत्यक्ष  
अथवा अप्रत्यक्ष आयात  
और निर्यात पर निषेध**

कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य (डी पी आर के) से/को, निम्नलिखित मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात चाहे कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य में उत्पादित हो या न हो, निषिद्ध है:

दस्तावेजों एस/2006/814, एस/2006/815 (एस/2009/205 सहित), एस/2009/364 और एस/2006/853 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दस्तावेज) आई एन एफ सी आई आर सी/254/आर ई वी-9/भाग 1क और आई एन एफ सी आई आर सी/254/आर ई वी-7/भाग 2क (आई ए ई ए दस्तावेज) में सूचीबद्ध मदों सहित सभी मदें, सामग्री उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी, जो डी पी आर के को आणविक संबंधी, बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी अथवा अन्य व्यापक जनसंहार के हथियारों संबंधी कार्यक्रमों में योगदान दे सकता है ।

### 2.1.3

**ईरान से/को प्रत्यक्ष  
अथवा अप्रत्यक्ष आयात  
और निर्यात पर निषेध**

सभी मदों, सामग्रियों, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात, जो ईरान के संवर्धन-संबंधी, पुनः संसाधन अथवा हैवी वाटर संबंधी कार्यकलापों में अथवा निम्नलिखित न्यूक्लीयर वैपन डिलिवरी सिस्टम्स के विकास में योगदान दे सकता है, चाहे उसका उद्गम देश ईरान हो या न हो, ईरान से/को, 'निषिद्ध' होगा :-

(i) आई एन एफ सी आई आर सी/254/आर ई वी 9/भाग-1 में और आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी.7/भाग-2 (आईईईए दस्तावेज) में सूचीबद्ध मदें

(ख) एस/2006/263(संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद)में सूचीबद्ध मदें।

उपर्युक्त संदर्भित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी संकल्प/दस्तावेज और आई ए ई ए दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट ([www.un.org/Docs/sc](http://www.un.org/Docs/sc)) और आई ए ई ए की वेबसाइट ([www.iaea.org](http://www.iaea.org)) पर उपलब्ध है।

### 2.1.4

**सोमालिया से चारकोल  
के आयात पर रोक**

सोमालिया से चारकोल के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात निषिद्ध है, चाहे ऐसे चारकोल की उत्पत्ति सोमालिया [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2036 (012)] में हुई हो या नहीं हुई हो । चारकोल के आयातक सीमा-शुल्क कार्यालय को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि खेप की उत्पत्ति सोमालिया में नहीं हुई है ।

### 2.2

**स्वदेशी कानूनों के  
साथ आयातों का**

विश्व व्यापार संगठन (<http://www.wto.org>) के राष्ट्रीय प्रति-पादन परंतुक के अनुरूप स्वदेशी उत्पादित माल पर लागू स्वदेशी कानून/नियम/आदेश/विनियम/तकनीकी विनिर्देशन/पर्यावरण/सुरक्षा

## अनुपालन

और स्वास्थ्य मानदण्ड यथा आवश्यक परिवर्तन सहित आयात पर लागू होंगे, यदि उन्हें विशिष्ट रूप से छूट नहीं दी गई हो।

### 2.3

#### नीति की व्याख्या

(क) नीति अथवा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2 के प्रावधान अथवा आईटीसी(एचएस) में आयात/निर्यात नीति का किसी मद के वर्गीकरण की व्याख्या से संबंधित सभी मामलों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय को सहायता और सलाह देने के लिए एक नीति व्याख्या समिति (पी आई सी) का गठन किया जा सकता है।

### 2.4

#### प्रक्रिया

महानिदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने नियमों और आदेशों तथा इस विदेश व्यापार नीति को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं अथवा संशोधन, यदि कोई हो, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित होगी।

### 2.5

#### नीति/प्रक्रिया से छूट

व्यापार में आने वाली वास्तविक दिक्कतों और प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर महानिदेशक ऐसा आदेश या ऐसी छूट या राहत जैसा भी उचित या समुचित हो, दे सकते हैं। महानिदेशक, विदेश व्यापार लोकहित में, किसी भी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी को इस विदेश व्यापार नीति के किसी प्रावधान से या किसी प्रक्रिया से छूट दे सकते हैं और ऐसी छूट देते समय वह ऐसी शर्तें लगा सकते हैं जैसा कि वह उचित समझें। इस अनुरोध पर केवल निम्नलिखित समितियों की सलाह के बाद ही विचार किया जाएगा :-

क्रमांक	विवरण	समिति
(i)	सभी स्कीमों के तहत उत्पाद मानदण्डों का निर्धारण/संशोधन	मानदण्ड समिति
(ii)	ई पी सी जी स्कीमों के तहत पूंजीगत माल (सी जी) और लाभों के साथ अन्तः संबंध	ई पी सी जी समिति
(iii)	अन्य सभी मुद्दे	नीति छूट समिति (पीआरसी)

**2.6**  
**प्रतिबंध के सिद्धान्त**

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु कोई भी आवश्यक उपाय अपनाया और लागू किया जा सकता है :-

- (क) सार्वजनिक आचरण का संरक्षण ।
- (ख) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण।
- (ग) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कापीराइट का संरक्षण और भ्रामक कृत्यों की रोकथाम ।
- (घ) कैदी श्रमिकों के प्रयोग की रोकथाम ।
- (ङ.) कलात्मक, ऐतिहासिक अथवा पुरातत्व संबंधी मूल्य की राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण।
- (च) क्षयशील प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण ।
- (छ) विखंडनीय सामग्री अथवा जिससे वह प्राप्त की गई है, के व्यापार का संरक्षण; और
- (ज) हथियारों, गोला-बारुद और युद्ध के साजो-सामान के व्यापार की रोकथाम ।

**2.7**  
**प्रतिबंधित माल/सेवाओं का निर्यात/आयात**

कोई भी माल/सेवा जिसका निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित है, उसका इस संबंध में जारी किए गए प्राधिकार पत्र/अनुमति/लाइसेंस या अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा ।

**2.8**  
**प्राधिकार पत्र की शर्तें**

प्रत्येक प्राधिकार पत्र में ऐसी शर्तें होंगी जो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकती हैं :-

- (क) माल की मात्रा, विवरण एवं मूल्य;
- (ख) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त;
- (ग) निर्यात दायित्व;
- (घ) प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम मूल्य संवर्धन; और
- (ङ.) न्यूनतम निर्यात/आयात मूल्य
- (च) प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 में यथा विनिर्दिष्ट वैधता की अवधि

**2.9**  
**प्राधिकार पत्र की प्राप्ति अधिकार नहीं है**

कोई भी व्यक्ति अधिकार से प्राधिकार पत्र का दावा नहीं कर सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या क्षेत्रीय प्राधिकारी को विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियमों और विदेश व्यापार नीति के अनुसार

प्राधिकार पत्र देने/नवीकरण करने से इंकार करने का अधिकार होगा ।

#### **2.10** **जुर्माना**

यदि प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसके विरुद्ध इस विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति तथा उस समय लागू किसी अन्य नियम के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

#### **2.11** **राज्य व्यापार**

कोई माल, जिसके आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम (उद्यमों) द्वारा आई टी सी(एच एस) में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है । तथापि विदेश व्यापार महानिदेशक, इनमें से किसी माल के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकार पत्र प्रदान कर सकता है । ऐसा राज्य व्यापार उद्यम केवल वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कीमत, गुणवत्ता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय- विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी कोई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है जिसमें आयात और निर्यात शामिल हैं, ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद और विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे ।

#### **2.12** **आयातक-निर्यातक** **कोड संख्या**

(क) जब तक विशेष छूट नहीं दी जाती, किसी भी व्यक्ति द्वारा आयातक-निर्यातक कोड नम्बर (आई ई सी) के बिना किसी माल का निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा। आयातक-निर्यातक कोड नम्बर, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के आधार पर मंजूर किया जायेगा ।

(ख) छूट प्राप्त श्रेणियाँ और स्थायी आई ई सी संख्या प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैरा 2.8 में दी गई है ।

#### **2.13** **पड़ोसी देशों के साथ**

महानिदेशक विदेश व्यापार आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा ऐसी स्कीम बना सकते हैं जो पड़ोसी



## व्यापार

देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों।

### 2.14

#### माल लाने-ले-जाने की सुविधा

भारत से अथवा भारत के पड़ोसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच हुई द्विपक्षीय संधियों के अनुसार विनियमित होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन होगी।

### 2.15

#### ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार

ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीमें बना सकते हैं जो अपेक्षित हों तथा विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधान, जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरूप नहीं है, लागू नहीं होगा।

### 2.16

#### वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

जिनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है, उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तथापि, यदि इनके आयात के लिए प्राधिकार पत्र की जरूरत हों, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है जब तक कि महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त विशेष रूप से हटा न दी गई हो।

### 2.17

#### पुरानी वस्तुएं

पुराने माल के लिए आयात नीति व्यवस्था निम्नानुसार दी गई है:

	आयात नीति	शर्तें, यदि कोई हो
1. पुराने पूंजीगत माल समूह		
(क) प्रतिबंधित श्रेणी:		
(i) पुराने निजी कम्प्यूटर्स/लैपटॉप्स	प्रतिबंधित	विनिर्दिष्ट पुरानी मद के आयात के लिए जारी केवल विदेश व्यापार नीति, आई टी सी(एच एस) प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, सार्वजनिक सूचना अथवा प्राधिकार पत्र के प्रावधानों के अनुसार आयात की अनुमति ।
(ii) पुरानी फोटोकॉपियर मशीनें/डिजीटल बहुकार्य प्रिन्ट और कापीईंग मशीनें		
(iii) पुराने एयर कंडीशनर्स		
(iv) पुराने डीजल जेनरेटिंग सेट		
(ख) मुक्त श्रेणी:		

	आयात नीति	शर्तें, यदि कोई हो
(i) पूंजीगत माल के रिफर्बिशड/रिकन्डीशन्ड पूजें	मुक्त	प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैरा 2.33 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन ।
(ii) अन्य सभी पुराने पूंजीगत माल	मुक्त	
II. अन्य सभी पुराने माल	प्रतिबंधित	

### 2.17क

#### विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्क्रेप/अपशिष्ट हटाना

विशेष आर्थिक क्षेत्र के यूनिट/विकास कर्ता/सह विकास कर्ता के विनिर्माणकारी या प्रोसेसिंग कार्य कलापों के दौरान किसी भी रूप में उत्पन्न हुए धात्विक अपशिष्ट और स्क्रेप सहित अपशिष्ट अथवा स्क्रेप को डी टी ए में किसी प्राधिकार पत्र के बिना, देय सीमाशुल्क का भुगतान करने पर बेचने की अनुमति होगी, बशर्ते कि ये मुक्त रूप से आयात योग्य हों ।

### 2.18

#### नमूनों का आयात

नमूनों का आयात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अध्याय-2 द्वारा शासित होगा।

### 2.19

#### उपहारों का आयात

आईटीसी(एच एस) के अधीन जहां ऐसा माल अन्यथा मुक्त रूप से आयात किया जा सकता हो, उपहारों के आयात मुक्त होगा। अन्य मामलों में महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा जारी किसी प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातों की अनुमति होगी ।

### 2.20

#### यात्री असबाब

(क) वास्तविक घरेलू वस्तुओं और निजी प्रयोग की वस्तुओं को यात्री के निजी सामान की सीमा के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित असबाब नियमों की शर्तों के अनुसार आयात किया जा सकता है ।

(ख) ऐसी मदों के नमूने जो अन्यथा विदेश व्यापार नीति के अधीन मुक्त रूप से आयात योग्य हैं, का भी प्राधिकार पत्र के बिना यात्री असबाब के रूप में आयात किया जा सकता है ।

(ग) विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, प्राधिकार पत्र के बिना, अपने यात्री असबाब के रूप में, निर्यात के लिए आवश्यक ड्राइंग, पैटर्न्स, लैबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्ट्स, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंट्स का आयात करने की अनुमति है।

### 2.21

#### निर्यात के आधार पर आयात

मुक्त रूप से निर्यात योग्य नये अथवा पुराने पूंजीगत माल, उपस्कर, संघटक, हिस्से एवं उपकरणों, कंटेनर जो निर्यात हेतु माल के पैकिंग के लिए हों तथा जिग्स, फिक्सचर्स, डाईज और

माउल्ड्स का सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी के निष्पादन पर किसी प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है ।

**2.22**

**विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात**

आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, पुर्जे और अनुषंगी, चाहे आयातित हो या स्वदेशी, उनकी मरम्मत, परीक्षण, टेक्नोलौजी में गुणवत्ता सुधार अथवा उन्नयन अथवा मानकीकरण के लिए किसी प्राधिकार पत्र के बिना विदेश भेजा जा सकता है और उनका पुनः आयात किया जा सकता है ।

**2.23**

**विदेश में स्थित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात**

विदेश में परियोजनाएँ पूरी हो जाने के बाद, परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया गया हो ।

**2.24**

**खुले समुद्र में बिक्री**

भारत में आयात हेतु खुले समुद्र में वस्तुओं की बिक्री विदेश व्यापार नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है ।

**2.25**

**पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन आयात**

पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं है ।

**2.26**

**सीमाशुल्क विभाग से माल की निकासी**

जो माल पहले ही आयातित/जहाज द्वारा भेजा गया/पहुंच गया हो, लेकिन सीमाशुल्क विभाग से जिसकी निकासी न हुई हो, उस माल की बाद में जारी प्राधिकार पत्र के मद्दे, निकासी की जा सकती है ।

**2.27**

**बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन**

(क) जहाँ कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहाँ कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहाँ आयातक को वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास निर्धारित तरीके से विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी/बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

(ख) स्वदेशी प्राप्ति के मामले में, प्राधिकार-पत्र धारक को प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के अध्याय-2 में यथानिर्दिष्ट स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/ नामजद अधिकरण से माल प्राप्त करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता/बंधपत्र को प्रस्तुत करना होगा।

## **2.28**

### **आयात के लिए निजी/ सार्वजनिक बांडेड गोदाम**

(क) राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मदों, हथियारों और गोला-बारुद, खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे बांडेड गोदामों में रख सकता है।

(ख) विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरूरी हो, प्राधिकार-पत्र के मद्दे, घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी की जा सकती है। ऐसे माल पर ऐसी वस्तुओं की, निकासी के समय यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान करना होगा।

(ग) एक वर्ष की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में, जिसकी अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, यदि घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी नहीं की जाती, तो ऐसी वस्तुओं का आयातक इन वस्तुओं का पुनः निर्यात कर सकता है।

## **2.29**

### **मुक्त निर्यात**

जब तक ये निर्यात आई.टी.सी(एच एस) या विदेश व्यापार नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी वस्तुओं का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। तथापि, महानिदेशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आई टी सी (एच एस) में शामिल न की गई किसी वस्तुओं का प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है।

## **2.30**

### **नमूनों का निर्यात**

नमूनों और निःशुल्क वस्तुओं का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अध्याय-2 में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

## **2.31**

### **यात्री असबाब का निर्यात**

(क) वास्तविक निजी समान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर निर्यात किया जा सकता है। तथापि, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित मदों के लिए प्राधिकार पत्र लेना जरूरी होगा। तथापि, सरकारी तैनाती पर विदेश जाने वाले भारत सरकार के अधिकारियों को अपने नितान्त व्यक्तिगत उपभोग के लिए अपना व्यक्तिगत असबाब, खाद्य सामग्री(मुक्त, प्रतिबंधित या निषिद्ध) अपने साथ ले जाने

की अनुमति होगी।

(ख) उन मदों के नमूने जो विदेश व्यापार नीति के तहत अन्यथा निर्यात योग्य हैं, बिना प्राधिकार पत्र के यात्री असबाब के रूप में भी निर्यात किए जा सकते हैं।

**2.32**  
**उपहारों का निर्यात**

किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में, खाद्य मदों सहित, 5,00,000/- रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरूप किया जा सकेगा। तथापि, निर्यात की आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित सूची की मदों को उपहार के तौर पर बिना प्राधिकार-पत्र के निर्यात नहीं किया जा सकता।

**2.33**  
**अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात**

प्लान्ट इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स के वारण्टी स्पेयर्स (देशी अथवा आयातित) या कोई अन्य माल, (आईटीसी (एचएस) के तहत प्रतिबंधित मदों को छोड़कर) का मुख्य इक्विपमेंट के साथ अथवा बाद में निर्यात किया जा सकता है किन्तु यह ऐसे माल की वारंटी अवधि के भीतर ही हो बशर्ते कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो।

**2.34**  
**तीसरा पक्ष निर्यात**

अध्याय 9 में यथापरिभाषित तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात की विदेश व्यापार नीति के तहत अनुमति होगी।

**2.35**  
**आयातित वस्तुओं का निर्यात**

(क) विदेश व्यापार नीति के अनुसार आयातित माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के उसी रूप में या अंशतः उसी रूप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि आयात या निर्यात की जाने वाली मद आई टी सी (एच एस) में आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित न हो।

(ख) मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के मद्दे आयातित ऐसे माल के निर्यात की अनुमति मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के मद्दे दी जाएगी।

**2.36**  
**बॉण्ड प्रक्रिया के तहत आयातित वस्तुओं का निर्यात**

आयात की 'प्रतिबंधित' मदों के तौर पर उल्लिखित मदों (निषिद्ध मदों को छोड़कर) सहित मदों का आयात सीमाशुल्क बॉण्ड के तहत मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राधिकार-पत्र के बिना किया जा सकता है बशर्ते कि मद बिना किसी शर्त/प्राधिकार पत्र की आवश्यकता/लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता के मुक्त रूप से निर्यात जैसा कि आई टी सी (एच एस) की निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

**2.36क**

डी टी ए बिक्री के प्रयोजन हेतु पब्लिक बांडेड वेयर हाउस में

खालों, चमड़ों और अर्ध निर्मित चमड़े का आयात किया जा सकता है तथा उनकी अनबिकी मदों को 50% लागू निर्यात शुल्क पर ऐसे बाण्डेड वेयर हाउसेस को पुनः निर्यात किया जा सकता है । तथापि, यह सुविधा निजी बाण्डेड वेयर हाउस के तहत आयात हेतु अनुमत नहीं होगी ।

**2.37**  
**प्रतिस्थापन माल का निर्यात**

निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये गए तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्रतिस्थापन माल आई टी सी (एच एस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित न हो ।

**2.38**  
**मरम्मत किए गए माल का निर्यात**

निर्यात करते समय आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर, कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे या अन्यथा उपयोग के लिए अयोग्य पाये गये तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है । ऐसे सामान की प्राधिकार-पत्र के बिना और सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी।

**2.39**  
**निर्यात के लिए निजी बाण्डेड गोदाम**

(क) राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डी टी ए में निजी बाण्डेड गोदाम की स्थापना की जा सकती हैं ।

(ख) ऐसे गोदाम सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना स्वदेशी विनिर्माताओं से माल खरीदने के हकदार होंगे। ऐसे अधिसूचित गोदामों को स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियों को वास्तविक निर्यात माना जाएगा बशर्ते कि भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

**2.40**  
**निर्यात संविदाओं का कोटिकरण**

(क) सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रुपये के मूल्य वर्ग में रखा जाएगा किन्तु निर्यात प्राप्तियां मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी ।

(ख) तथापि, विशेष निर्यातों के मद्दे निर्यात प्राप्तियाँ रुपयों में भी वसूल की जा सकती है, बशर्ते कि यह ए सी यू के सदस्य देश या नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित

अप्रवासी बैंक के मुक्त रूप से परिवर्तनीय वोस्ट्रो खाते के जरिए हों। इसके अतिरिक्त वोस्ट्रो खाते के जरिए रुपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाते में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के मद्दे हो। इस सौदे के कारण खरीददार को अपने अप्रवासी बैंक को (बैंक सेवा प्रभार को घटाने के बाद) मुक्त विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान को विदेश व्यापार नीति के निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात वसूली के रूप में गिना जाएगा।

(ग) संविदाओं (जिन के लिए भुगतान एशियन क्लीयरिंग यूनियन (ए सी यू) के जरिए प्राप्त किए जाएंगे) उन्हें ए सी यू डालर के मूल्य वर्ग में रखा जाएगा। केन्द्र सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक्जिम बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के मद्दे निर्यात ठेकों और बीजकों का भारतीय रुपयों में नामकरण किया जा सकता है।

**2.40क**  
**इरान को निर्यात**  
**भारतीय रुपये में**  
**वसूली**

इरान को किए गए विशेष निर्यातों से भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय पर विदेश व्यापार नीति 2009-14 के तहत निर्यात लाभ प्रोत्साहन उपलब्ध होगा जो मुक्त परिवर्तन विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय के समतुल्य होगी।

**2.41**  
**निर्यात प्राप्तियों की**  
**वसूली**

यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

**2.42**  
**निर्यातित वस्तुओं की**  
**मुक्त आवाजाही**

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी अभिकरण द्वारा निर्यात हेतु निर्दिष्ट मदों की खेप को किसी भी कारण से रोका/बिलम्बित नहीं किया जाएगा। किसी भी संदेह की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी, निर्यातक से वचनबद्धता की मांग कर सकता है।

**2.42.1**  
**स्टॉक को जब्त न**

किसी भी अभिकरण द्वारा स्टॉक को जब्त नहीं किया जायेगा ताकि विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों और निर्यात वस्तुओं की

**करना**

सुपुर्दगी की तारीख में बाधा न पड़े। कुछ खास मामलों में, संबंधित अधिकरण प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर स्टॉक को जब्त कर सकता है। तथापि, इस प्रकार जब्त किए गए माल को 7 दिन के भीतर छोड़ना होगा।

**2.43**

**निर्यात संवर्धन परिषद  
(ई पी सी)**

निर्यात संवर्धन परिषदों (ई पी सी) का मूल उद्देश्य देश के निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें वृद्धि करना है। प्रत्येक परिषद विशेष वर्ग के उत्पाद, परियोजनाओं और सेवाओं के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।

**2.44**

**पंजीकरण - सह  
-सदस्यता प्रमाणपत्र  
(आर सी एम सी)**

कोई भी व्यक्ति, जो

(1) आयात/निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र (आई टी सी(एच एस)) में प्रतिबंधित मदों के रूप में सूचीबद्ध मदों के अतिरिक्त) अथवा

(2) विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत किसी अन्य लाभ या छूट के लिए आवेदन करता है तो उसको प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जब तक कि इस सम्बन्ध में विदेश व्यापार नीति के तहत विशेष रूप से उसे छूट न दी गई हो। मसाला बोर्ड द्वारा जारी मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के प्रमाण-पत्र (सी आर ई एस) को इस नीति के तहत प्रयोजनों के लिए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आर सी एम सी) के रूप में माना जाएगा।

**2.45**

**इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा  
परस्पर अन्तरण  
(ईडीआई) पहलों के  
द्वारा व्यापार सुविधा**

विभिन्न दस्तावेजों अर्थात् प्राधिकार-पत्रों, पोतलदान बिलों, आई ई सी, आवेदन शुल्क, आरसीएमसी के लिए एक सुरक्षित ईडीआई संदेश आदान-प्रदान की प्रणाली व्यापार भागीदारों अर्थात् सीमाशुल्क कार्यालय, बैंकों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ स्थापित की गई है। इन दस्तावेजों को अब वास्तविक रूप में विदेश व्यापार महानिदेशालय को भेजना अथवा संबंधित भागीदारों को वास्तविक रूप में प्रेषित करना आवश्यक नहीं है। इसलिए इससे निर्यातकों के लिए सौदा लागत में कमी आयी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय का यह प्रयास है कि ईडीआई आदान-प्रदान करने के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो।



**2.45.1**

**डी जी सी आई एण्ड  
एस वाणिज्यिक व्यापार  
डाटा**

डीजीसीआईएस ने डाटा स्प्रेसन नीति अपनाई है। गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु सौदा स्तर पर डाटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होगा। प्रयोक्ताओं को पेशेवर ढंग से वाणिज्यिक निर्णय लेने के योग्य बनाने हेतु, डी जी सी आई एण्ड एस द्वारा व्यावसायिक मानदण्ड से संरचना के प्रारूप पर आधारित प्रश्नावली में समग्र स्तर पर न्यूनतम समय अन्तराल वाले व्यापार डाटा उपलब्ध कराये जाएंगे।

**2.45.2**

**ईडीआई पहलों की  
स्वीकृति को बढ़ावा  
देने के लिए वित्तीय  
प्रोत्साहन**

प्राधिकार पत्रों/आई ई सी हेतु 'आनलाइन' आवेदन प्रस्तुत करने के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया पुस्तक में दिए गए विवरण के अनुसार कम आवेदन शुल्क के द्वारा आवेदकों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

**2.46**

**बंदोबस्त आयोग के  
जरिए निर्यात  
दायित्व चूक का  
विनियमीकरण और  
सीमाशुल्क और  
ब्याज का निपटान**

ऐसी फर्मों को सहायता प्रदान करने के लिए जिन्होंने ऐसे कारण, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं थे, विदेश व्यापार नीति के तहत भुगतान नहीं किए हैं और रुग्ण इकाइयों के विलयन, अभिग्रहण और पुनर्वास को सरल बनाने के लिए 0.1.04.2005 से ऐसे मामलों का निर्णय लेने के लिए उत्पाद एवं सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड में बंदोबस्त आयोग को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है।

**2.47**

**प्रलेखन शर्त को  
आसान बनाना**

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विभिन्न प्राधिकार पत्रों/आई ई सी कोड प्राप्त करने के लिए 'ऑन लाइन' आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की है। निकासी हेतु सीमाशुल्क विभाग को प्राधिकार पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी और प्रेषित किया जाता है ताकि आवश्यक प्रलेखन को कम किया जा सके। विदेश व्यापार महानिदेशालय भारत सरकार में भारत का सबसे पहला डिजिटल हस्ताक्षर से संवर्धित विभाग भी बन गया है जिसने काल्पनिक संसार में प्रमाणीकरण, एकांतता, गैर-निराकरण और सत्यनिष्ठा जैसी अनिवार्य विशेषताओं के साथ संचार में वृद्धि प्राप्त सुरक्षा के लिए उच्च स्तर के एनक्रिप्टिड 2048 बिट डिजिटल हस्ताक्षर लागू किया है।

**2.48**

**डी टी ए में सेवा कर  
की वापसी/छूट**

प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) के अध्याय-4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी माल और सेवाओं पर, जो घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटों से तथा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निर्यात की गयी है, लगाए गए सेवा कर से छूट की

अनुमति दी जाएगी ।

**2.48.1**

**एस ई जेड में सेवा  
कर से छूट**

एस ई जेड में यूनिटों को सेवा कर से छूट दी जाएगी ।

**2.48.2**

**विदेश में ली गई  
सेवाओं पर सेवा कर  
से छूट**

भारत से निर्यातित सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, विदेश में दी गई/प्राप्त की गई सेवाओं पर, जहाँ भी संभव है, सेवा कर से छूट होगी ।

## **शिकायत निवारण**

**2.49**

**निर्यात/आयात के  
सुविधा प्रदान कर्ता के  
रूप में विदेश व्यापार  
महानिदेशालय**

विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातों और आयातों के सुविधा प्रदान कर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है । हमारा ध्यान बेहतर प्रशासन पर है, जो कि स्पष्ट, पारदर्शी और उत्तरदायी निकासी प्रणालियों पर निर्भर करता है ।

**2.49.1**

**सिटीजन चार्टर**

विदेश व्यापार महानिदेशालय का एक सिटीजन चार्टर है, इसमें ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए समय सारणी दी गई है और विभिन्न स्तरों पर शिकायत समितियों के ब्यौरे दिए गए हैं।

**2.49.2**

**शिकायत निवारण  
समिति (जीआरसी)**

(क) व्यापार और उद्योग जगत की शिकायतों का शीघ्र निवारण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक सरकारी संकल्प के द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में एक नए शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया गया है ।

(ख) विलम्ब को माफ करने, वास्तविक मामलों में निर्यातकों द्वारा किए गए उल्लंघनों को नियमित करने, हकदारी संबंधी विवादों को समाप्त करने, प्राधिकार पत्रों के उपयोग के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए दिनांक 27.10.2004 को गठित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से विगत नीति अवधियों से संबंधित सभी बकाया समस्याओं और विवादों को सुलझाने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है ।

## **2.50**

### **नाशवान कृषि उत्पादों का निर्यात**

सौदा और प्रबंधन लागतों को कम करने के लिए, नाशवान कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने हेतु एकल खिडकी प्रणाली शुरू की गई है। प्रणाली के तहत मल्टी-फंक्शनल नोडल एजेंसियों की स्थापना की जाएगी जिन्हें कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी। प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट-40 पर विस्तृत प्रक्रियाएं अधिसूचित की गई हैं।

## **2.51**

### **निर्यात बंधु**

प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई 'निर्यात बंधु' स्कीम की संकल्पना की गई है। अधिकारी (निर्यात बंधु) मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के अनुभव का उपयोग करके और समय पर तथा उचित मार्गदर्शन के माध्यम से इन अधिकारियों द्वारा ऐसी सहायता से नए निर्यातकों/आयातकों को मदद मिलेगी।

## **2.52**

### **ई बी आर सी**

निर्यात आय की प्राप्ति के साक्ष्य रूप में बैंक वसूली प्रमाणपत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय को संबंधित बैंकों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किए जाएंगे। इससे बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) की वास्तविक प्रतियाँ प्राप्त करने तथा उन्हें वास्तविक रूप में विदेश व्यापार महानिदेशालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसके फलस्वरूप निर्यातकों हेतु सौदा लागत में कमी आएगी।

## अध्याय - 3

### संवर्धनात्मक उपाय

#### वाणिज्य विभाग में संवर्धनात्मक उपाय

##### 3.1

**निर्यात की मूलभूत  
सुविधाओं और संबद्ध  
कार्यकलापों के विकास  
हेतु राज्यों को सहायता  
(ए एस आई डी ई)**

(क) ए एस आई डी ई स्कीम का उद्देश्य राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना है ताकि इन्हें निर्यात निष्पादन पर आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करके निर्यात की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं हेतु धनराशि प्रदान की जा सके। यह स्कीम वाणिज्य विभाग द्वारा प्रशासित है।

(ख) निर्यातों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास करने हेतु कार्यकलापों के लिए इस स्कीम से धनराशि प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि इनके कार्यकलाप सम्पूर्ण रूप से निर्यात से जुड़े हों और निर्यात से इनका जुड़ाव पूर्णतः सिद्ध हो। इस स्कीम के तहत जिस विशेष उद्देश्य के लिए धनराशि का आवंटन और उसका उपयोग किया जा सकता है, वे निम्नलिखित हैं:-

(i) नये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों/जोनों (एसईजैड/कृषि व्यापार जोन्स) का सृजन तथा मौजूदा जोनों में सुविधायें बढ़ाना।

(ii) निर्यात कानक्लेव में इलैक्ट्रोनिक्स तथा अन्य संबंधित मूलभूत सुविधाओं की स्थापना।

(iii) मूलभूत ढाँचे की परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी जिसमें एसईजैड की स्थापना भी शामिल है।

(iv) ईपीआईपी/ईपीजैड/एसईजैड के पूँजीगत परिव्यय की आवश्यकता को पूरा करना।

(v) पूरक मूलभूत सुविधाओं का विकास जैसे कि उत्पादन केन्द्रों को सड़कों द्वारा पत्तनों से जोड़ना, इनलैंड कंटेनर डिपो तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना।

(vi) विद्युत आपूर्ति को अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों द्वारा स्थायी करना तथा निर्यात उत्पादन केन्द्रों आदि का समूह बनाना।

(vii) निर्यात प्रयोजन के लिए छोटे (माइनर) पत्तनों और जेटीज़ का विकास करना ।

(viii) कामन एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता और

(ix) वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाने वाला अन्य कोई कार्यक्रम ।

एसआईडी स्कीम के ब्यौरे <http://www.commerce.nic.in> पर उपलब्ध है ।

### 3.2

#### **बाजार पहुँच की पहल (एमएआई)**

(क) एम.ए.आई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता फोकस देश, फोकस उत्पाद के आधार पर निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों के लिए दी जाती है। निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग और व्यापार संगठनों, राज्य सरकार की एजेंसियों, विदेशों में स्थित भारतीय वाणिज्यिक मिशनों तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/पात्र संगठनों, जिन्हें अधिसूचित किया जाएगा, के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है ।

(ख) एम.ए.आई. स्कीम के अन्तर्गत जिन कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है, उनमें अन्य के साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) बाजार का अध्ययन/सर्वेक्षण करना,

(ii) शो रूम/गोदाम स्थापित करना ,

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में हिस्सा लेना,

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोर में माल प्रदर्शित करना,

(v) प्रचार मुहिम चलाना,

(vi) ब्राण्ड संवर्धन हेतु

(vii) क्रेता देश में सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भेषजों के लिए पंजीकरण प्रभार और क्लीनिकल परीक्षण आदि करने के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति करना,

(viii) विदेश में इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए परीक्षण प्रभार,

(ix) पाटनरोधी (एन्टी डम्पिंग) मुकदमें लड़ने के लिए सहायता देना ।

(ग) इनमें से प्रत्येक निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए सरकार से उनकी कुल लागत के 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है जो उनकी गतिविधियों और कार्यान्वयन एजेन्सी पर निर्भर करेगा। दिशा-निर्देशों का पूरा विवरण <http://commerce.nic.in> पर उपलब्ध है।

### 3.3

#### **बाजार विकास सहायता (एमडीए)**

(क) एमडीए स्कीम के तहत निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार संवर्धन संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न निर्यात संवर्धन गति-विधियों को अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना वाणिज्य विभाग द्वारा प्रशासित है। सहायता में अन्य, के अलावा, निम्नलिखित में भाग लेना शामिल हैं

(i) व्यापार मेलों और विदेशों या भारत में क्रेता और विक्रेता सम्मेलनों में भाग लेना, और

(ii) व्यापार संवर्धन सेमिनारों में भाग लेना।

(iii) फोकस क्षेत्रों अर्थात् लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सीआईएस क्षेत्र, एसईएएन देशों, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में से किसी एक में यात्रा करने वाले निर्यातकों को यात्रा अनुदान के साथ वित्तीय सहायता उपलब्ध है। अन्य क्षेत्रों में वित्तीय सहायता यात्रा अनुदान के बिना उपलब्ध है।

(ख) बाजार विकास सहायता उन निर्यातों के लिए उपलब्ध होगी जिनका एमडीए के दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित वार्षिक निर्यात कारोबार है। दिशा-निर्देशों का पूरा ब्यौरा <http://commerce.nic.in> पर उपलब्ध है।

### 3.4

#### **व्यापार से संबंधित मामलों के लिए क्रेता देश में सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने पर होने वाले खर्च के लिए धनराशि देना**

वाणिज्य विभाग, निर्यात संवर्धन परिषदों की सिफारिश पर भेषज, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि रसायन उत्पादों के लिए उत्पाद पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रभारों सहित क्रेता देशों में सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभार/खर्च की प्रतिपूर्ति करता है। भारतीय मूल के विशेष उत्पाद (उत्पादों) पर प्रतिबन्धों/पाटनरोधी (एन्टी डम्पिंग) शुल्क आदि के लिए वाणिज्य विभाग विदेशों में मुकदमा लड़ने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है जो कि वाणिज्य विभाग की बाजार पहुँच की पहल स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध

है। दिशानिर्देश <http://www.commerce.nic.in> पर उपलब्ध हैं।

### 3.5 उत्कृष्ट निर्यात वाले नगर (टी ई ई)

(क) अनेक नगर अच्छे खासे औद्योगिक स्थापना स्थलों के रूप में उभरे हैं जो भारत के निर्यात में पर्याप्त योगदान देते हैं। इन औद्योगिक क्लस्टर स्थलों को मान्यता देना आवश्यक हो गया है ताकि उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके और वैल्यूचेन में उनका दर्जा बढ़ाने में सहायता की जा सके और नये बाजारों की जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ख) 750 करोड़ रु0 या उससे अधिक उत्पादन करने वाले कुछ चुने हुए शहरों को उनकी निर्यात में वृद्धि की क्षमता के आधार पर उत्कृष्ट निर्यात के शहर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तथापि हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि व मत्स्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट निर्यात के शहर के लिए यह सीमा 150 करोड़ रु0 होगी। ऐसे उत्कृष्ट निर्यात वाले शहरों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी:

(i) विपणन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु निर्यात संवर्धन परियोजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों की यूनिटों को एम ए आई स्कीम के तहत प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) इन क्षेत्रों में सामान्य सेवा प्रदायक ई पी सी जी स्कीम के लिए हकदार होंगे।

(iii) ए एस आई डी ई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता हेतु एसएलईपीसी (राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति) द्वारा टीईई से प्राप्त परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(ग) अधिसूचित नगरों की सूची प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 7 में दी गई है।

### 3.6 ब्रांड संवर्धन तथा गुण वत्ता

(क) विदेशी बाजारों में “भारत में निर्मित” लेबल के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से 11 जुलाई 1996 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आईबी ईएफ (मूलरूप से इन्डिया ब्रांड इक्विटी फंड कहा गया था और बाद में इसका नाम इन्डिया ब्रांड इक्विटी फाउन्डेशन

कर दिया गया था) का गठन किया गया था। आईबीईएफ का उद्देश्य भारत को व्यापारिक अवसर के तौर पर विश्व में सकारात्मक आर्थिक सत्ता के रूप में सामने लाना और वैश्विक बाजार में भारतीय व्यापार साझेदारी को कारगर रूप से प्रस्तुत करना है।

(ख) वाणिज्य विभाग राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और निर्यात संवर्धन परिषदों की गुणवत्ता के उन्नयन के लिए, क्षमता निर्मित करने हेतु धनराशि प्रदान करता है ताकि वाणिज्य विभाग बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत गुणवत्ता के उन्नयन के लिए निर्यातकों की कार्यकुशलता में सुधार करने, अस्वीकृतियों को कम करने, उत्पाद में सुधार आदि करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सके।

ब्यौरा [www-commerce.nic.in](http://www-commerce.nic.in) पर उपलब्ध है।

### **विदेश व्यापार महानिदेशालय में संवर्धनात्मक उपाय**

#### **3.7 परीक्षण गृह**

केन्द्र सरकार परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण में सहायता करेगी ताकि उन्हें अन्तरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाया जा सके।

स्कीम का ब्यौरा [www-commerce.nic.in](http://www-commerce.nic.in) पर उपलब्ध है।

#### **3.8 गुणवत्ता संबंधी शिकायतें/ विवाद**

विदेशी क्रेताओं से प्राप्त हुई गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की जांच इस निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित गुणवत्ता शिकायतों की क्षेत्रीय उप-समिति (आर एस सी क्यू सी) द्वारा की जाएगी। विशेषतः गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु और सामान्यतः ऐसी अन्य शिकायतों के संबंध में, दिशा-निर्देश प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-16 में दिए गए हैं।

#### **3.9 व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले व्यापारिक विवाद**

(क) यदि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में यह बात आती है अथवा उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि कोई निर्यात अथवा आयात इस तरीके से किया गया है, जो

(i) किसी अन्य देश के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो, और/अथवा

(ii) निर्यात अथवा आयात में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के हितों



के प्रति गंभीर रूप से हानिकर हो; और/अथवा

(iii) जिससे देश की बदनामी हुई हो,

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित निर्यातक अथवा आयातक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, इसके अधीन बने नियमों तथा आदेशों और इस विदेश व्यापार नीति के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं ।

### 3.10

### निर्यात और व्यापार सदन

#### 3.10.1

निर्यात और व्यापार सदन स्तर प्राप्त करने के लिए पात्रता

व्यापारी और विनिर्माता निर्यातक, सेवा प्रदायक, निर्यातोन्मुखी एकक (ई ओ यू) और विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड), में स्थित एकक और कृषि निर्यात जोन (ए ई जेड), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई एच टी पी), साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी) और जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बी टी पी) स्तर धारक के तौर पर मान्यता के लिए पात्र होंगे।

#### 3.10.2

स्तर श्रेणी

स्तर पहचान निर्यात निष्पादन पर निर्भर करती है। स्तर धारक के रूप में आवेदक की श्रेणी का निर्धारण नीचे तालिका में दर्शाए गए निर्यात निष्पादन प्राप्त करने पर होगा। चालू तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान (एक साथ) प्राप्त निर्यात आय के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के आधार पर निर्यात निष्पादन की गणना की जाएगी। निर्यात सदन स्तर के लिए चार वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में निर्यात निष्पादन आवश्यक है।

स्तर श्रेणी	निर्यात-निष्पादन एफ ओ बी/ एफ ओ आर मूल्य (करोड़ रुपये में)
निर्यात सदन (ई.एच)	20
स्टार निर्यात सदन (एस.ई.एच)	100
व्यापार सदन (टी.एच)	500
स्टार व्यापार सदन (एसटीएच)	2500
प्रीमियर व्यापार सदन (पीटीएच)	7500

#### 3.10.3

स्तर प्रदान करने के लिए दुगुनी भारिता तथा

(क) लघु उद्योग/अति लघु क्षेत्र/कुटीर क्षेत्र, खादी ग्रामोद्योग आयोग/खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के साथ पंजीकृत यूनिट, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित,

## अन्य शर्तें

हस्तकरघा/हस्त शिल्प/हाथ से बुना कालीन/रेशम के कालीन निर्यात करने वाले यूनिट तथा परिशिष्ट-9 में यथा सूचीबद्ध लेटिन अमेरिका/सी आई एस/उप सहारन अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातक, आई एस ओ 9000 (ऋंखला) वाले यूनिट/आईएसओ 14000 (ऋंखला) स्तर वाले/डब्ल्यूएचओजी एमपी/एचएसी सीपी/एसईआईसीएमएम स्तर-2 तथा उच्च स्तर प्राप्त एजेंसियां जो प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 6 में सूचीबद्ध की हैं, सेवा और कृषि उत्पादों के निर्यात, स्तर की स्वीकृति हेतु, निर्यात की दोहरी वरीयता के पात्र होंगे। दोहरी भारिता व्यापारी के साथ-साथ विनिर्माता निर्यातकों को भी उपलब्ध होगी। तथापि, उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी भी एक को केवल एक बार पोत-लदान के लिए दोहरी वरीयता दी जाएगी।

(ख) निर्यात निष्पादन एक से दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अतः निर्यात उत्पादन की गणना के लिए डिसक्लेमर पद्धति की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) पुनः निर्यात आधार पर किए गए निर्यात की गणना मान्यता प्रदान करने के लिए नहीं की जाएगी।

(घ) मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी लिमिटेड कम्पनी की सहायक कम्पनी द्वारा किये गये निर्यात को लिमिटेड कम्पनी के निर्यात निष्पादन में तभी गिना जाएगा जब लिमिटेड कम्पनी के सहायक कम्पनी में अधिकतर शेयर हों।

### 3.10.4

#### निर्यात तथा व्यापार सदन स्तरधारको के लिए विशेषाधिकार

एक स्तर धारक निम्नलिखित सुविधाओं का हकदार होगा :-

(क) स्व-घोषणा आधार पर आयात और निर्यात दोनों के लिए प्राधिकार-पत्र और सीमाशुल्क निकासी;

(ख) तरजीह पर 60 दिन के भीतर निविष्टि-उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण ;

(ग) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों के अनिवार्य लेन-देन से छूट। तथापि, बैंकिंग चैनलों के माध्यम से रुपया भेजना/प्राप्त करना, जारी रहेगा।

(घ) विदेश व्यापार नीति के अधीन स्कीमों में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की छूट होगी ;

(ङ.) एस ई एच और उपर्युक्त को राजस्व विभाग के दिशानिर्देशों

के अनुसार निर्यात गोदाम बनाने की अनुमति होगी;

(च) स्तर धारकों के लिए, ए सी पी स्तर प्रदान करने के बारे में सीमाशुल्क कार्यालय से आवेदन प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के भीतर सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा निर्णय की सूचना दी जाएगी ।

(छ) विकल्प के रूप में, प्रीमियर व्यापार सदन (पीटीएच) के लिए ई पी सी जी स्कीम के तहत निर्यात का औसत स्तर 3 वर्षों के बदले पिछले पाँच वर्षों में निर्यात निष्पादन का संख्यात्मक औसत होगा।

(ज) निर्दिष्ट क्षेत्रों के स्तरधारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16 के अधीन स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप के लिए पात्र होंगे ।

(झ) कृषि क्षेत्र के स्तर धारक (अध्याय-1 से 24) वीकेजीयूवाई-विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13.4 के तहत कृषि ढांचा प्रोत्साहन स्क्रिप हेतु पात्र होंगे।

### **3.11**

सेवा निर्यात

#### **3.11.1**

**सेवा निर्यात**

(क) सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के तहत आने वाली सभी 161 व्यापार योग्य सेवाएं (जीएटीएस) शामिल हैं यदि ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है, तो इन्हें सेवा निर्यात माना जाएगा ।

(ख) इस नीति के सभी प्रावधान आवश्यक परिवर्तन सहित सेवाओं के निर्यात पर भी लागू होंगे जैसे कि वस्तुओं पर लागू हैं ।

#### **3.11.2**

**सेवा प्रदायकों के लिए  
पंजीकरण सह-सदस्यता  
प्रमाणपत्र  
(आरसीएमसी)**

साफ्टवेयर निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक और साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकरण करवाना होगा । प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-2 की क्रम सं0 22 में सूचीबद्ध 14 विशिष्ट सेवाओं के निर्यातकों को सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत करवाना होगा । अन्य सेवा निर्यातकों को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गनाइजेशन (फियो) के पास पंजीकृत करवाना होगा ।

#### **3.11.3**

**आम सुविधा केन्द्र**

सरकार राज्य स्तर और जिला स्तर के कस्बों से सेवा निर्यात क्षेत्र के गृह आधारित व्यावसायिकों को भारी संख्या में बुलाने के लिए क्षेत्र विशेष में गृह आधारित सेवा प्रदायकों जैसे

इंजिनियरिंग तथा वास्तुविद डिजाइन, मल्टी-मीडिया प्रचालनों, साफ्टवेयर के विकासकर्त्ताओं आदि के उपयोग हेतु आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना और विकास करेगी ।

### **विदेश व्यापार महानिदेशालय में पुरस्कार/प्रोत्साहन स्कीमें**

#### **3.12**

#### **भारत से सेवित स्कीम (एस एफ आई एस)**

##### **3.12.1**

##### **उद्देश्य**

एस एसफ आई एस का उद्देश्य है सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देना ताकि सशक्त और विशिष्ट “भारत से सेवित” ब्रांड को तुरंत समस्त विश्व में मान्यता और आदर प्राप्त हो सके ।

##### **3.12. 2**

##### **पात्रता**

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड -1) के परिशिष्ट-41 में सूचीबद्ध सेवाओं के अखिल भारतीय सेवा प्रदायक जिनका कुल मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जन पिछले/चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 लाख रुपये है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के पात्र होंगे । व्यक्तिगत भारतीय सेवा प्रदायकों के लिए, यह न्यूनतम मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जन 5 लाख रुपये होगा ।

##### **3.12.3**

##### **अपात्र सेवाएं तथा सेवा प्रदायक**

सेवाएं और सेवा प्रदायक प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 3.6.1 में यथा सूचीबद्ध एस एफ आई एस स्कीम के अन्तर्गत लाभ के हकदार नहीं होंगे ।

##### **3.12.4**

##### **हकदारी**

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध सेवाओं के सेवा प्रदायक ही केवल हकदार होंगे । ऐसे पात्र सेवा प्रदायक (1.1.2011 से शुरू करके) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मुक्त विदेशी मुद्रा के 10% के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे । 1.1.2011 से पहले प्रदान की गई सेवाओं के लिए, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट-10 की शर्तें लागू होंगी ।

##### **3.12.5**

##### **परेषण पात्रता**

सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और अन्य उपकरणों के जरिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के परिकलन के लिए अर्जित

मुक्त विदेशी मुद्रा को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

**3.12.6**  
**अनुमत आयात**

(क) शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को स्पेयर्स, कार्यालय उपकरण और पेशेवर उपकरण, कार्यालय फर्नीचर और उपभोज्यों सहित किसी पूंजीगत माल के आयात के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है; जो कि अन्यथा आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण के तहत मुक्त रूप से आयात के योग्य हैं और/अथवा प्रतिबंधित हैं । आयात आवेदक के किसी सेवा क्षेत्र व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए ।

(ख) अर्जित शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ उन वाहनों के आयात के मामले में शुल्क की अदायगी के लिए दी जाएगी, जो सेवा प्रदायक के लिए व्यावसायिक उपस्कर की प्रकृति के होंगे ।

(ग) होटलों, क्लबों जिनमें कम से कम 30 कमरों की आवासीय सुविधा उपलब्ध है, गोल्फ रिजार्ट और विशिष्ट (स्टैण्ड एलोन) रेस्टोरेंटों के मामले में; जहाँ कैटरिंग सुविधा हो; शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का खाद्य वस्तुओं और अल्कोहल युक्त पेयों सहित उपभोज्यों के आयात हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।

**3.12.7**  
**गैर-हस्तांतरणीयता**

हकदारी/माल (आयातित/प्राप्त) गैर-हस्तांतरणीय होगा (ग्रुप कम्पनी और प्रबन्धित होटलों को छोड़कर) और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा ।

**3.12.8**  
**घरेलू स्रोतों से प्रापण**

एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के तहत अनुमत मदों के घरेलू स्रोतों से खरीद हेतु, इस संबंध में जारी राजस्व विभाग की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार उत्पाद शुल्क की अदायगी हेतु, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के उपयोग की अनुमति होगी ।

**3.13**

**विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वी के जी यू वाई)**

**3.13.1**  
**उद्देश्य**

विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना का उद्देश्य निम्नलिखित उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए उच्च परिवहन लागतों की प्रतिपूर्ति करना और अन्य हानियों को दूर करना:-

- (1) कृषि उत्पाद और उनके मूल्य संवर्धित उत्पाद;
- (2) लघु वन्य उत्पाद और उनके मूल्य संवर्धित परिवर्तित;
- (3) ग्राम उद्योग उत्पाद;

- (4) वन आधारित उत्पाद, और
- (5) समय-समय पर यथा अधिसूचित, अन्य उत्पाद ।

### 3.13.2

#### हकदारी

(क) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 37 क में अधिसूचित उत्पादों के निर्यातक, जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की एक निश्चित तारीख/अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो, 27.8.2009 से, किए गए निर्यातों (मुक्त विदेशी मुद्रा में) हेतु निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए हकदार होंगे ।

(ख) तथापि, 27.8.2009 (जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की तारीख/अवधि विशिष्टीकृत न की गई हो) से किए गए निर्यातों के लिए, परिशिष्ट 37 क की तालिका 1 में यथा सूचीबद्ध, कुछ फूल, फल, 5 प्रतिशत या 3 प्रतिशत वीकेजीयूवाई घटती दर हकदारी के अलावा, निम्न पैरा 3.13.3 के अन्तर्गत निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर एक अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के भी हकदार होंगे।

### 3.13.3

#### घटी हुई दर के लिए पात्रता

वी के जी यू वाई स्कीम के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लाभ केवल उन निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य की तीन प्रतिशत घटी हुई दर पर दिए जाएंगे जिनमें निर्यातक ने निर्यातित उत्पाद के लिए निम्नलिखित लाभों का भी उपयोग किया है :-

(i) 1% से अधिक दर पर शुल्क वापसी ; और/अथवा

(ii) विशिष्ट डी ई पी बी दर (अर्थात् विविध वर्ग के अलावा-उत्पाद समूह 90 की क्रम सं०. 22 ग और 22 घ); और/ अथवा

(iii) अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (कैटैलिस्टस, उपभोज्यों और पैकिंग सामग्री के अलावा)

जिसके लिए वी के जी यू वाई के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का दावा किया जा रहा है ।

### 3.13.4

#### कृषि, अवस्थापना प्रोत्साहन स्क्रिप

(क) किसी एक विशेष वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के लिए, आईटी सी(एच एस) के अध्याय 1 से 24 में शामिल उत्पादों का निर्यात करने वाले सभी स्तर धारकों (जिनके पास चालू वर्ष के

लिए स्तर की मान्यता है) को कृषि निर्यातों (वीकेजीयूवाई लाभों सहित जो नीति के पैरा 3.13.2 के अधीन हकदार हैं) के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते कि सभी स्तर धारकों का कुल लाभ 100 करोड़ रुपये से अधिक न हो (अर्थात् प्रत्येक आधे वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपये) और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.7.2 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया हो ।

(ख) सभी स्तर धारकों को लाभ स्वीकृत करने के लिए मण्डलीय कार्यालय, सी एल ए नई दिल्ली लाइसेंसिंग कार्यालय होगा ।

(ग) निम्नलिखित पूँजीगत माल/उपकरण आयात हेतु अनुमत होंगे:-

(i) कोल्ड स्टोरेज यूनिटें (नियंत्रित वातावरण (सी ए) और संशोधित वातावरण (एम ए) स्टोर्स सहित); प्याज इत्यादि के लिए प्री कूलिंग यूनिटें और मदर स्टोरेज यूनिटें ;

(ii) परिशिष्ट 37च में अधिसूचित मदों के लिए पैक हाउसेज (हैंडलिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग आदि के लिए सुविधाओं सहित) ;

(iii) रीफर वैन/कन्टेनर्स ; और

(iv) परिशिष्ट 37 च में यथा अधिसूचित अन्य पूँजीगत माल/उपस्कर ।

(घ) आयातित पूँजीगत माल/उपस्कर का उपयोग भंडारण, पैकिंग आदि (उपर्युक्त (ii) में दिए गए अनुसार) और कृषि उत्पादों (कृषि संसाधित खराब होने वाले उत्पादों सहित) के परिवहन के लिए किया जाएगा ।

(ड.) यह अतिरिक्त लाभ वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा और इसलिए अहस्तांतरणीय है ।

(च) तथापि, कोल्ड चेन उपस्कर के आयात के लिए यह प्रोत्साहन स्क्रिप स्तरधारकों के साथ-साथ फूड पार्कों में स्थित ईकाइयों ("ईकाई" में विकासकर्त्ता शामिल नहीं हैं) के मध्य मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगा ।

### **3.14**

### **फोकस मार्केट स्कीम(एफ एम एस)**

#### **3.14.1 उद्देश्य**

इस स्कीम का उद्देश्य, इन देशों में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से, चुने हुए अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से उच्च भाड़ा लागत तथा अन्य बाह्य लागतों की क्षतिपूर्ति करना है ।

#### **3.14.2 हकदारी**

(क) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 37ग की तालिका 1 और 2 में अधिसूचित देशों में दिए अनुसार सभी उत्पादों के निर्यातक, जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की एक निश्चित तारीख/अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो, 27.8.2009 से किए गए निर्यातों हेतु निर्यात (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे।

(ख) प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 37ग की तालिका 3 में अधिसूचित देशों को उत्पादों का निर्यात 01.04.2011 से निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (निःशुल्क विदेशी मुद्रा में) के 1 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए हकदार होगा ।

#### **3.14.3 एफ एम एस के लिए अपात्र निर्यात श्रेणियाँ/क्षेत्र**

एफ एम एस स्कीम के तहत, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए निर्यात उत्पाद/क्षेत्र की निम्नलिखित श्रेणियाँ अपात्र होंगी:

- i) एस ई जेड एककों को की गई आपूर्तियाँ;
- ii) सेवा निर्यात;
- iii) हीरे और अन्य कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थर;
- iv) स्वर्ण, चाँदी, प्लेटिनम और सादे और जड़ित आभूषणों सहित किसी भी रूप में अन्य कीमती पत्थर;
- v) सभी रूप में और सभी प्रकार के अयस्क और सांद्रण;
- vi) सभी प्रकार के अनाज;
- vii) सभी प्रकार की और सभी रूपों में, चीनी ;
- viii) सभी प्रकार के और सभी रूपों में, कच्चे तेल/पेट्रोलियम और कच्चे तेल/ पेट्रोलियम आधारित उत्पाद जो आई टी सी(एच



एस) कोड 2709 से 2715 में शामिल किए गए हैं ।

ix) आई टी सी(एच एस) कोड 0401 से 0406, 19011001, 19011010, 2105 व 3501 के तहत शामिल दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का निर्यात

### **3.15**

#### **फोकस उत्पाद स्कीम (एफ पी एस)**

##### **3.15.1 उद्देश्य**

फोकस उत्पाद स्कीम का उद्देश्य उन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना है, जिनकी उच्च निर्यात/रोजगार संभावना है, जिससे मूलभूत सुविधाओं में कमी तथा इन उत्पादों के विपणन में आयी अन्य सम्बद्ध कीमतों की क्षतिपूर्ति की जा सके ।

##### **3.15.2 पात्रता**

(क) सभी देशों (एस ई जैड यूनिटों सहित) को उत्पादों (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 की परिशिष्ट-37घ की सारणी-1 में दिये गए अनुसार) का निर्यात, जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की एक निश्चित तारीख/अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो, 27.8.2009 से शुरू किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 2% या 5% के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा ।

(ख) परिशिष्ट 37घ में सूचीबद्ध विशेष फोकस उत्पाद (उत्पादों)/क्षेत्र (क्षेत्रों) को, उत्पाद/क्षेत्र में अधिसूचित करने के लिए जारी सार्वजनिक सूचना में अनुमेय निर्यात/अवधि की तारीख से उत्पाद/क्षेत्र हेतु मौजूदा दर के अलावा निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 2% के बराबर एक अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रदान किया जाएगा ।

##### **3.15.3**

#### **मार्केट लिंकड फोक्स उत्पाद स्क्रिप (एम एल एफ पी एस):**

उच्च निर्यात तीव्रता/रोजगार संभावना (जो मौजूदा एफपीएस सूची में शामिल नहीं है) के उत्पादों/क्षेत्रों के निर्यात को एफपीएस के अन्तर्गत 27-8-2009 से किए गए निर्यातों के लिए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) के 2 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा जबकि उन्होंने लिंकड बाजारों (देशों) को निर्यात किया हो, जो मौजूदा एफ एम एस सूची में शामिल न हो, जब तक कि सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना द्वारा निर्यात की एक निश्चित तारीख/अवधि विनिर्दिष्ट न की गई हो । ऐसे उत्पादों की सूची प्रक्रिया पुस्तक

खण्ड-1 के परिशिष्ट 37-घ की अनुसूची-2 में दर्शाई गई है ।

### 3.16

#### स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप (एस एच आई एस)

##### 3.16.1

(क) एस एच आई एस का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है ।

(ख) नीचे पैरा में 3.16.4 में उल्लिखित क्षेत्रों के स्तर धारक, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान किए गए निर्यातों पर पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 1 प्रतिशत की दर से शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का हकदार होगा ।

(ग) प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 2009-14 (आर ई-2010) के पैरा 3.10.8 में सूचीबद्ध अतिरिक्त क्षेत्रों के स्तरधारक भी 2010-2011, 2011-12 और 2012-13 के दौरान किए गए निर्यातों पर इस स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप के लिए हकदार होगा ।

(घ) यह इस अध्याय के तहत दावा की गई/प्राप्त की गई किसी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अलावा होगी ।

##### 3.16.2

किसी एक वर्ष में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टी यू एफ एस) लाभों का उपयोग करने वाले स्तरधारक (वस्त्र मंत्रालय द्वारा शासित) उस वर्ष के निर्यात के लिए स्तरधारक प्रोत्साहन स्क्रिप के पात्र नहीं होंगे ।

##### 3.16.3

स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा तथापि, स्तर धारकों में हस्तांतरणीयता की अनुमति होगी बशर्ते कि अंतरिती स्तर धारक विनिर्माता हो। नीचे पैरा 3.16.4 और प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.10.8 में उल्लिखित क्षेत्रों से संबंधित पूंजीगत माल (विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित) के आयातों के लिए एस एच आई एस स्क्रिप प्रयोग की जाएगी केवल पहले आयात किए गए पूंजीगत माल के संबंध में, शुल्क क्रेडिट स्क्रिप 10% मूल्य तक को ऐसे पूंजीगत माल के संघटक, पुर्जों/हिस्सों के आयात के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।

##### 3.16.4

निम्नलिखित क्षेत्रों के स्तर धारक इस स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप के पात्र होंगे :-

1. चमड़ा क्षेत्र (तैयार चमड़े के अलावा);
2. वस्त्र व जूट क्षेत्र;

3. हस्तशिल्प;
4. इंजीनियरिंग क्षेत्र (आयरन और स्टील, प्राइमरी या इन्टरमिडिएट फार्म में नान फेरस मेटल, आटोमोबाइल व दुपहिये, न्यूक्लियर रिएक्टर व हिस्से तथा जहाज, बोट व फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स को छोड़कर) ;
5. प्लास्टिक्स ; तथा
6. मूल रसायन (फार्मा उत्पाद के अलावा) ।

### **3.17** **विशेष प्रावधान**

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के सामान्य प्रावधान, विशेष रूप से इंगित किये मामले को छोड़कर

#### **3.17.1**

(क) सरकार, लोकहित में, ऐसे देशों को निर्यात, उत्पादों या सेवाओं या उत्पादों को विनिर्दिष्ट करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है, जो हकदारी के परिकलन के पात्र नहीं होंगे।

(ख) इसके अलावा सरकार इस अध्याय के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप अधिकतम दर को लगाने/ परिवर्तित करने का भी अधिकार सुरक्षित रखती है ।

(ग) इसी प्रकार, सरकार वस्तुओं को अधिसूचित भी कर सकती है (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का परिशिष्ट 37ख में) जिसे शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के तहत आयात की अनुमति नहीं होगी ।

#### **3.17.2** **अपात्र निर्यात श्रेणियाँ/ क्षेत्र**

निम्नलिखित निर्यात श्रेणियाँ/क्षेत्र, वी के जी यू वाई, एफ एम एस, एफ.पी.एस. (एम एल एफ पी एस सहित) तथा स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हकदारी के लिए अपात्र होंगे :-

- (i) ई ओ यू/ई एच टी पी/बी टी पी जो कि प्रत्यक्ष कर/छूट का लाभ ले रहे हैं ;
- (ii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अन्तर्गत शामिल आयातित माल का निर्यात ;
- (iii) ट्रान्सशिपमेंट के जरिये निर्यात, अर्थात जो निर्यात तीसरे देश से प्रारम्भ हुआ परन्तु ट्रान्सशिपमेंट भारत से हुई हो;
- (iv) मान्य निर्यात;

(v) एस ई जैड यूनिटों द्वारा किया गया निर्यात या एस ई जैड उत्पादों का डी टी ए यूनिटों द्वारा निर्यात; और

(vi) आई टी सी (एच एस) में निर्यात नीति की अनुसूची-2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध मर्दे ।

### **3.17.3**

**निर्यातों के पोत पर्यन्त  
निःशुल्क मूल्य (मुक्त  
विदेशी मुद्रा) में कमीशन  
की गणना**

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप लाभ की गणना करते समय, निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में) विदेशी एजेन्सी कमीशन का 12.5% तक शामिल होगा ।

### **3.17.4**

**मुक्त हस्तांतरणीयता**

(क) शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (एम एल एफ पी एस, एफ एम एस और वी के जी यू वाई सहित एफ पी एस) तथा इसके तहत आयातित मर्दे मुक्त रुप से हस्तान्तरणीय होंगी ।

(ख) एस एफ आई एस (पैरा 3.12) के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप मुक्त रुप से हस्तान्तरणीय नहीं होंगे ।

(ग) उपर्युक्त पैरा 3.16.3 के अन्तर्गत यथाअनुमत को छोड़कर एस एच आई एस के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हस्तांतरणीय नहीं होगी ।

### **3.17.5**

**अनुमत आयात/घरेलू**

(क) शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग पूँजीगत माल सहित निविष्टियों या माल के आयात के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि ये मुक्त रुप से आयातित हो और/या आई टी सी(एच एस) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हो। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 37ख में सूचीबद्ध मर्दों के आयात को डेबिट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात के मर्दे शुल्क के भुगतान के लिए विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अधीन शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बशर्ते कि वह मद स्क्रिप के मर्दे आयात योग्य हो ।

(ग) ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का ऐसी मर्दों, जो कि संबंधित स्कीम के तहत आयात किए जाने के लिए अनुमत हैं, के घरेलू प्रापण पर उत्पाद-शुल्क की अदायगी के लिए भी उपयोग किया जा सकता है ।

**3.17.6**  
**सेनवेट/शुल्क वापसी**

एस एफ आई एस के अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अधीन नकद या डेबिट में अदा अतिरिक्त सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क, को राजस्व विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार सेनवेट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में समायोजित किया जाएगा।

**3.17.7**  
**टी आर ए सुविधा**

राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार टेलीग्राफिक रिलीज एंडवाइस ( टीआरए) के अन्तर्गत पंजीकरण के पत्तन से भिन्न पत्तन से आयातों के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग अनुमत होगा।

**3.17.8**  
**एकमात्र हकदारी**

किसी एक विशेष पोत लदान के लिए निर्यातक अध्याय 3 की स्कीमों के तहत केवल एक लाभ के लिए दावा कर सकता है ।

**3.17.9**  
**पट्टा वित्तपोषण के अन्तर्गत आयात**

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.25 के प्रावधानों में पट्टा वित्तपोषण के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के मामले में शुल्क की अदायगी हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के उपयोग की अनुमति होगी।

**3.17.10**  
**निर्यात निष्पादन का अन्तरण**

(क) एक से दूसरे को निर्यात निष्पादन के अन्तरण की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार, पोतलदान बिल जिसमें आवेदक का नाम हो, उसकी निर्यात निष्पादन/कारोबार की गणना तभी की जाएगी जब विदेश से निर्यात आय की वसूली आवेदक के बैंक खाते में हुई हो और यह बी आर सी/एफ आई आर सी से प्रमाणित हो।

(ख) तथापि, वीकेजीयूवाई, एफएमएस तथा एफपीएस (एम एल एफ पी एस सहित) के लिए लाभ, या तो सहायक विनिर्माता (कम्पनी/ फर्म जिसने सीधे विदेश से विदेशी मुद्रा अर्जित की है से, डिसक्लेमर सहित) या कम्पनी/फर्म जिसने विदेश से सीधे विदेशी मुद्रा अर्जित की है, दावा कर सकता है।

**3.17.11**  
**निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान की सुविधा**

इस नीति के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के अधीन निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमा शुल्क भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का प्रयोग/डेबिट भी किया जा सकता है। तथापि, जुर्माना/ब्याज का भुगतान नकद करना होगा।

## अध्याय - 4

### शुल्क विमुक्ति और छूट स्कीम

#### 4.1

##### शुल्क विमुक्ति और छूट स्कीमें

(क) शुल्क विमुक्ति स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात किया जाता है। शुल्क विमुक्ति स्कीम में निम्न शामिल हैं :

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम और

(ii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डी एफ आई ए)

(ख) शुल्क छूट स्कीम निर्यात उत्पाद में निर्यात के पश्चात प्रतिपूर्ति/प्रयुक्त निविष्टियों पर लगे शुल्क में छूट दी जाती है। शुल्क छूट स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम (डी ई पी बी) (1.10.2011 अथवा उसके बाद किए गए निर्यातों के लिए लागू नहीं है) और

(ii) शुल्क वापसी स्कीम (डी बी के)

#### 4.1.1

##### शुल्क छूट/विमुक्ति स्कीम के अन्तर्गत निर्यात किए गए माल का पुनः आयात

अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ई/डी ई पी बी के अन्तर्गत निर्यात किए गए माल का उसी या पर्याप्त उसी रूप में पुनः आयात राजस्व विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार के पुनः आयात के बारे में पुनः आयात करने के एक मास के भीतर अग्रिम प्राधिकार पत्र (ए ए)/डी एफ आई ए/ डी ई पी बी जारी करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय को भी सूचित किया जाना चाहिए।

#### 4.1.2

##### मूल्य संवर्धन

इस अध्याय के (रत्न और आभूषण क्षेत्र को छोड़कर) प्रयोजन हेतु मूल्य संवर्धन इस प्रकार होगा :-

ए-बी

वी. 
$$E = \frac{B}{A} \times 100, \text{ जहाँ}$$

बी

ए = किए गए निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य।

बी = प्राधिकार पत्र के तहत आने वाले निवेशों का लागत बीमा

भाड़ा मूल्य तथा कोई अन्य निवेश, जिसपर शुल्क वापसी के लाभ का दावा किया गया है अथवा दावा किया जाना है का योग।

### **अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम**

#### **4.1.3.1**

#### **अग्रिम प्राधिकार पत्र**

निर्यात उत्पाद में (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए) वास्तव में शामिल की गई निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। इसके अलावा, ईंधन, तेल, ऊर्जा, कैटालिस्ट, जिनकी खपत/प्रयोग निर्यात उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है, को भी अनुमत किया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशक, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, अग्रिम प्राधिकार पत्र की सीमा से किसी उत्पाद (उत्पादों) को हटा सकता है।

#### **4.1.3.2**

ऐसे अनिवार्य कलपुर्जों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्राधिकार पत्र के लागत बीमाभाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक है जिनकी परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात/आपूर्ति आवश्यक है।

#### **4.1.3.3**

सिआन (एस आई ओ एन) के अधीन निवेशों और निर्यात मदों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी किए जाते हैं। ये प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4.7 के अनुसार स्वतः घोषित मानदण्डों या तदर्थ मानदण्डों के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं।

#### **4.1.3.4**

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र विनिर्माता निर्यातक सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के साथ जुड़े विनिर्माता निर्यातक, अथवा व्यापारी निर्यातक को जारी किया जा सकता है। तथापि अग्रिम प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 पैरा 4.7क के अंतर्गत (नॉन इनफ्रिजिंग (एन आई) प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए विनिर्माता निर्यातक को) ही जारी किया जाएगा।

(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र निम्न के लिए जारी किया जाएगा:

i) वास्तविक निर्यात (एस ई जैड को किए निर्यात समेत); और/या

ii) अन्तर्वर्ती आपूर्तियाँ; और/या

iii) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 8 में दिए गए माल की आपूर्ति;

iv) ऐसे विदेश जाने वाले जहाज/वायुयान पर “स्टोर्स” की आपूर्ति इस शर्त के मद्दे होगी कि संभरित मद (मदों) के संबंध में विशिष्ट सिऑन है।

#### 4.1.3.5

इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(घ) (च) और (झ) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को माल की आपूर्ति के बारे में, उप-ठेकेदार द्वारा ऐसी परियोजना के अग्रिम प्राधिकार पत्र का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते की उप-ठेकेदार का नाम मुख्य ठेके में उल्लिखित हो ।

#### 4.1.3.6

ऐसा प्राधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र संगठनों अथवा संयुक्त राष्ट्र संगठनों के सहायता कार्यक्रम अथवा अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों को की गयी आपूर्तियों हेतु भी जारी किया जा सकता है, इस प्रकार की आपूर्तियों का भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जाएगा ।

#### 4.1.3.7

तथापि, कच्ची चीनी के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र विनिर्माता निर्यातक अथवा सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातक को जारी किया जा सकता है। निर्यात किसी भी अन्य फैक्टरी (फैक्टरियों) से सफेद चीनी की प्राप्ति द्वारा भी किए जा सकते हैं । यह प्रावधान 17.2.2009 से किए जाने वाले निर्यात के लिए लागू होगा।

#### 4.1.4

अग्रिम प्राधिकार पत्रों को मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, एंटीडम्पिंग शुल्क, और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्राप्त होगी । तथापि, पैरा 8.2(ज) और (झ) के तहत शामिल आपूर्तियों हेतु आयातों को लागू एंटी-डम्पिंग और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी ।

#### 4.1.5

(क )अग्रिम प्राधिकार पत्र और/अथवा उनके तहत आयातित माल वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा । निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद भी यह हस्तान्तरणीय नहीं होगा ।



तथापि, प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व की पूर्ति करने के बाद शुल्क मुक्त निविष्टियों में से विनिर्मित उत्पाद के निपटान का विकल्प प्राप्त होगा। ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व के पूरा होने के बाद भी, निर्यातित माल के लिए निविष्टियों पर सेनवेट क्रेडिट सुविधा प्राप्त की गई है, अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातित माल उसी फैक्टरी के भीतर अथवा बाहर (सहायक विनिर्माता द्वारा) केवल शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकार पत्र धारक, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ई ओ डी सी के लिए आवेदन भरने के समय, निर्यातक के विकल्प पर, क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक अथवा सनदी लेखापाल से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ख) इसके अलावा, यथा अनुमत, विनिर्माण अपशिष्ट/स्क्रेप का निर्यात दायित्व की पूर्ति से पहले लागू शुल्क के भुगतान पर निपटान किया जा सकता है।

#### 4.1.6 न्यूनतम मूल्य संवर्धन

(क) प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 के परिशिष्ट-11ख में विनिर्दिष्ट मदों तथा रत्न और आभूषण क्षेत्र की मदों, जिनके लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 4क 2.1 के अनुसार मूल्य संवर्धन होगा, को छोड़कर अग्रिम प्राधिकार पत्र न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्य संवर्धन के साथ निर्यात की अपेक्षा करता है। वसूली की बारम्बारता का ध्यान दिए बिना, एसईजेड एककों को निर्यात/विकासक/सह-विकासक को आपूर्तियाँ भी इसमें शामिल होगी।

(ख) ऐसा वास्तविक निर्यात जिसका भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है, वह प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-11 में यथाविनिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।

(ग) चाय के आयात के लिए प्राधिकार पत्र के मामले में, अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत न्यूनतम मूल्य संवर्धन 50 प्रतिशत होगा।

(घ) इसी प्रकार मसालों के मामले में (आई टी सी (एच एस) के अध्याय-9 में शामिल) मसालों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति केवल मूल्य संवर्धन प्रयोजनों जैसे क्रशिंग/ग्राइन्डिंग/ स्टेरीलाइजेशन या तेलों और ओलियों

रेजिन्स के विनिर्माण हेतु होगी और सामान्य क्लीनिंग, ग्रेडिंग, रिपैकिंग आदि के लिए अनुमति नहीं होगी ।

**4.1.7**  
**वैधता और निर्यात**  
**दायित्व**

(क) प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख को प्रभावी नीति और प्रक्रिया के अनुसार अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी किया जाएगा।

(ख) आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी ।

**4.1.8**  
**विदेशी क्रेता द्वारा**  
**निःशुल्क आपूर्ति**

अग्रिम प्राधिकार पत्र की सुविधा वहाँ भी उपलब्ध होगी जहाँ विदेशी क्रेता द्वारा निर्यातक को कुछ अथवा सभी निविष्टियों की निशुल्क आपूर्ति की जाती है । ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन की गणना हेतु, निशुल्क निविष्टियों के काल्पनिक मूल्य के साथ अन्य शुल्क मुक्त निविष्टियों को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

**4.1.9**  
**निर्यात दायित्व**

अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित अनुसार होगी ।

**4.1.9क**  
**बी आई एफ आर**  
**यूनिटों हेतु प्रावधान**

बी आई एफ आर के पास पंजीकृत किसी फर्म/कम्पनी अथवा यूनिट का अधिग्रहण करने वाली किसी फर्म/कम्पनी, जो बी आई एफ आर के अन्तर्गत हो, उसे बी आई एफ आर के अनुमोदन अथवा 5वर्ष यदि विनिर्दिष्ट न हो की शर्त के अधीन, तैयार किए गए पुनर्वास पैकेज के अनुसार संयोजन शुल्क की अदायगी के बिना निर्यात दायित्व अवधि को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। संबंधित राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के अंतर्गत यह सुविधा लघु उद्योग इकाइयों को भी मुहैया कराई जाएगी ।

**4.1.10**  
**वार्षिक आवश्यकता के**  
**लिए अग्रिम प्राधिकार**  
**पत्र**

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र वार्षिक अपेक्षाओं के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं। आयातों को मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, एन्टि डम्पिंग शुल्क और सुरक्षोपाय शुल्क, यदि कोई है, की अदायगी से छूट प्राप्त है ।

(ख) निर्यातक, जिनका विगत निर्यात निष्पादन (पिछले दो

वर्षों में) हो, वे भी वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु पात्र होंगे ।

(ग) आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अनुसार हकदारी वास्तविक निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 300 प्रतिशत और/अथवा पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में मान्य निर्यात के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य या एक करोड़ रुपये, जो भी अधिक हो, तक होगी ।

#### **4.1.11**

##### **अग्रिम रिलीज आदेश (एआरओ) और अवैधीकरण पत्र**

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र और शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र का धारक जो सीधे आयात के बदले स्वदेशी स्रोतों/राज्य व्यापार अभिकरणों से निविष्टियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे उन निविष्टियों को अग्रिम रिलीज आदेश या अवैधीकरण प्रमाणपत्र के प्रति मुक्त विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपए में प्राप्त करने का विकल्प होगा। तथापि, ई.ओ.यू/ ई.एच.टी. पी/बी.टी. पी/एस.टी. पी/एस ई जैड युनिटों से ए.आर.ओ या अवैधीकरण पत्र को परिवर्तन किए बिना प्राधिकार पत्र के प्रति आपूर्तियां प्राप्त की जा सकती हैं ।

(ख) डी एफ आई ए के हस्तान्तरी ए आर ओ/अवैधीकरण पत्र सुविधा के लिए भी पात्र होगा। ए.आर.ओ की वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथानिर्धारित के अनुसार होगी ।

#### **4.1.12**

##### **बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र**

अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, वार्षिक अपेक्षाओं के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र और डीएफआईए अग्रिम रिलीज आदेश या अवैधीकरण पत्र के लिए आवेदन करने के बजाय, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र का लाभ उठा सकता है ।

#### **4.1.13**

##### **निषिद्ध/प्रतिबंधित/राज्य व्यापार उद्यम मदों का आयात/निर्यात**

(क) यदि किसी मद का क्रमशः आयात अथवा निर्यात निषिद्ध है तो अग्रिम प्राधिकार/डी एफ आई ए के अंतर्गत उस मद का आयात अथवा निर्यात अनुमेय नहीं होगा ।

(ख) राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात हेतु आरक्षित मदों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए प्रमाणपत्र के मद्दे आयात नहीं किया जा सकता । तथापि, ये मदें ए.आर.ओ. अथवा अवैधीकरण पत्र के मद्दे राज्य व्यापार उद्यमों से खरीदी जा सकती हैं। अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए

धारक को समुद्र में बिक्री के आधार पर माल की बिक्री की अनुमति राज्य व्यापार उद्यमों को भी दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार उद्यमों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए धारक द्वारा आयात के लिए “अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)” जारी करने की अनुमति है । प्राधिकार पत्र धारक को उन “अनापत्ति प्रमाणपत्र” के मद्दे किए गए आयातों की तिमाही विवरणी संबंधित राज्य व्यापार उद्यम को प्रस्तुत करनी होगी और राज्य व्यापार उद्यम, ऐसे आयातों के अर्द्धवार्षिक आयात आँकड़े, निगरानी हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजने होंगे। इसकी एक प्रति डी जी एफ टी को भेजी जाए ।

(ग) राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा निर्यातों के लिए आरक्षित मर्दे केवल संबंधित राज्य व्यापार उद्यम से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त करने के बाद अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के तहत निर्यात की जा सकती हैं ।

(घ) प्रतिबंधित मर्दों का आयात अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के तहत अनुमत होगा ।

(ड.) प्रतिबंधित/स्कोमैट मर्दों का निर्यात तथापि, निर्यात प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता अथवा सभी शर्तों के मद्दे आईटीसी(एचएस) की अनुसूची-2 के तहत होगा ।

#### **4.1.14** **शुल्क वापसी की** **स्वीकार्यता**

अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में, निर्यातित माल में प्रयुक्त, शुल्क भुगतान किए गए माल पर शुल्क वापसी उपलब्ध होगी, चाहे आयातित या स्वदेशी हो, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (शुल्क वापसी निदेशालय) द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार, शुल्क वापसी उपलब्ध होगी। तथापि, शुल्क वापसी केवल ऐसी शुल्क अदा की गई मर्दों के लिए अनुमत होगी जो कि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र पर पृष्ठांकित की गई है।

### **शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डी एफ आई ए) स्कीम**

#### **4.2.1** **स्कीम**

निविष्टियों, ईंधन, तेल, ऊर्जा स्रोत, उत्प्रेरक के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी के लिए एक शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) पत्र जारी किया जाता है जिनकी निर्यात

उत्पाद के उत्पादन के लिए जरूरत होती है। महानिदेशक, विदेश व्यापार, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, डी एफ आई ए की सीमा से किसी उत्पाद(उत्पादों) को बाहर कर सकते हैं।

#### **4.2.2 हकदारी**

(क) डी एफ आई ए के मामले में पैराग्राफ 4.1.3 के प्रावधान लागू होंगे। तथापि, ये प्राधिकार पत्र उन उत्पादों के लिए जारी किए जाएंगे जिनके लिए निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) अधिसूचित किए गए हैं।

(ख) डी एफ आई ए नीति और प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख को लागू प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा।

(ग) पश्च निर्यात डी एफ आई ए के मामले में, व्यापारी निर्यातक को केवल निर्यात उत्पाद (उत्पादों) के विनिर्माता (विनिर्माताओं) के नाम और पते का उल्लेख करना होगा। डी एफ आई ए के तहत निर्यात करने से पहले आवेदक को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(घ) निर्यात पूर्व प्राधिकार पत्र वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन जारी किए जाएंगे तथा मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकर, एण्टी डम्पिंग शुल्क और सुरक्षात्मक शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट दी जाएगी।

(ड.) वास्तविक प्रयोक्ता डी एफ आई ए के मामले में और जहाँ निर्यात दायित्व पूरा होने के बाद भी निर्यातित माल के लिए निविष्टियों पर सेनवैट क्रेडिट सुविधा प्राप्त की गई है, ऐसे डी एफ आई ए के मद्दे आयातित माल उस फैक्टरी के भीतर अथवा बाहर (सहायक विनिर्माता द्वारा) शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में प्रयोग किया जाएगा।

#### **4.2.3 आयात मर्दे**

डी एफ आई ए धारक के लिए विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13 और 4.1.14 के प्रावधान लागू होंगे।

#### **4.2.4 मूल्य संवर्धन**

डी एफ आई ए जारी करने के लिए न्यूनतम 20% मूल्य संवर्धन अपेक्षित होगा। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 4क.2.1 के तहत निर्धारित रत्न और आभूषण क्षेत्र लागू होंगे। इसी प्रकार अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अन्तर्गत जिन मदों के

लिए अधिक मूल्य संवर्धन निर्धारित किया गया है, डी एफ आई ए के लिए वही मूल्य संवर्धन लागू होगा ।

#### **4.2.5 निर्यात दायित्व**

निर्यात दायित्व को पूरा करने से संबंधित प्रक्रिया और इसे पूरा करने के लिए अनुमत समयावधि प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के अध्याय 4 में दी गई है ।

#### **4.2.6 हस्तान्तरणीयता**

(क) निर्यात दायित्व पूर्ण हो जाने के बाद, प्राधिकार पत्र की हस्तान्तरणीयता अथवा इसके मद्दे आयातित निविष्टियों के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकता है। हस्तान्तरणीयता पृष्ठांकित होने के बाद, प्राधिकार पत्र धारक, डी जी एफ टी द्वारा अधिसूचित ईंधन और अन्य मद (मदों) के अलावा, डी एफ आई ए अथवा शुल्क मुक्त निविष्टियों का हस्तान्तरण कर सकता है । तथापि, ईंधन के लिए, आयात हकदारी केवल उन कम्पनियों को हस्तान्तरित की जाएगी, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकार पत्र मंजूर किया गया है।

(ख) जहाँ कहीं सिओन वास्तविक प्रयोक्ता शर्त निर्धारित करता है और एसिटिक एनहाइड्राइड, इफेड्राइन और स्यूडो इफेड्राइन के मामले में, इन निविष्टियों के लिए वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ डी एफ आई ए जारी किए जाएंगे तथा निर्यात दायित्व पूरा करने के बाद भी इन निविष्टियों हेतु कोई हस्तान्तरणीयता अनुमत नहीं होगी।

(ग) हस्तान्तरणीयता पृष्ठांकित होने के बाद, प्राधिकार पत्र के मद्दे आयात/घरेलू प्रापण अथवा आयातित निविष्टियों/घरेलू स्रोतों से प्राप्त निविष्टियों के हस्तान्तरण अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान करने की शर्त पर होंगे । हस्तान्तरणीयता पृष्ठांकित करते समय, प्राधिकार पत्र में ऐसी अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क की देयता संबंधी टिप्पणी लिखी होगी। तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ सेनवेट सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया है, डी एफ आई ए पर हस्तान्तरणीयता के पृष्ठांकन के बाद भी अतिरिक्त सीमाशुल्क/ उत्पाद शुल्क से छूट मिलेगी ।

#### **4.2.7 सेनवेट सुविधा**

आयातित या घरेलू स्रोतों से प्राप्त निविष्टियों हेतु सेनवेट क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी ।

## शुल्क हकदारी पास बुक (डी ई पी बी) स्कीम

### 4.3

#### शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम (डी ई पी बी)

शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम का उद्देश्य निर्यात उत्पाद के आयात अंश पर लागू सीमाशुल्क को अप्रभावी करना है। ईंधन पर सीमा शुल्क का हिस्सा डीईपीबी दर में भी सेन्चैट क्रेडिट की अनुपलब्धता के मामले में डीईपीबी के रूप में दर्शाया गया विशेष अतिरिक्त शुल्क का हिस्सा डी ई पी बी दर (ब्रांड दर के रूप में) के तहत में भी अनुमत होगा। निष्प्रभावीकरण निर्यात उत्पाद के मद्दे शुल्क क्रेडिट की मंजूरी से किया जाएगा। 1.10.2011 को या इसके बाद में किए गए निर्यातों के संबंध में डीईपीबी स्कीम समाप्त हो गई है।

#### 4.3.1

(क) एक निर्यातक, मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के रूप में, क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है। डी टी ए यूनिट से एस ई जैड यूनिट/एस ई जैड विकासक/सह-विकासक को आपूर्ति के मामले में, निर्यातक एस ई जैड यूनिट/एस ई जैड विकासक/सह-विकासक के विदेशी मुद्रा खाते से किए गए भुगतान अथवा मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए निर्यातों के लिए क्रेडिट के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक डी ई पी बी लाभ पाने का भी हकदार होगा, यदि 10.2.2006 से प्राप्त आपूर्तियों के लिए एस ई जैड विकासक/सह विकासक द्वारा भारतीय रुपयों में भुगतान किया गया है।

(ख) क्रेडिट, ऐसे निर्यात उत्पादों और ऐसी दरों के मद्दे उपलब्ध होगा जो विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों। क्रेडिट का इस्तेमाल मुक्त रूप से आयात योग्य मदों और/या प्रति-बन्धित मदों पर सीमाशुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है। ईपीसीजी स्कीम के तहत किए गए आयातों के शुल्क के भुगतान हेतु डीईपीबी स्क्रिप भी प्रयोग में लाई जा सकती है। इसके अलावा, इस नीति के अध्याय 4 और 5 के अन्तर्गत जारी अनुदेशों में निर्यात दायित्व चूक शुल्क के मामले में सीमा शुल्क के भुगतान हेतु डी ई पी बी स्क्रिप्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, जुर्माना/ब्याज की रकम का नगद भुगतान करना अपेक्षित होगा।

(ग) आईटीसी (एचएस) पुस्तक (समय-समय पर यथा

संशोधित) में उल्लिखित निर्यात की निषिद्ध मदों विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 1.5 के अनुसार, जहाँ अनुमत है, अंतरण सुविधा के तहत निर्यातों को छोड़कर डीईपीबी क्रेडिट की हकदार नहीं होंगी।

#### **4.3.2**

डी ई पी बी धारक के पास अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान नगद करने का विकल्प भी होगा ।

#### **4.3.3**

##### **वैधता**

आयात के लिए डी ई पी बी की वैधता की अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित के अनुसार होगी ।

#### **4.3.4**

##### **हस्तांतरणीयता**

(क) डी ई पी बी और/अथवा इसके प्रति आयातित मदें मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं। तथापि, डी ई पी बी का हस्तांतरण आयात के लिए विनिर्दिष्ट उस पत्तन पर होगा जहाँ से निर्यात किया गया है।

(ख) निर्यात के पत्तन से अलग पत्तन से आयातों को राजस्व विभाग की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार टी आर ए सुविधा के तहत अनुमति दी जाएगी ।

#### **4.3.5**

##### **शुल्क वापसी की उपयुक्तता**

डी ई पी बी के अधीन डेबिट के माध्यम से अथवा नकद अदा किया गया अतिरिक्त सीमाशुल्क/ उत्पाद शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सेनेवैट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में भी समायोजित किया जाएगा।

### **रत्न और आभूषण**

#### **4क**

##### **रत्न और आभूषण के लिए स्कीम**

रत्न और आभूषण निर्यातक, विनिर्माण के लिए शुल्क मुक्त निविष्टियों का आयात प्राप्त कर सकते हैं ।

#### **4क.1**

##### **प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र**

(क) निर्यातक प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र (आर ई पी) प्राप्त कर सकते हैं ।

(ख) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4क.28 के अनुसार प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र उपभोक्त्यों हेतु हो सकते हैं ।

#### **4क.2**

##### **प्रमाणन/ग्रेडिंग और**

जैमोलोजिकल इन्स्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जी आई ए) की अथवा इस संबंध में अनुमोदित अन्य कोई एजेन्सी का भारत



**पुनः निर्यात के लिए  
हीरों का आयात**

में, प्राधिकृत कार्यालय/एजेन्सियाँ उनके द्वारा प्रमाणन/ग्रेडिंग रिपोर्टों के प्रयोजन, के लिए उनकी प्रयोगशालाओं को हीरे आयात करने की अनुमति होगी बशर्ते कि इसे प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किसी आयात शुल्क के बिना उनके द्वारा जारी प्रमाणन/ ग्रेडिंग रिपोर्टों के साथ पुनः निर्यातित किया जाएगा ।

**4क.2.1  
कटे हुए और पॉलिश  
किए गए हीरों का  
प्रमाणन/ ग्रेडिंग और  
पुनः आयात के लिए  
निर्यात**

0.25 कैरेट और ऊपर के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए निम्नलिखित प्राधिकृत प्रयोगशालाएं हैं :-

- (i) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, गुजरात;
- (ii) अमरीकी रत्न सोसायटी प्रयोगशालाएं (ए जी एस प्रयोगशालाएं) 8917, वेस्ट सहारा एवेन्यू, लॉस बेगास, नवादा 89117;
- (iii) सेंट्रल जैम लेबोरेटरी, मियागी भवन, 5-15-14, यूनो टायटो-क्यू, टोक्यो, जापान
- (iv) डायमंड ट्रेडिंग कम्पनी, मैडनहैड ब्रिटेन;
- (v) यूरोपीय जैमोलोजिकल लैबोरेटरी (ई जी एल) यू एस ए;
- (vi) जेमोलोजिकल इन्स्टीच्यूट ऑफ अमरीका (जी आई ए) संयुक्त राज्य अमरीका;
- (vii) होज रोड वूर डायमंड, अंतर्वर्ष, (एच आर डी);
- (viii) इन्टरनेशनल डायमंड लेबोरेटरीज डी एम सी सी, दुबई
- (ix) दि रॉबर्ट मुआवाड कैम्पस, इन्टरनेशनल जेमोलोजिकल इन्स्टीच्यूट (आई जी आई) संयुक्त राज्य अमरीका; और
- (x) वर्ल्ड डायमंड सेन्टर ऑफ डायमंड हाई काउंसिल, अन्तर्वर्ष, बेल्जियम ।

**4क.2.2**

निर्यातक (पिछले तीन वर्षों में 5 करोड़ रु0 के वार्षिक निर्यात कारोबार के साथ) निर्यात की तारीख से तीन महीने के भीतर शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ उपर्युक्त में से

किन्हीं एजेंसियों/प्रयोगशालाओं को विदेश में कटे हुए और पालिश किए गए हीरों (प्रत्येक 0.25 कैरेट अथवा अधिक) का निर्यात कर सकता है। निर्यात और तत्पश्चात शून्य शुल्क पर पुनः आयात की ऐसी सुविधा सीबीईसी, राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

**4क.3**  
**स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम**  
**के आभूषणों के लिए**  
**स्कीमें**

स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं के निर्यातक इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, माउंटिंग्स, फाइंडिंग्स, अपरिष्कृत रत्न, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर, सिन्थेटिक पत्थर और असंसाधित मोती आदि जैसी अपनी अनिवार्य निविष्टियों का आयात कर सकते हैं।

**4क.4**  
**नामित एजेंसियां**

(क) नामित एजेंसियां ये हैं - एमएमटीसी लिमिटेड, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पी ई सी), एस टी सी एल लि०, एम एस टी सी लि०, डायमण्ड इण्डिया लि० (डी आई एल), रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी एण्ड जे ई पी सी), स्टार व्यापार सदन (केवल रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए) और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.10.2 के तहत प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस और भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी। निर्यातक (ई ओ यू और एस ई जेड में ईकाइयों को छोड़कर) नामित एजेंसियों से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) इन एजेंसियों (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत और ई ओ यू और एस ई जेड स्कीमों के तहत संचालित रत्न एवं आभूषण यूनिटों को छोड़कर) द्वारा बहुमूल्य धातुओं के आयात के लिए प्रक्रिया और उनकी निगरानी प्रणाली, इस संबंध में दिए गए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों के अनुसार, शोधन हेतु स्वर्ण छीजन का निर्यात तथा मानक स्वर्ण छड़ों का आयात कर सकता है।

**4क.5**  
**निर्यात की मर्दे**

निम्नलिखित मर्दों का, यदि निर्यात किया जाता है, तो वे इन सुविधाओं के लिए पात्र होंगी :

(क) 8 कैरेट या अधिक सोने वाले, सोने के जेवरात चाहे सादे हों अथवा जड़ित, जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषणों तथा ऐसी अन्य वस्तुएं, जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के शामिल नहीं हैं )

(ख) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले, चांदी के जेवरात, जिसमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषण, चांदी के बर्तन, चांदी के स्ट्रिप्स और वस्तुएं, मैडल और सिक्के शामिल हैं (इनमें वैध टेंडर वाले सिक्के और कोई इंजीनियरी माल शामिल नहीं है।)

(ग) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक भार प्लेटिनम वाले, प्लेटिनम के जेवरात जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषण तथा वस्तुएं, जिनमें तमगे एवं सिक्के भी शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के व इंजीनियरिंग माल शामिल नहीं हैं)।

**4क.6**  
**मूल्य परिवर्धन**

रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए मूल्य संवर्धन (वी ए) प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 4क.2.1 में दिए अनुसार होगी । इसका आकलन निम्नानुसार किया जाएगा :-

ए - बी

वी. ए =  $\frac{\text{-----}}{\text{बी}} \times 100$  जहाँ

ए. = प्राप्त निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य

बी. = निविष्टियों का मूल्य (घरेलू स्रोतों से प्राप्ति सहित), जैसे निर्यात उत्पाद में स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम अंश तथा रत्न आदि जैसी अन्य मर्दों के मूल्य सहित अनुमत अपशिष्ट का योग। जहाँ कहीं भी सोने को ऋण आधार पर दिया गया है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में ब्याज के भुगतान को भी मूल्य में शामिल किया जाएगा ।

**4क.7**  
**छीजन मानदंड**

सोने/चांदी/प्लेटिनम के जेवरात के लिए विनिर्माण हानि अथवा छीजन, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 4क.2 में विनिर्दिष्ट के अनुसार अनुमत होगी ।

**4क.8****विदेशी क्रेता द्वारा  
आपूर्ति के मद्दे  
निर्यात**

(क) जहाँ निर्यात आदेश, तीन वर्ष के अनुभव वाली नामित एजेंसी/स्तर धारियों/निर्यातकों जिन्होंने पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, को दिया जाता है, वहाँ विदेशी क्रेता विनिर्माण और निर्यात के लिए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम, एलॉय, चांदी/स्वर्ण/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माउंटिंग का अग्रिम और प्रभार मुक्त रूप में आपूर्ति कर सकता है।

(ख) ऐसी आपूर्तियां अग्रिम तौर पर की जा सकती है और इनमें अर्ध परिष्कृत आभूषण जिनमें मरम्मत/ पुनःनिर्माण और निर्यात के लिए फाइंडिंग/माउंटिंग/कम्पोनेन्ट्स शामिल हैं, बशर्ते कि न्यूनतम मूल्य संवर्धन प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैरा 4क.2.1 के तहत यथा- निर्धारित हो। निर्यात के ऐसे मामलों में पैरा 4क.2 के अनुसार मानदण्ड लागू होंगे।

(ग) नामित अभिकरणों द्वारा सीधे या उनकी सहयोगी कम्पनियों या स्तरधारियों/निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है। फाइंडिंग्स का आयात और निर्यात नेट टू नेट आधार पर किया जाएगा।

**4क.9****नामित एजेंसियों  
द्वारा आपूर्ति के मद्दे  
निर्यात**

निर्यातक, इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्यात उत्पादों के लिए सोने/चांदी/प्लेटिनम को निविष्टि के रूप में अग्रिम अथवा निर्यात के बाद प्रतिपूर्ति के तौर पर नामित एजेंसियों से प्राप्त कर सकता है।

**4क.10****अग्रिम प्राधिकार पत्र  
के मद्दे निर्यात**

निम्नलिखित हेतु शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र दिया जा सकता है :-

- (i) कम से कम 0.995 शुद्धता का सोना, और 8 कैरेट और अधिक के माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स।
- (ii) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी, और माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो।
- (iii) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लेटिनम और माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम हो।

**4क.11**

ऐसे प्राधिकार पत्रों में निर्यात दायित्व की शर्त लगाई जायेगी

जिसे प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 4क.2.1 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा। अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक सीधे आयात के बदले नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

**4क.12**  
**रत्न प्रतिपूर्ति**  
**प्राधिकार पत्र**

ऊपर पैरा 4क.8, 4क.9 और 4क.10 में दिए गए अनुसार रत्न प्रतिपूर्ति (रत्न और आभूषण प्रतिपूर्ति) प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है। सादा या जड़ित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम जेवरात और उनकी वस्तुओं के मामले में, ऐसे प्राधिकार पत्र के मूल्य, का निर्धारण, विनिर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य संवर्धन से अधिक की वसूली के संदर्भ में किया जाएगा। ऐसे रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगे।

**4क.13**  
**रत्न प्रतिपूर्ति दर**  
**और मद**

प्रतिपूर्ति की दर और आयात की मद, प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) के परिशिष्ट 12ख के अनुसार निर्धारित होगी।

**4क.14**  
**निर्यात संवर्धन दौरे/**  
**ब्राण्डेड आभूषणों का**  
**निर्यात**

(क) वाणिज्य विभाग के अनुमोदन से नामित एजेंसियों और उनके सहयोगी तथा अन्य रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं।

(ख) स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण, कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थरों, मणियों और वस्तुओं को व्यक्तिगत तौर पर ले जाने तथा ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात की भी अनुमति है बशर्ते ये प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दी गई शर्तों के अधीन हो।

**4क.15**  
**निर्यात/आयात**  
**पार्सलों को**  
**व्यक्तिगत तौर पर**  
**लाना-ले जाना**

विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्न और आभूषण के निर्यात पार्सलों तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी द्वारा आयात पार्सल को व्यक्तिगत तौर पर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लाने- ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

**4क.16**  
**डाक द्वारा निर्यात**

विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात के मामले में (जिसमें स्पीड पोस्ट द्वारा निर्यात भी शामिल है,) आभूषण के पार्सल भार के रूप में 20 किग्रा. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

**4क.17****हीरा और जवाहरात  
डॉलर खाते**

(क) अपरिष्कृत या कटे और पालिश किए हीरों/रत्नों के सादे आभूषण, मीनाकारी और/या हीरे से जड़ित/रहित और/या अन्य पत्थर की खरीद/बिक्री करने वाली फर्में तथा कम्पनियाँ, जिनका हीरों/रंगीन रत्नों/हीरे व रंगीन रत्नों से जड़ित आभूषणों/सादे स्वर्ण आभूषणों के आयात या निर्यात में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव हो और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 3 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत कारोबार हो, नामजद हीरा डॉलर खातों (डी डी ए) के जरिये अपना व्यापार जारी रख सकती हैं।

(ख) ऐसे खातों में डॉलर, बैंक वित्त और/या निर्यात आय से उपलब्ध होगा और इसका प्रयोग केवल निम्नलिखित हेतु होगा-

(i) विदेशी/स्थानीय स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों का आयात/खरीद;

(ii) स्थानीय स्रोतों से कटे और पालिश हीरों, रंगीन रत्नों और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद,

(iii) विदेशी/नामित एजेन्सियों से स्वर्ण का आयात/ खरीद तथा बैंक से डॉलर ऋणों का पुनः भुगतान, और

(iv) निर्यातक के रुपये खाते में हस्तांतरण। इस हीरा डॉलर खाता(डी डी ए) स्कीम के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिये गये हैं।

(ग) गैर डी डी ए धारक को भी कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की डीडीए धारक को आपूर्ति करने की अनुमति है, भुगतान डालर में मिलेगा तथा इसे 7 दिन के भीतर रुपयों में बदलना होगा। कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों और रंगीन रत्नों की गैर डी डी ए धारक द्वारा की गई आपूर्ति को भी उसके निर्यात दायित्व को पूरा किया गया ही माना जाएगा और/या इसे प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र का हक प्राप्त हो जाएगा।

**4क 18.****परिशोधन तथा पुनः  
आयात के लिए कटे  
एवं पॉलिश किए हुए  
बहुमूल्य और अर्द्ध-  
बहुमूल्य पत्थरों का**

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को सीमाशुल्क नियमावली एवं विनियमन के अनुसार परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात करने की अनुमति होगी। पुनः निर्यात के मामले में, निर्यातक नियमानुसार शुल्क वापसी का हकदार होगा।

## निर्यात

### **4क 19. अस्वीकृत आभूषण का पुनः आयात**

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड - 1 के पैरा 4क 32 के अनुसार अस्वीकृत बहुमूल्य धातु आभूषणों का पुनः आयात की करने अनुमति होगी ।

### **4क 20. खेप आधार पर निर्यात और आयात**

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, खण्ड-1 के अनुसार और इस संबंध में सीमाशुल्क नियमावली और विनियमन के अनुसार खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषणों के निर्यात और आयात की अनुमति होगी।

## अध्याय - 5

### निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम

#### 5.1

#### शून्य शुल्क

#### ई.पी.सी.जी स्कीम

(क) पूर्व उत्पादन, उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं (कम्प्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम के साथ उनके सी के डी/एस के डी समेत) का शून्य सीमाशुल्क के आधार पर शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात अनुमत है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से 6 वर्षों तक ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाए।

(ख) इंजीनियरी और इलेक्ट्रानिक उत्पादों, मूल रसायनों और भेषजों, परिधान और वस्त्र, प्लास्टिक, हस्तशिल्प, रसायन और सम्बद्ध उत्पादों तथा चमड़ा और चमड़ा उत्पादों, पेपर एवं पेपरबोर्ड और उसकी वस्तुएँ, सेरामिक उत्पाद, रिफ्रेक्टरीज, ग्लास एवं ग्लासवेयर, रबड़ एवं उसकी वस्तुएँ, लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएँ, समुद्री उत्पाद, खेलकूद का सामान और खिलौनों के निर्यातकों हेतु यह स्कीम उपलब्ध होगी।

(ग) तथापि, शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम, आईटीसी (एच एस) वर्गीकरण के निम्नलिखित अध्यायों/शीर्षकों के तहत उत्पादों के निर्यात से सम्बंधित पूंजीगत माल के आयात के लिए उपलब्ध नहीं होगी:

(i) अध्याय 1,2,4 से 24, 25 से 27, 31, 43, 44, (प्लाईवुड और सम्बद्ध उत्पादों को छोड़कर) 45, 47 68, 71, 81 (केवल प्रारम्भिक और अन्तर्वर्ती रूप में धातु) 89, 93, 97, 98

(ii) आईटीसी (एच एस) 4011 से 4013, आईटीसी (एचएस) 7401 से 7406, 7501 से 7504, 7601 से 7603, 7801, 7802, 7901 से 7903, 8001, 8002 और 8401. तथापि शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम अध्याय 5, 68, 97 के तहत हस्तशिल्प निर्यातों के लिए उपलब्ध होगी।

(घ) शून्य शुल्क स्कीम उन यूनिटों के लिए भी नहीं होगा जोकि अभी वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शासित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) के तहत कोई लाभ प्राप्त



कर रहे हैं।

(ड.) ऐसे निर्यातकों को भी शून्य शुल्क स्कीम उपलब्ध होगी, जो टीयूएफएस लाभ ले चुके हैं :

(i) लेकिन टी यू एफ एस (जैसे कॉटन यार्न) में किया जा रहा व्यापार ईपीसीजी (जैसे ब्लास्ट फर्नेस के लिए मशीनरी) के तहत किए जा रहे व्यापार से अलग हो; अथवा

(ii) यदि निर्यातक ईपीसीजी प्राप्त करने से पहले, लागू ब्याज सहित टीयूएफएस के तहत प्राप्त लाभ वापस कर देता है।

(च) शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम उन निर्यातकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिन्होंने उस वर्ष विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.16 के अन्तर्गत स्तरधारक प्रोत्साहन स्कीम का लाभ नहीं लिया है। यदि उन्होंने पहले ही एसएचआईएस लाभ प्राप्त कर लिया है तो वे शून्य शुल्क स्कीम के लिए पात्र होंगे यदि उन्होंने उपरोक्त ड.(ii) में दिए अनुसार एसएचआईएस को वापस या प्राप्त लाभ वापस कर दिया है।

(छ) इस अध्याय के तहत रियायती 3% शुल्क ईपीसीजी स्कीम से संबंधित अन्य सभी प्रावधान उस सीमा तक शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के लिए भी लागू होंगे जो शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप हों।

(ज) शून्य शुल्क ई पी सी जी स्कीम 31.3.2013 तक लागू रहेगी, जब तक कि अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

## 5.2

### **रियायती 3% शुल्क ई पी सी जी स्कीम**

(क) पूर्व उत्पादन, उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए पूँजीगत वस्तुओं (कम्प्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम के साथ उनके एस के डी/सी के डी समेत) का आयात इस स्कीम के तहत 3% मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) के भुगतान के मद्दे किया जा सकता है। निर्यात दायित्व (ई ओ) बचाए गए शुल्क का 8 गुना होगा (अर्थात भुगतान किए गए शुल्क और 3% बीसीडी का अन्तर)। निर्यात दायित्व अवधि (ई ओ पी) प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 8 वर्ष होगी।

(ख) बचाए गए शुल्क का 6 गुना निर्यात दायित्व और 12 वर्ष की निर्यात दायित्व अवधि निम्नलिखित पर लागू होगा :

(i) कृषि ईकाइयाँ और

(ii) कुटीर अथवा अत्यंत छोटी ईकाइयाँ

(ग) बचाए गए शुल्क का 6 गुना निर्यात दायित्व और 8 वर्ष

की निर्यात दायित्व अवधि उन लघु उद्योग एककों पर लागू है जिनका संयंत्र और मशीनरी पर कुल निवेश लघु उद्योग एककों की निवेश सीमा से अधिक न हो और पहुँचाने का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 50 लाख रुपये तक है ।

(घ) 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक शुल्क बचाने वाले ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के सम्बन्ध में, निर्यात दायित्व अवधि 12 वर्ष होगी ।

(ङ.) यदि ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातों पर सी वी डी नकद रूप में अदा किया गया है तो, सी वी डी बचाए गए निवल शुल्क के लिए नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि इसे सेन्वेट न किया गया हो ।

(च) पूंजीगत माल में स्पेयर्स (रिफर्बिशड/रिकण्डीशन्ड स्पेयर्स सहित) औजार, जिग्स, फिक्चर, डाइज और माउल्ड्स शामिल होंगे ।

(छ) ई पी सी जी स्कीम के अधीन पुराने पूंजीगत माल का आयात भी कालावधि संबंधी किसी प्रतिबन्ध के बिना किया जा सकेगा।

(ज) मोटर कारों, खेल कूद के लिए उपयोगी वाहनों/सभी प्रयोजनों के वाहनों के आयात की अनुमति केवल होटलों, ट्रैवल एजेंटों, टूर प्रचालकों अथवा टूर परिवहन प्रचालकों और गोल्फ रिजार्ट्स का स्वामित्व रखने वाली/संचालन करने वाली कम्पनियों को निम्नलिखित शर्त के अधीन दी जायेगी:

(i) होटल, ट्रैवल तथा टूरिज्म और गोल्फ टूरिज्म क्षेत्रों, जिनका चालू और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कुल विदेशी मुद्रा अर्जन 1.5 करोड़ रुपये अथवा अधिक हो ।

(ii) मोटरकारों, खेलकूद के लिए उपयोगी वाहनों/सभी प्रयोजनों के वाहनों के आयात हेतु किसी लाइसेंसिंग वर्ष में जारी सभी ई पी सी जी प्राधिकारों पत्रों पर बचाई गई शुल्क- राशि विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में होटल, ट्रैवल और टूरिज्म और गोल्फ टूरिज्म क्षेत्रों से औसत अर्जित विदेशी मुद्रा के 50% से अधिक नहीं होगी ।

(iii) आयातित वाहनों को सिर्फ पर्यटन हेतु प्रयोग किए जाने के

लिए पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को वाहन के आयात की पुष्टि हेतु प्रस्तुत करनी होगी। तथापि, मोटर कारों, खेलकूद के लिए उपयोगी वाहनों/सभी प्रयोजनों के वाहनों के पुर्जे जैसे चेसिस आदि, का ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात नहीं किया जा सकेगा ।

(झ) आई टी सी (एच एस) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रतिबन्धित मर्चों के आयात की अनुमति मुख्यालय स्थित ई एफ सी से अनुमोदन के बाद ईपीसीजी स्कीम के तहत ही दी जाएगी ।

## **5.2 क**

(क) मौजूदा संयंत्र और मशीनरी (ई पी सी जी अथवा अन्यथा के तहत पहले से आयातित) के लिए प्रारंभिक लाइनिंग हेतु स्पेयर्स (रिफर्बिशड/रिकण्डीशन्ड स्पेयर्स सहित), माउल्ड्स, डाईज, जिग्स, फिक्चर्स, औजार, रिफ्रैक्टरीज और प्रारंभिक चार्ज के लिए उत्प्रेरक तथा उसके बाद के चार्ज के लिए जो निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) के दौरान अधिकतम 2 गुणा होगी, के आयात की ई पी सी जी स्कीम के तहत अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से 8 वर्षों (शुन्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के लिए 6 वर्ष) में उपरोक्त पैरा 5.1 और 5.2 (पूँजीगत माल के आयात के लिए) में निर्धारित निर्यात दायित्व के 50% के बराबर निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा । यह हालांकि इस शर्त के अधीन होगा कि उपरोक्त स्पेयर्स आदि के आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातित प्लांट और मशीनरी के मूल्य के 10 % तक सीमित होगा । ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात नहीं किए गए प्लांट और मशीनरी के मामले में स्पेयर्स आदि के आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य प्लांट और मशीनरी के बुक वैल्यू के 10% तक सीमित होगा ।

(ख) यदि पूँजीगत माल किसी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र को अवैध करके देश से ही प्राप्त किया गया है तो इस पैरा के अधीन हिस्से पूर्ण को अनुमत नहीं किया जाएगा ।

## **5.2 ख** **परियोजनाओं के** **लिए ईपीसीजी**

(क) सीमाशुल्क छूट अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 01.03.2002 की क्रम. सं. 441 के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित परियोजना के आयात के लिए स्कीम के तहत पूँजीगत माल के आयात हेतु ई पी जी सी

प्राधिकार पत्र भी उपलब्ध होगा ।

(ख) ऐसे ई पी सी जी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व बचाए गए शुल्क का आठ गुना होगा (शून्य शुल्क ई पी सी जी स्कीम हेतु 6 गुना)। बचाया गया शुल्क उपर्युक्त सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत प्रभावी शुल्क और ईपीसीजी स्कीम के तहत रियायती शुल्क के बीच का अन्तर होगा ।

**5.2 ग**  
**खुदरा क्षेत्र हेतु ई**  
**पी सी जी**

खुदरा क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत ढाँचा तैयार करने हेतु खुदरा व्यापारियों को जिनके पास न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, पूंजीगत माल के आयात के लिए ई पी सी जी स्कीम के तहत रियायती शुल्क का लाभ दिया जा सकता है । ऐसे खुदरा व्यापारी को निर्यात दायित्व अर्थात् 8 वर्षों में बचाए गए शुल्क का 8 गुना पूरा करना होगा ।

**5.2 घ**  
**वार्षिक आवश्यकता**  
**हेतु ईपीसीजी**  
**प्राधिकार पत्र**

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र स्तर प्रमाणपत्र धारकों को वार्षिक आवश्यकता हेतु और अन्य सभी निर्यातकों की श्रेणियों को जारी किए जा सकते हैं जिनका दोनों शून्य शुल्क और 3 प्रतिशत शुल्क स्कीमों के अधीन विगत में निर्यात निष्पादन (पूर्ववर्ती दो वर्षों में) हो। बचाये गये शुल्क के रूप में वार्षिक हकदारी पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में वास्तविक निर्यात और/या मान्य निर्यात के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक होगा ।

**5.3**  
**पात्रता**

(क) ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत सहायक विनिर्माता(ओं)/विक्रेता(ओं) और सेवा प्रदायक तथा सहायक विनिर्माता(ओं) से जुड़े निर्यातक/व्यापारी निर्यातक सहित अथवा उनके बिना विनिर्माता निर्यातक शामिल हैं ।

(ख) विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों के अधीन निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) स्कीम में वह सेवा प्रदायक भी शामिल है, जो डी जी एफ टी, वाणिज्य विभाग अथवा निर्यात विशिष्ट शहर में स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल कारपोरेशन द्वारा एक सामान्य सेवा प्रदायक (सी एस पी) के तौर पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नामित/प्रमाणित है:-

(i) सामान्य सेवा के प्रयोक्ता द्वारा किए गए निर्यात में (i) संबंधित पोत लदान बिल में सामान्य सेवा प्रदायक द्वारा दिए गए ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के ब्यौरे शामिल होंगे तथा (ii) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऐसे निर्यात से पूर्व प्रयोक्ता ब्यौरे

के विषय में सूचित करना होगा ।

(ii) ऐसे निर्यातों की गणना अन्य विशिष्ट निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु नहीं की जाएगी; और

(iii) बैंक गारंटी की राशि बनाई गई सीमाशुल्क राशि से अधिक नहीं होंगी। सी एस पी के विकल्प पर, किसी भी प्रयोक्ता द्वारा अथवा सी ए पी द्वारा बैंक गारंटी दी जा सकती है।

#### **5.4** **पूँजीगत माल के** **आयात की शर्तें**

पूँजीगत माल का आयात, निर्यात दायित्व की पूर्ति तक वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

#### **5.5** **निर्यात दायित्व**

निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(क) विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात/आवेदक द्वारा दी गई सेवाओं द्वारा निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा ।

(ख) विस्तार अवधि सहित यदि कोई है, कुल निर्यात दायित्व कालावधि में पिछले 3 वर्षों में उक्त और उसी तरह के उत्पादों के किए गए निर्यातों का औसत, स्कीम के तहत निर्यात दायित्व से अधिक होगा; प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैरा 5.7.6 में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर । यह औसत उक्त और उसी तरह के उत्पादों के लिए पिछले 3 वर्षों के निर्यात निष्पादन का गणितीय माध्य होगा बशर्ते कि प्रिमियर व्यापार सदन (पी टी एच) को तीन वर्षों के स्थान पर पिछले पाँच वर्षों में निर्यात निष्पादन के गणितीय औसत आधारित निर्यातों के औसत स्तर को निर्धारित करने का विकल्प रहेगा।

(ग) 50% तक निर्यात दायित्व उस फर्म/कम्पनी अथवा समूह कम्पनी/ प्रबंधित होटल द्वारा अन्य विनिर्मित माल अथवा प्रदान की गई सेवा के निर्यात द्वारा पूरा किया जाएगा जिन्हें ई पी सी जी प्राधिकार प्राप्त है । तथापि, 1.4.2008 से पूर्व जारी ई पी सी जी प्राधिकार पत्र पहले के नीति प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

(घ) तथापि, ऐसे मामलों में, लगाए गए अतिरिक्त निर्यात दायित्व पिछले तीन वर्षों में यूनिट/कम्पनी/समूह कम्पनी/प्रबन्धित होटल द्वारा किए गए औसत निर्यातों से अधिक होगा, यहाँ तक कि मूल और प्रतिस्थापक उत्पाद/सेवा के मामलों में भी जहाँ

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.7.6 में छूट दी गई है ।

(ड.) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र, डी एफ आर सी, डी एफ आई ए, डी ई पी बी या ड्राँ बैंक योजना के अधीन पोतलदान को ई पी सी जी निर्यात दायित्व को पूरा करने लिए भी गणना की जायेगी।

(च) निर्यात दायित्व डीटीए को आई टी ए-1 मदों की आपूर्ति द्वारा भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो ।

(छ) निर्यात वास्तविक निर्यात होंगे । तथापि नीति के पैराग्राफ 8.2 (क), (ख), (घ), (च) (छ) और (ज) में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात भी विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 के तहत उपलब्ध सामान्य लाभों के साथ निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए माने जाएंगे ।

(ज) आर एण्ड डी सेवाओं के लिए प्राप्त मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान भी ईपीसीजी स्कीम के तहत वसूली के लिए माने जाएंगे । विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 के संबंध में, पत्तन संबंधी सेवाओं के लिए रुपए के रुप में प्राप्त भुगतान भी, निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए माना जाएगा ।

#### **5.5.1 बीआईएफआर यूनिटों के लिए प्रावधान**

(क) बी आई एफ आर के साथ पंजीकृत कोई फर्म/कम्पनी या यूनिट खरीदने वाली कोई फर्म/कम्पनी, जो कि बी आई एफ आर के अधीन है, को बी आई एफ आर/राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा अनुमोदित संचालन एजेंसी द्वारा तैयार पुनर्वास पैकेज के अनुसार निर्यात दायित्व 12 वर्ष तक बढ़ाने, यदि विनिर्दिष्ट न हो, की अनुमति होगी।

(ख) उपरोक्त प्रावधान लघु उद्योग इकाइयों पर भी संबंधित राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के अनुसार लागू होंगे ।

#### **5.5.2 एग्रो इकाइयों के लिए ईपीसीजी**

विधिक वचनबद्धता/बंध पत्र या 15 प्रतिशत बैंक गारंटी (जो भी लागू हो) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों में इकाइयों को दिया जा सकता है बशर्ते कि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र परिशिष्ट 8 में अधिसूचित मुख्य कृषि उत्पाद (ओं) अथवा उनकी मूल्य संवर्धन वस्तुओं के निर्यात के लिए लिया गया हो ।

**5.6**  
**स्वदेशी रूप से**  
**पूंजीगत माल को**  
**प्राप्त करना और**  
**घरेलू आपूर्तिकर्ता**  
**को लाभ**

ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति पूंजीगत वस्तुएं घरेलू विनिर्माता से प्राप्त कर सकता है। ऐसा घरेलू विनिर्माता विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 के तहत मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र होगा। ऐसी घरेलू प्राप्ति की ई ओ यू से भी अनुमति दी जाएगी और विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.9 (क) में उल्लिखित उक्त ई ओ यू द्वारा सकारात्मक एन एफ ई को पूरा करने के उद्देश्य से इन आपूर्तियों को गिना जाएगा।

**5.7**  
**निर्यात दायित्व**  
**(ईओ) का निर्धारण**

सीधे आयातों के मामले में, निर्यात दायित्व वास्तव में बचाये गये शुल्क के संदर्भ में आंका जाएगा। घरेलू प्राप्ति के मामले में, निर्यात दायित्व रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (एफ ओ आर) पर बचाये गये काल्पनिक सीमा शुल्क के संदर्भ में गिना जायेगा।

**5.8**  
**मौजूदा ई पी सी**  
**जी मशीनरी का**  
**प्रौद्योगिकीय**

ई पी सी जी प्राधिकार-पत्र धारक ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल के प्रौद्योगिकीय उन्नयन का चुनाव कर सकता है। निर्धारित शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(क) ई पी सी जी के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल के 'प्रौद्योगिकी उन्नयन' के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम समयावधि पुराने ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष है।

(ख) किया गया न्यूनतम निर्यात पहले ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र पर लगाए गए कुल निर्यात दायित्व का 40 प्रतिशत होना चाहिए।

(ग) निर्यात दायित्व को इस प्रकार पुनः निर्धारित किया जाएगा कि

(i) कुल निर्यात दायित्व दोनों पुराने ईपीसीजी और नए पर बचाए गए शुल्क की कुल राशि का 6 गुना होगा।

(ii) निर्यात दायित्व अवधि इस पैरा के तहत ई पी सी जी प्राधिकार-पत्र जारी करने की तारीख से 8 वर्ष होगी।

(घ) प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए सुविधा सिर्फ एक बार उपलब्ध होगी और किया जाने वाला न्यूनतम आयात आवेदक फर्म द्वारा संयंत्र और मशीनरी में मौजूदा निवेश का कम से कम 10 प्रतिशत होगा।

(ड.) आयात किया जाने वाला पूंजीगत माल पहले से ही लगाए गए पूंजीगत माल से नया व प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत होना चाहिए (सनदी अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किया जाए)।

#### 5.9

##### **फास्ट ट्रैक कम्पनियों के लिए प्रोत्साहन**

निर्यातों को गति प्रदान करने की दृष्टि से फास्ट ट्रैक कम्पनियों को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार-पत्र धारक ने अब तक प्राधिकार-पत्र में विनिर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व की अवधि के आधे या आधे से कम समय में विशिष्ट निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत अथवा अधिक तथा औसत निर्यात दायित्व का 100% पूरा कर लिया हो तो बकाया निर्यात दायित्व को माफ कर दिया जाएगा और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार-पत्र को विमुक्त कर दिया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 5.12 के अन्तर्गत कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

#### 5.10

##### **हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए ई पी सी जी-कम किया गया निर्यात दायित्व**

हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए पैरा 5.1 अथवा 5.2 में यथानिर्धारित निर्यात दायित्व का 75% होगा। पैरा 5.5 में यथानिर्धारित औसत निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, में कोई परि वर्तन नहीं होगा। हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 पैरा 5.24 में दी गई है।

#### 5.11

##### **निर्यात के पश्चात् ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप**

(क) ई पी सी जी शुल्क छूट स्कीम उन निर्यातकों के लिए उपलब्ध होगा जो लागू शुल्कों के भुगतान से पूंजीगत माल आयात/प्राप्त करना चाहते हैं और भुगतान की इस योजना का विकल्प चुनते हैं।

(ख) पूंजीगत माल पर अदा किया गया शुल्क पर (सेनवाट लगाए गए/छूट प्राप्त भाग को छोड़कर) मुक्त रूप से हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) के रूप में छूट होगी।

(ग) इस स्कीम के तहत विशिष्ट ई ओ लागू विशिष्ट ई ओ का 85% होगा यदि ऐसे पूंजीगत माल के आयातों ने शुल्क छूट का लाभ उठाया है। औसत ई ओ अपरिवर्तित रहेगा।

(घ) पूरा किया गया ई ओ शुल्क छूट के अनुपात में होगा।

(ड.) ये शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) आयातों के लिए लागू सीमाशुल्कों और घरेलू अधिप्राप्तियों के लिए लागू उत्पाद शुल्कों के भुगतान के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं।



(च) वर्तमान पी सी जी स्कीम की सभी शर्तें लागू होंगी क्योंकि वे इसे स्कीम के साथ असंगत नहीं हैं ।

**5.12**

**उत्तर-पूर्व क्षेत्र के  
लिए कम किया  
गया निर्यात दायित्व**

अरुणांचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में स्थित यूनिटों के लिए विशिष्ट ई ओ यथालागू पैरा 5.1 या पैरा 5.2 में यथा उल्लिखित ई ओ का 25% होगा । पैरा 5.5 में यथा उल्लिखित औसत ई ओ यदि कोई हो में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

## अध्याय - छः

### निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) और बाँयो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी)

#### 6.1

##### पात्रता

अपने सारे माल के उत्पादन और सेवाओं (डी टी ए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट (ई. ओ. यू.) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी) योजना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) योजना या बाँयो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी) स्कीम, के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं तथा ऐसी यूनिटें माल के निर्माण सहित मरम्मत, री मेकिंग, री-कंडीशनिंग, री-इन्जीनियरिंग और सेवा प्रदान करने में लगी हो सकती हैं। इन योजनाओं के तहत व्यापारी यूनिट शामिल नहीं है।

#### 6.2

##### माल का निर्यात तथा आयात

(क)(i) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है, सिवाय उन मदों के जो आई टी सी (एच एस) में निषिद्ध हैं। विशेष रसायन, जैविक, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (एस सी ओ एम ई टी) का निर्यात आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित शर्तें पूरी करने के अधीन होगा।

(ii) निर्यात संवर्धन सामान जैसे कि ब्रोचर/साहित्य, पैम्फलेट, होर्डिंग, कैटालॉग, पोस्टर इत्यादि की खरीद और आपूर्ति पिछले वर्षों के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की भी अनुमति होगी।

(ख) निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट, डी टी ए अथवा डी टी ए में बाण्डेड गोदामों/भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी उससे संबंधित गतिविधियों के लिए पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का बिना शुल्क दिए आयात और/या खरीद कर सकती है बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मदें न हो। यूनिटों को, ग्राहकों से ऋण/लीज पर पूंजीगत वस्तुओं सहित, मुफ्त में या स्वीकृति कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी। पूंजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा। एकक

द्वारा माल का आयात, निर्यात उत्पादन के उपयोग तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा ।

(ग) निर्यात अभिमुख विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार व्यवस्था लागू नहीं होगी । तथापि, क्रोम ओर/क्रोम कंसंट्रेट, के संबंध में इन मदों की निर्यात नीति में यथानिर्धारित राज्य व्यापार व्यवस्था निर्यात अभिमुख इकाईयों के लिए लागू होगी ।

(घ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें केन्द्रीय सुविधा स्थापित करने हेतु कुछ विशिष्टीकृत वस्तुओं का शुल्क मुक्त डीटीए से आयात/खरीद कर सकती है । साफ्टवेयर ई ओ यू/डी टी ए यूनिटें साफ्टवेयर के निर्यात के लिए इस सुविधा का प्रयोग कर सकती हैं ।

(ङ.) कृषि, पशुपालन, जल कृषि, पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूरोत्पादन, मुर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न निर्यात अभिमुख यूनिटों को बाण्डेड क्षेत्र के बाहर प्रयोग के लिए केवल विशिष्ट माल को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(च) रत्न और आभूषण ई ओ यू यूनिटें नामित एजेंसियों से भी सोना/चांदी/ प्लेटिनम ऋण/सम्पूर्ण खरीद आधार पर प्राप्त कर सकती हैं। नामित एजेंसियों से सोना/चाँदी/प्लेटिनम प्राप्त करने वाली यूनिटों को ऋण अथवा सम्पूर्ण खरीद के आधार पर सोना/चांदी/प्लेटिनम का निर्यात रिलीज की तारीख से 90 दिन के अन्दर करना होगा ।

(छ) सेवा यूनिटों के अतिरिक्त, ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें, भारतीय रिजर्व बैंक की क्लियरेंस, यदि कोई हो, के अधीन सेवा यूनिटों के अलावा राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्करो रुपया लेखा के प्रति भारतीय रुपयों में रुस संघ को निर्यात कर सकती हैं ।

(ज) स्पेयर्स/संघटकों की खरीद और निर्यातों के 5 प्रतिशत जहाज पर्यन्त निःशुल्क के बराबर उन्हीं करारकर्ता/खरीददार को निर्यात वस्तुओं के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि एन एफ ई और प्रत्यक्ष कर लाभों के लिए इनका आकलन नहीं किया जाएगा ।

(झ) अनुमोदन बोर्ड, मामला दर मामला आधार पर, रत्न एवं आभूषण के अलावा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के आवेदन पर विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित

करने के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के साथ उनके निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को शुल्क की अदायगी के बगैर पिछले वित्तीय वर्ष में यूनिट द्वारा निर्यात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत की सीमा तक ईओयू से डीटीए को आयात करने/प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का विवरण और ईओयू द्वारा विनिर्मित वस्तुएं, निर्यात दस्तावेज में अलग से सूचीबद्ध की जाएंगी। ऐसे मामलों में, खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का मूल्य एनएफई, डीटीए बिक्री हकदारी को माना नहीं जाएगा और ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं से प्राप्त लाभों को आयकर लाभों के योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमोदन बोर्ड किन्हीं अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

**6.3**  
**पुराना पूंजीगत**  
**माल**

पुराने पूंजीगत माल का बिना किसी कालावधि सीमा के शुल्क मुक्त आयात भी किया जा सकता है।

**6.4**  
**पूंजीगत माल के**  
**पट्टे**

(क) पार्टियों के बीच में हुई पक्की करार के आधार पर कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी टी पी यूनिट घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी से बिना सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क का भुगतान किए पूंजीगत माल खरीद सकते हैं। ऐसे मामले में घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी तथा निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/ बी टी पी यूनिट शुल्क का भुगतान किए बिना पूंजीगत माल, आयात करने/खरीदने के लिए संयुक्त रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी।

(ख) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी.टी.पी. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क निम्नालिखित शर्तों के मद्दे पूंजीगत वस्तुओं को बेच सकता है और उसे एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा पट्टे पर वापस दिया जा सकता है:-

(i) यूनिट को 'परिसंपत्तियों की बिक्री और पट्टे पर वापसी' का लेन-देन करने के लिए क्षेत्राधिकारी सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप/सहायक आयुक्त से अनुमति लेनी होगी और बेचे जाने वाली या पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुओं का विवरण

और एनबीएफसी का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(ii) बेचे जाने वाली और पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुएं यूनिट के परिसर से नहीं हटाई जाएंगी।

(iii) यूनिट की निवल विदेशी मुद्रा सकारात्मक होनी चाहिए जब यह एनबीएफसी के साथ बिक्री एवं पट्टे पर वापसी के लेन देन को शुरू करती है।

(iv) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1944 के साथ पठित अधिसूचना के किसी प्रावधान या व्यतिक्रम जिसके तहत इन वस्तुओं का आयात किया गया है या इन्हें खरीदा गया है, के मामले में इन वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने के लिए यूनिट और एन बी एफ सी द्वारा एक संयुक्त वचनबद्धता देनी होगी और इन वस्तुओं पर ग्रहणाधिकार सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के पास रहेगा जिनके पास सीमाशुल्क (सरकारी देनदारियों की वसूली के लिए चूककर्ताओं की संपत्ति को जब्त करना) नियमावली, 1995 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 (ख) के प्रावधान के तहत यूनिट की सरकार को बकाया देय राशि की वसूली के लिए उपरोक्त वस्तुओं पर प्रथम अधिकार रहेगा ।

## **6.5**

### **निवल विदेशी मुद्रा अर्जन**

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के परिशिष्ट 14-1-ग के क्षेत्र विशेष के लिए प्रावधानों को छोड़कर जहाँ उच्च मूल्य संवर्धन की जरूरत होगी, एक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) उत्पादन प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचित रूप से गिना जाएगा । जब भी कोई यूनिट परमिट पत्र में शामिल किसी उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए निषेध प्रतिबंध के कारण निर्यात करने के लिए अयोग्य हो जाती है, निवल विदेशी मुद्रा आय की गणना के लिए पांच वर्षों का समय अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपयुक्त तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड अगले एक वर्ष के लिए मामला दर मामला आधार पर, निवल विदेशी मुद्रा की गणना के लिए उन यूनिटों के लिए जिन्होंने 30.9.2008 और 30.9.2009 के बीच में पांच वर्षों की अवधि पूरी कर ली है तो केवल आर्थिक मंदी के कारण उस विशेष यूनिट की निर्यातों में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए, विस्तार अवधि को बढ़ाने के लिए विचार कर सकता है।

### 6.6.1

#### अनुज्ञा

#### पत्र/आशय पत्र

#### और विधिक

#### वचनबद्धता:

(क) अनुमोदन हो जाने पर, विकास आयुक्त/नामित अधिकारी ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अनुमति पत्र (एल ओ पी)/आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करेगा। एल ओ पी/एल ओ आई की आरम्भ में वैधता अवधि तीन वर्ष होगी इस अवधि के भीतर यूनिट को उत्पादन प्रारम्भ कर देना चाहिए। इसकी वैधता अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 और वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, छः वर्ष से अधिक के विस्तार के प्रस्ताव पर विशेष परिस्थितियों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। एक बार यूनिट ने उत्पादन आरम्भ कर दिया, तो इसकी गतिविधियों के लिए जारी किए गए अनुमति पत्र/आशय पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा, एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पैरा 6.2 में प्रावधानों के अनुसरण में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई को सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र माना जाएगा।

(ग) यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को सुनिश्चित करने में असफल होने पर अथवा एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल/एल यू टी की शर्तों को न पूरा कर सकने पर वह विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किसी अन्य कानून के तहत नियम तथा आदेश जो बिना पूर्वाग्रह के बने हों, के अधीन दण्ड के भागी होंगे और वह एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल रद्द अथवा मंसूख हो जाएगा।

### 6.6.2

#### पूँजी निवेश

#### प्रक्रिया

जिन परियोजनाओं में संयंत्र और मशीनरी पर 1 करोड़ रुपया न्यूनतम निवेश हो उन पर ई.ओ.यू. के रूप में स्थापना के लिए विचार किया जाएगा। हालाँकि, यह, मौजूदा यूनिटों और ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी, हस्तशिल्प/कृषि/पुष्पोत्पादन/जलकृषि/पशुपालन/सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाएं, ब्रास हार्डवेयर और हस्तनिर्मित आभूषण के क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अनुमोदन बोर्ड कम निवेश के मानदण्ड पर भी ईओयू की स्थापना की अनुमति दे सकता है।

### 6.7

#### आवेदन और

#### अनुमोदन

(क) सेवा क्षेत्र (आर एण्ड डी, साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं अथवा बी ओ ए द्वारा प्रत्यायोजित अन्य सेवा गति-विधियों को छोड़कर) में यूनिटों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को छोड़कर, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ई ओ यू स्कीम के तहत

यूनिटों की स्थापना के आवेदनों को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मानदण्डों के अनुसार 15 दिनों के भीतर मंजूरी अथवा नामंजूरी दी जा सकती है ।

(ख) अन्य मामलों में, इस उद्देश्य के लिए गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट के अनुसार मंजूरी दी जा सकती है ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ईओयू की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन, अनुमोदन बोर्ड और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्ताव के निपटान के बाद 45 दिन के अन्दर विकास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है।

(घ) संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ या अधिक के निवेश या वार्षिक रूप से 50 करोड़ रु. या अधिक का निर्यात करने वाली मौजूदा डीटीए यूनिटों को इओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी में बदलने के लिए आवेदन अनुमोदन बोर्ड के सामने निर्णय के लिए रखा जाएगा।

## 6.8

**तैयार उत्पाद/  
अस्वीकृत माल/  
अपशिष्ट/ स्कrap/  
शेष और उप-  
उत्पाद की घरेलू  
प्रशुल्क क्षेत्र (डी  
टी ए) में बिक्री**

निर्यात अभिमुख यूनिटों/इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिटों के सारे उत्पादन का निर्यात निम्निलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा:-

(क) रत्न और आभूषण यूनिटों को छोड़कर, यूनिटें निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल का विक्रय कर सकती हैं बशर्ते कि रियायती शुल्क के भुगतान पर सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की पूर्ति की गई हो । डी टी ए बिक्री हकदारी के अन्दर, इकाईयाँ यूनिटों से निर्यातित या निर्यात की जाने वाली संभावित वस्तुओं जैसे माल को डी टी ए में बेच सकती है । तथापि, वे यूनिटें जो एक से अधिक उत्पाद का विनिर्माण एवं निर्यात कर रही हैं, विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात के 90 प्रतिशत पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तक इनमें से किसी भी उत्पादों को डीटीए में बेच सकती है बशर्ते उपरोक्त निर्धारित यूनिट के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की संपूर्ण हकदारी कुल डीटीए बिक्री के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। मोटर कार, अल्कोहल युक्त शराब, पुस्तकें और चाय (इन्सटैंट टी को छोड़कर) काली मिर्च और काली मिर्च के उत्पादों, संगमरमर और समय-समय पर यथाअधिसूचित ऐसी अन्य मदों के रियायती शुल्क पर डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी। पैकेजिंग/लेबलिंग/सैग्रीगेशन/रेफ्रीजरेशन/कम्पैक्टिंग/माइक्रोनाइजेशन/पल्वेराइजेशन/ग्रेन्यूलेशन/मोनो-हाइड्रेट रूप के रसायन से एनहाइड्रस रूप में परिवर्तन अथवा विलोमतः से

जुड़ी यूनिटों के मामले में डी टी ए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। एस ई जेड में यूनिट को की गई बिक्री भी ई ओ यू द्वारा निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाएगी बशर्ते कि इन बिक्रियों हेतु किया गया भुगतान एसईजेड यूनिट के विदेशी मुद्रा खाते से किया गया हो। डी टी ए को की गई बिक्री भी भेषज उत्पादों (थोक दवाइयों समेत) के पंजीकरण की अपरिहार्य आवश्यकता के मद्दे होगी। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क के तहत आयात के समय लगायी गई एंटी डंपिंग ड्यूटी के बराबर राशि यूनिट से डीटीए में निष्पादित वस्तुओं के विनिर्माण और संसाधन के लिए प्रयुक्त वस्तुओं पर देय होगा।

(ख) सेवा के लिए, साफ्टवेयर यूनिटों सहित, डी टी ए में किसी भी रूप में बिक्री, ऑनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत और अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

(ग) रत्न और आभूषण यूनिटें, डी टी ए में पूर्व वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती है बशर्ते कि सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया गया हो। सादे आभूषण की बिक्री के संबंध में, प्राप्तकर्ता नामित एजेंसियों से बिक्री पर यथा लागू शुल्क की रियायती दरों का भुगतान करेगा। रत्न जड़ित आभूषण के संबंध में, यथा लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।

(घ) जब तक एल ओ पी में विशेष रूप से निषिद्ध न हुआ तो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से उप पैराग्राफ 6.8 (क) के तहत बिक्री पर यथा लागू शुल्कों के भुगतान पर, डी टी ए में रिजेक्ट्स की कुल सीमा के 50 प्रतिशत तक बिक्री की जा सकती है। ऐसी बिक्री डी टी ए बिक्री हकदारी के मद्दे गिनी जाएगी। निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक रिजेक्ट्स की बिक्री एन एफ ई प्राप्त करने की शर्त के अधीन नहीं होगी।

(ङ) उत्पादन प्रक्रिया या तत्सम्बन्धी प्रक्रिया से निकलने वाले स्कैप/अवशिष्ट/अवशेष का यथा लागू रियायती शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में बिक्री शुल्क मुक्त स्कीम के तहत अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड के अनुसार किया जा सकता है



जो निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा । स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष की ऐसी बिक्री, सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी । उन मदों के संबंध में, जो मानदण्ड में शामिल नहीं है, विकास आयुक्त छः माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है और इस अवधि के भीतर मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित कर सकती है। तदर्थ मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित न कर दे । यूनितें जो डीटीए बिक्री के लिए पात्र नहीं हैं, द्वारा वेस्ट/स्क्रेप/अवशेष की बिक्री अथवा डी टी ए बिक्री पात्रता से बाहर बिक्री शुल्क का पूर्ण भुगतान करने पर की जाएगी। स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का भी निर्यात किया जा सकता है।

(च) यदि ऐसे स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जाता है तो उन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा।

(छ) अनुमति पत्र में शामिल उपोत्पाद को डी टी ए में भी बेचा जा सकता है बशर्ते की उप पैरा 6.8 (क) की समग्र हकदारी के भीतर लागू शुल्कों के भुगतान और सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर लिया हो । यूनितें जो डीटीए बिक्री के लिए पात्र नहीं हैं, अथवा उप पैरा 6.8(क) की हकदारी के बाहर उपोत्पादों की बिक्री की अनुमति सम्पूर्ण शुल्कों के भुगतान पर की जाएगी ।

(ज) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बीटीपी यूनितों को काली मिर्च और काली मिर्च के उत्पादों तथा संगमरमर को छोड़कर तैयार उत्पादों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है जिनका डी टी ए में विदेश व्यापार नीति के अधीन पूर्ण शुल्क की अदायगी पर मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है बशर्ते इन यूनितों ने सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त किया हो। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क के तहत आयात के समय लगायी गई एंटी डंपिंग ड्यूटी के बराबर राशि यूनित से डीटीए में निष्पादित वस्तुओं के विनिर्माण और संसाधन के लिए प्रयुक्त वस्तुओं पर देय होगा।

(झ) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विनिर्माण करने वाली यूनितों के मामले में, निवल विदेशी मुद्रा और डी टी ए बिक्री हकदारी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी ।

(ञ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री के मामले में, जहाँ

मूलशुल्क और सी वी डी शून्य है, ऐसी वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए उत्पाद कर रहित माना जाएगा ।

(ट) नये ई ओ यू के मामले में, अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति होगी जो प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित निर्यातों के 50% से अधिक नहीं होगी, सिवाय भेषज यूनिटों में जहाँ यह प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमानित निर्यातों पर आधारित होगी।

(ठ) कपड़ा एवं ग्रेनाइट क्षेत्रों की यूनिटों के पास उपरोक्त उप-पैरा 6.8(क), (घ), (ड.), (छ) और (ट) के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में वस्तुओं को बेचने का विकल्प रहेगा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत लगाए गए उत्पाद-शुल्क की कुल राशि के बराबर राशि के भुगतान पर या किसी अन्य कानून जो फिलहाल लागू है, के तहत, एक निर्यात अभिमुख इकाई के अलावा भारत में उत्पादित या विनिर्मित समान वस्तुओं पर लागू होगा बशर्ते उन्होंने शुल्क अदा की गई आयातित आगतों का प्रयोग पिछले वर्ष में निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 3% से अधिक न किया हो और उन्होंने सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली हो । एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लेने पर इकाई को किसी भी उद्देश्य के लिए शुल्क मुक्त आगतों को आयात करने की अनुमति नहीं होगी ।

## **6.9**

### **घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में अन्य आपूर्तियां**

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगी ।

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/ वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क छूट के तहत डी एफ आई ए/विमुक्ति योजना/ई पी सी जी स्कीम के धारकों के संबंध में डी टी ए में की गई आपूर्तियां। तथापि, प्रिटिंग क्षेत्र की ईओयू (या अन्य कोई क्षेत्र जिसे प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 में अधिसूचित किया जा सके) वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सकती, जहां पर अग्रिम प्राधिकार पत्र के धारक/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार धारक के लिए मूल सीमाशुल्क शुल्क और सीवीडी शून्य है या अन्यथा छूट मुक्त है।

(ख) विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ के मद्दे डीटीए में की गई आपूर्तियाँ।

(ग) अन्य निर्यातानुमुख इकाई/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बायोटेक्नोलोजी पार्क/एस ई जेड इकाई को आपूर्ति, बशर्ते ऐसे माल की खरीद के लिए विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.2 के अन्तर्गत अनुमति दी जा सकती है।

(घ) विदेश व्यापार नीति और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडेड गोदामों और मुक्त व्यापार तथा गोदाम क्षेत्रों में की गई आपूर्तियाँ, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

(ङ.) ऐसे संगठनों को, माल और सेवाओं की आपूर्तियाँ, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार ऐसी मदों के शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं, जैसी प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 में व्यवस्था है।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकाम/इलेक्ट्रॉनिक मदों की आपूर्ति।

(छ) निर्यात के लिए डीटीए यूनिट को टैग, लेबल, प्रिन्टेड बैगों, स्टीकरों, बेल्टों, बटनों अथवा हैंगरों की आपूर्तियाँ।

(ज) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. ई-20029/18/2001-पीपी दिनांक 28-01-2003 द्वारा यथा अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी का तेल एवं घरेलू एलपीजी सब्सिडी स्कीम, 2002 (यहाँ पीडीएस स्कीम के रूप में निर्दिष्ट) के तहत सब्सिडाइज्ड मूल्यों पर घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की घरेलू तेल कम्पनियों को ईओयू रिफाइनरी में उत्पादित एलपीजी की सप्लाई निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगी:-

- (i) एलपीजी की केवल ऐसी मात्रा की सप्लाई मान्य होगी जिसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्यात की स्वीकृति न दी हो और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में एलपीजी की निकासी की जानी हो; और
- (ii) वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त पीडीएस स्कीम के तहत सप्लाई के लिए एपीजी के शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति दी हो।

**6.10**  
**अन्यों के माध्यम**  
**से निर्यात**

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट, अपने द्वारा विनिर्मित माल/विकसित साफ्टवेयर का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा-6.18 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दूसरे निर्यातक अथवा किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड यूनिट के माध्यम से कर सकती है।

**6.11**  
**डी.टी.ए. से**  
**आपूर्तियों हेतु**  
**हकदारी**

(क) निर्यातोन्मुख इकाइयों/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी की यूनिटों से की गई आपूर्तियों को “मान्य निर्यात” समझा जाएगा और आपूर्तिकर्ता पर डी टी ए आपूर्तिकर्ता निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, के अलावा विदेश व्यापार नीति के अध्याय 8 के अधीन संगत हकदारियों के लिए पात्र होगा। उपरोक्त के बावजूद, उपयुक्त डिसक्लेमर प्रस्तुत करने पर विदेश व्यापार नीति के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट के अनुसार ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें हकदारी प्राप्त करने के योग्य होंगी। मान्य निर्यात शुल्क वापसी का दावा करने के लिए, जहाँ भी वापसी की अखिल उद्योग दरें उपलब्ध नहीं हैं, विकास आयुक्त द्वारा ब्राण्ड दरें निर्धारित करवाई जाएँगी।

(ख) बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर और प्रसंस्कृत मोतियों का डी टी ए से ई ओ यू को आपूर्ति करने वाले प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मदों के लिए और दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ग) इसके अलावा, ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बीटीपी यूनिट निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे :-

(i) भारत में विनिर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति।

6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सी एस टी के वापसी में देरी पर देय होगा यदि पूरा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर मामले का निपटान नहीं किया जाता है। (जैसा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 9.10.1 में दिया गया है)

(ii) भारत में विनिर्मित वस्तुओं पर, डी टी ए से खरीदी गई वस्तुओं पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।

(iii) समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी दर के अनुसार घरेलू तेल कम्पनियों/घरेलू तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के डिपो से प्राप्त ईंधन पर अदा किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति। वित्त अधिनियमों के तहत ईंधन पर लगाए

गए उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त शुल्क की प्रतिपूर्ति भी लागू होगी ।

(iv) अदा किए गए सेवा कर पर सेनवैट क्रेडिट ।

#### 6.12

##### अन्य हकदारियाँ

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों की अन्य हकदारियाँ निम्नलिखित हैं :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अनुसार आयकर से छूट ।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट

(ग) निर्यात आय की वसूली 12 महीनों के भीतर करनी होगी ।

(घ) ईईएफसी खाते में 100 प्रतिशत निर्यात अर्जन को रखने की अनुमति होगी ।

(ङ.) यूनिटों को आयात करते समय या डी टी ए में जाब कार्य करते समय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन मामलों में यूनिट का

(i) कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है ;

(ii) यूनिट कम से कम 3 वर्षों से मौजूद है; और

(iii) यूनिट ने :-

(क) सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा/निर्यात दायित्व जहाँ भी लागू है, प्राप्त कर लिया है ।

(ख) धोखा/सांठगांठ/जानबूझकर गलत बयानी/तथ्यों को छुपाना या उनके किसी प्रावधानों के उल्लंघन के कारण, सीमाशुल्क अधिनियम के दांडिक प्रावधान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, वित्त अधिनियम 1994 सेवाकर या सहयोगी अधिनियम या उनके तहत बनाए गए नियमों को शामिल करते हुए के तहत प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के अलावा के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कारण बताओ नोटिस या पुष्टिकृत मांग जारी नहीं किया गया है ।

(च) एस ई जेड यूनिटों की तरह आटोमैटिक रुट के जरिए 100 प्रतिशत एफ डी आई निवेश की अनुमति दी जाएगी ।

(छ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों में निर्धारित तरीके के अनुसार मासिक आधार पर यूनिटें उत्पादित या विनिर्मित और डी टी ए में निष्पादित वस्तुओं पर शुल्क चुकाएंगी ।

**6.13**  
**अन्तर यूनिट**  
**हस्तांतरण**

(क) निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/ यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी तथा इसकी पूर्व सूचना वस्तुओं के इन-बॉर्ड-मूवमेंट की प्रक्रिया को अपनाने वाले संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी को देनी होगी । ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से एस ई जैड विकासक अथवा यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति भी एस ई जैड नियमावली, 2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी ।

(ख) संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना देकर पूंजीगत वस्तुओं को किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जैड यूनिटों को हस्तांतरित किया जा सकता है या ऋण पर दिया जा सकता है ।

(ग) किसी एक यूनिट द्वारा किसी दूसरे ई ओ यू/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट को वस्तुओं की आपूर्ति, दूसरे यूनिट द्वारा डी टी ए बिक्री पर शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए दूसरे यूनिट के लिए आयातित वस्तुएँ मानी जाएंगी ।

**6.14**  
**उप-ठेके**

(क) (i) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें, जिनमें रत्न और आभूषण यूनिटें शामिल हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की वार्षिक अनुमति के आधार पर जॉब वर्क के जरिये डी टी ए को उत्पादन प्रक्रिया का उप-ठेका दे सकती हैं जिनमें डी टी ए में यूनिटों द्वारा जॉब वर्क के जरिये माल के रूप या स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है ।

(ii) ये यूनिटें सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से डी टी ए में जॉब वर्क के उप ठेके के लिए मूल्य की शर्तों में पिछले वर्ष के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक ही उप ठेके पर दे सकती हैं ।

(ख) (i) ई ओ यू यूनिटों को डीटीए निर्यातक के बदले में निर्यात हेतु जॉब वर्क की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते माल

को ई ओ यू यूनिटों से सीधे निर्यात किया जाए और निर्यात दस्तावेज डीटीए/ईओयू यूनिट के नाम में संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। ऐसे निर्यात हेतु, शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए गए शुल्क को वापिस लेने के लिए डीटीए यूनिटें हकदार होंगी।

- (ii) जब के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा ई ओ यू को दिए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि कोई डी टी ए क्लीयरेंस न दी जाए ।
  - (iii) यूनिट में रखे गये रिकार्ड के अनुसार अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जैड/बी टी पी एककों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उप ठेके की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना शुरू कर सकते हैं।
  - (iv) 'ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी एकक विदेशों में उत्पादन प्रक्रिया के अंश का उप ठेका दे सकते हैं और एलओपी में यथा उल्लिखित मध्यवर्ती उत्पादों को विदेश भेज सकते हैं। विदेशी उप ठेकेदार परिसर से माल का निर्यात करते समय किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जब माल को देश में वापस लाया जाएगा, सम्बंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना दी जायेगी।'
- (ग) जब वर्कर के कार्य स्थल में पैदा हुए स्क्रेप/वेस्ट/रेमनन्ट को या तो जॉब वर्कर के कार्य स्थल से सौदा मूल्य पर लागू शुल्क के भुगतान पर दिया जा सकता है या सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता यूनिट को वापिस किया जा सकता है। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों को नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।
- (घ) रत्न और आभूषण ई ओ यू इकाइयों द्वारा अन्य ई ओ यू या एस ई जैड या डीटीए में इकाइयों में उपठेका/विनिमय प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।

## 6.15

### प्रयोग न किए गए माल की बिक्री

क) यदि कोई निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी की यूनिट से आयातित या डी टी ए से खरीदे गए माल और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है तो

(i) इन्हें अन्य ई ओ यू/एसइजैड/ इ एच टी पी / एस टी पी/बी टी पी इकाइयों को हस्तांतरित कर सकती है; या

(ii) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से आयात प्राधिकार सौंपकर और लागू शुल्कों का भुगतान करके, यदि आवश्यक हो डी टी ए में उनका निपटान या निर्यात कर सकती है; या

(iii) ई ओ यू/ई एचटीपी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ऐसे यूनिटों को किए गये मर्दों का हस्तांतरण प्राप्त कर्ता इकाई के लिए आयात माना जाएगा ।

(ख) पूंजीगत माल और स्पेयर्स जो पुराने हो गए/अतिरिक्त हैं या अन्य ई ओ यू / ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी/एस ई जैड इकाइयों को हस्तांतरण या निर्यात किया जा सकता है । लागू शुल्क के भुगतान के बाद डी टी ए में निपटान किया जा सकता है। डी टी ए में निपटान की स्थिति में यथा लागू मूल्यह्रास का लाभ लागू होगा। यदि पूंजीगत माल कच्चा माल, उपभोज्य कलपुर्जे, विनिर्मित माल, संसाधित या पैकिंग किया गया और स्क्रेप/बेस्ट/रैमनेन्ट्स/रद्द माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करने के बाद यूनिट के भीतर नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से यूनिट के बाहर नष्ट करने पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों पर उपर्युक्त विनिष्टीकरण लागू नहीं होगा।

(ग) वस्त्र क्षेत्र के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य या आयात की मात्रा, जो भी कम हो, के 2 प्रतिशत तक बचे हुए माल/कपड़े का निपटान सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमत होगा बशर्ते केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क अधिकारी यह प्रमाणित करें कि यह बचा हुआ माल है।

(घ) इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी ।



**6.16**  
**रिंकडिशनिंग/  
मरम्मत और पुनः  
इंजीनियरिंग  
करना**

निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों को रिंकडिशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए तथा विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए अनुमोदन बोर्ड की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 6.28 और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।

**6.17**  
**आयातित/स्वदेशी  
वस्तुओं का  
प्रतिस्थापन/  
मरम्मत**

(क) प्रतिस्थापन/मरम्मत वस्तुओं के निर्यात/आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति के सामान्य प्रावधान ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों पर भी एक समान लागू होंगे यद्यपि प्रावधान के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) डी टी ए में बेची गई और किसी भी कारण से स्वीकार न की गई वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की सूचना में मरम्मत/बदलने के लिए लाया जा सकता है।

(ग) आयात करने पर/स्वदेशी रूप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके का हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं/लौटाए और प्रतिस्थापन प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामलों में वस्तुएं विदेशी आपूर्तिकर्ताओं अथवा भारत में उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं/स्वदेशी संभरकों से वापस ली जा सकती है। यूनिट विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारत में अधिकृत एजेंटों से मुफ्त प्रतिस्थापन (प्रदत्त शुल्क) ले सकती है बशर्ते की खराब हिस्से का पुनः निर्यात किया गया या नष्ट किया गया है। तथापि कीमती और अर्द्धकीमती धातुओं पर विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।

**6.18**  
**ईओयू योजना से  
बहिर्गमन**

(क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से, निर्यात अभिमुख यूनिट इस योजना को छोड़ सकती हैं। ऐसा बहिर्गमन उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के भुगतान करने पर और लागू औद्योगिक नीति के तहत होगा।

(ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व को प्राप्त

नहीं किया है तो योजना से बहिर्गमन, के समय उसे जुर्माना देना होगा ।

(ग) रत्न व जेवरात यूनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य धातु, मिश्रधातु, रत्न व अन्य सामग्री, वाणिज्य विभाग द्वारा नामित ऐंजसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर हस्तांतरित करनी पड़ेगी ।

(घ) 'ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को भी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाइयों के लिए अनुमेय, मौजूदा ई पी सी जी स्कीम के तहत पूँजीगत माल पर शुल्क का भुगतान करके विकास आयुक्त द्वारा किसी भी समय स्कीम को छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है । यह ई ओ यू स्कीम के तहत सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा मानदण्ड की पूर्ति, ई पी सी जी स्कीम के तहत पात्रता मानदण्ड और प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा ।'

(ङ.) ई ओ यू योजना को छोड़ने का प्रस्ताव करने वाले यूनिटों को विकास आयुक्त/सीमाशुल्क प्राधिकारी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को लिखित में सूचित करना होगा । यूनिट डिबांडिंग के कारण उत्पन्न शुल्क संबंधी दायित्व का मूल्यांकन करेगा और ऐसे मूल्यांकन के ब्यौरे सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों को भेजेगा । सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी प्राथमिकता के आधार पर दायित्वों की पुष्टी करेंगे । शुल्क के भुगतान तथा सभी शुल्कों का भुगतान कर देने के पश्चात युनिट सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से “बेबाकी प्रमाण-पत्र” प्राप्त करेगा। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी “बेबाकी प्रमाण-पत्र” के आधार पर युनिट अन्तिम रूप से डिबांडिंग के लिए विकास आयुक्त को आवेदन करेगा ।

यदि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कोई मामला लंबित न होने पर विकास आयुक्त 7 कार्य दिवसों के भीतर अन्तिम डिबांडिंग आदेश जारी कर देगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाण-पत्र और विकास आयुक्त द्वारा जारी किया गया अन्तिम डिबांडिंग आदेश में बीच की अवधि के दौरान युनिट पूँजीगत माल अथवा निविष्टी को प्राप्त

करने के लिए किसी छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगा। तथापि वे अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी ई पी बी/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं यदि गणना और देय राशि विवादास्पद है और उसमें लम्बा समय लगेगा तो निकास प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए बैंक गारंटी/बाण्ड/किस्त प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(च) जिन मामलों में यूनिट ने लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् विदेश से या उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डी टी ए यूनिट स्थापित किया गया है, और जिसे बाद में ई ओ यू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में डीबान्डिंग के पश्चात् डी टी ए में ऐसी पूँजीगत वस्तुएँ ले जाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार ई पी सी जी योजना के तहत यहाँ डी टी ए यूनिटों के रूप में पूँजीगत वस्तुओं का आयात किया है और ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात् और स्वयं को ई ओ यू में परिवर्तित करवाने पर यूनिट से डी टी ए ऐसी पूँजीगत वस्तुओं को ले जाते समय पूँजीगत वस्तुओं से सीमाशुल्क नहीं लिया जाएगा।

(छ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार के तहत एक बार के विकल्प के रूप में निकास के लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दी जा सकती है। यह सकारात्मक एन एफ ई मानदण्ड की पूर्ति के अधीन होगा।

#### **6.19 परिवर्तन**

(क) मौजूदा डी टी ए यूनिटें भी किसी निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं और पहले से स्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के लिए योजना के अन्तर्गत आयकर अधिनियम की धारा 10(क) और 10(ख) के तहत लाभ उपलब्ध होंगे।

(ख) विद्यमान ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटें, ई ओ यू यूनिट में परिवर्तन/समाहित होने के लिए अथवा विलोमतः आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिटें बांड के अधीन होंगी तथा लागू ड्यूटी एवं टैक्स छूट का लाभ उठा सकती हैं।

**6.20**

एन एफ ई की  
निगरानी

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी एकक अनुमोदन समिति द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार निगरानी की जाएगी।

**6.21**

प्रदर्शनियों/निर्यात  
प्रोत्साहन  
यात्राओं/ विदेश  
में शो-रूमों/  
शुल्क मुक्त  
दुकानों के जरिये  
निर्यात

ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों को निम्नलिखित की अनुमति है:

- (i) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शन करने/शामिल होने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना ।
- (ii) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम जेबरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, माणिक व अन्य को व्यक्तिगत रूप से लाना/ले जाना ।
- (iii) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों में प्रदर्शन/विक्रय के लिए माल का निर्यात करना ।
- (iv) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों या उनके वितरकों/एजेंटों के शो रूम में प्रदर्शन/बिक्री हेतु निर्यात करना ।
- (v) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शो रूम/खुदरा दुकानों की स्थापना करना ।

**6.22**

आयात/ निर्यात  
पार्सलों को  
व्यक्तिगत रूप से  
लाना ले जाना  
जिसमें विदेश  
जाने वाले  
यात्रियों के जरिए  
सामान ले जाना  
शामिल है

रत्न और आभूषणों का आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से सीमा शुल्क प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनलों द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। रत्न और आभूषण इकाईयों के अलावा अन्य यूनिटों के लिए आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में न हों । भारतीय रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार रत्न एवं आभूषण ई ओ यू का प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत ढुलाई के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 किग्रा. तक प्रारंभिक रूप में सोने का आयात कर सकता है ।

**6.23**

डाक/कोरियर  
द्वारा  
निर्यात/आयात

निःशुल्क नमूनों सहित माल का सीमा शुल्क के अधीन हवाई जहाज या विदेशी डाक खाने या कोरियर द्वारा निर्यात/आयात किया जा सकता है।

**6.24**

ई ओ यू यूनिटों

ई ओ यू यूनिटों के प्रशासन और विकास आयुक्त की शक्तियों का ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।

**का प्रशासन/  
विकास आयुक्त  
की शक्तियाँ**

**6.25  
रुग्ण यूनिटों का  
पुनरुत्थान**

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित करने पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के पुनरुत्थान या अधिग्रहण पर विचार किया जा सकता है।

**6.26  
ई एच टी पी/एस टी पी  
टी पी के लिए  
अनुमोदन**

ई एच टी पी/एस टी पी योजनाओं के अधीन यूनिटों के मामलों में इस अध्याय के संबंधित पैरों के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति विकास आयुक्त के बजाए संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा और अनुमोदन बोर्ड के बजाए अन्तरमंत्रालयीय स्थायी समिति (आई एम एस सी) द्वारा दी जाएगी।

**6.27  
बी टी पी का  
अनुमोदन**

जैव प्रौद्योगिकी पार्कों (बी टी पी) को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जाए। बी टी पी में यूनिटों के मामले में इस अध्याय के संबद्ध उपबन्धों के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के नामजद अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

## अध्याय - 7

### विशेष आर्थिक क्षेत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नीति विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होती है।

## अध्याय-7क

### मुक्त व्यापार और गोदाम क्षेत्र

मुक्त व्यापार और गोदाम क्षेत्र संबंधित नीति विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होती है।

## अध्याय - 8

### मान्य निर्यात

#### 8.1

##### मान्य निर्यात

“मान्य निर्यात” का अर्थ उस लेन-देन से है जिसमें आपूर्तित माल देश से बाहर नहीं जाता और इन आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है । निम्नलिखित पैराग्राफ 8.2 में यथा उल्लिखित माल की आपूर्ति ‘मान्य निर्यात’ के रूप में मानी जाएगी बशर्ते कि माल का भारत में विनिर्माण हुआ हो ।

#### 8.2

##### आपूर्ति की श्रेणियाँ

निम्नलिखित श्रेणियों के माल की मुख्य/उप ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति को “मान्य निर्यात” के रूप में माना जाएगा :-

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के मद्दे माल की आपूर्ति;

(ख) निर्यातोन्मुख यूनिटों (ईओयू)/साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क्स (एसटीपी)/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नालोजी पार्क (ई एच टी पी)/बायोटेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी) को माल की आपूर्ति।

(ग) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) प्राधिकार पत्र धारकों को पूंजीगत माल की आपूर्ति ।

(घ)(i) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/ निधियों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं को उन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार माल की आपूर्ति, जहां विधिक करारों में सीमाशुल्क को शामिल किए बिना टेंडर मूल्यांकन की व्यवस्था हो ।

(ii) इन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/निधियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए जिनके लिए बोली आमंत्रित की गई है और विदेश में विनिर्मित



वस्तुओं के लिए भुगतान किए गए सुपुदर्गी शुल्क (डी डी पी) मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित है, माल और उपस्करों की आपूर्ति और अधिष्ठापन (टर्नकी ठेकों का एकल उत्तरदायित्व);

(iii) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे अभिकरणों/निधियों की एक सूची प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-I की परिशिष्ट 13 में दी गई है।

(ड.) हटा दिया गया है;

(च) (i) किसी परियोजना अथवा प्रयोजन के लिए माल की आपूर्ति जिसके संबंध में वित्त मंत्रालय, समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17.3.2011 की अधिसूचना सं0 12/2012 - सीमाशुल्क (दिनांक 1.3.2002 को पहले से ही जारी अधिसूचना सं0 21/2002 - सीमाशुल्क) द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल की आपूर्ति की अनुमति देता है।

(ii) मान्य निर्यातों के लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे जब आई सी बी प्रक्रिया के तहत आपूर्ति की जाती है। तथापि, मेगा विद्युत परियोजनाओं के संबंध में आई सी बी की शर्त अनिवार्य नहीं होगी यदि विद्युत की अपेक्षित मात्रा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्धारित की गई है अथवा यदि परियोजना प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा अवार्ड की गई है। दिनांक 17.03.2012 की राजस्व विभाग की यथा संशोधित अधिसूचना सं0 12/2012 - सीमाशुल्क की क्रम सं0 507 में यथा विनिर्दिष्ट किसी मेगा विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए अपेक्षित माल की आपूर्ति विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.3 (क), (ख) और (ग), जो भी लागू हो, में यथा उल्लिखित मान्य निर्यात लाभ के लिए पात्र होगी यदि ऐसी मेगा विद्युत परियोजना सीमा-शुल्क अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक उत्पादन क्षमता का अनुपालन करती है;

(छ) हटा दिया गया है;

(ज) 100 प्रतिशत ई ओ यू (घरेलू भाड़ा कन्टेनरों के विनिर्माताओं) द्वारा समुद्री फ्रेट कन्टेनरों की आपूर्ति, बशर्ते उक्त कन्टेनरों का भारत से 6 महीनों या सीमाशुल्क

प्राधिकारियों द्वारा अनुमत अवधि के भीतर निर्यात किया गया हो;

(झ) संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को की गई आपूर्ति; और

(ज) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के विपरीत प्रतियोगी बोली के आधार पर परमाणु विद्युत परियोजनाओं को माल की आपूर्ति। उन मामलों में जहाँ प्रतिस्पर्धी बोली (न कि आई सी बी) की प्रक्रिया अपनाई गई है, समय-समय यथा संशोधित, दिनांक 17.03.2012 की अधिसूचना सं० 12/2012 - सीमाशुल्क की सूची 33 की क्रम सं० 511 में यथा विनिर्दिष्ट किसी परमाणु विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 440 मेगावाट अथवा अधिक हो, और जिस परमाणु उर्जा विभाग में भारत सरकार में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, स्थापित करने के लिए अपेक्षित केवल उन मालों की आपूर्ति मान्य निर्यात लाभ के लिए हकदार होगी।

### **8.3** **मान्य निर्यातों के लिए** **लाभ**

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड (1) में दी गयी शर्तों के अनुसार मान्य निर्यात के रूप में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निम्नलिखित में से कोई/सभी लाभ दिए जाएंगे :-

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए

(ख) मान्य निर्यात शुल्क वापसी।

(ग) जहाँ आपूर्तियाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के मद्दे की गई हैं वहाँ अन्तिम उत्पाद शुल्क से छूट होगी। अन्य मामलों में अन्तिम उत्पाद शुल्क वापिस किया जाएगा। अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा दूसरे अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक विनिर्माता को की गई आपूर्तियों के लिए अन्तिम उत्पाद शुल्क से छूट दी जा सकती है, जहाँ ऐसा विनिर्माता, बदले में, अन्तिम निर्यातक को उत्पाद (उत्पादों) की आपूर्ति करता है।

### **8.4**

निम्नलिखित तालिका उपर्युक्त पैरा 8.2 में यथा उल्लिखित

### आपूर्तिकर्ता को लाभ

विभिन्न श्रेणियों की आपूर्तियाँ दर्शाती है। ऐसी आपूर्तियों के संबंध में आपूर्तिकर्ता नीति के पैराग्राफ 8.3 (क), (ख) और (ग), जो भी लागू हो, में सूचीबद्ध लाभों के लिए हकदार होगा।

8.2 का संगत उप पैरा	पैरा 8.3 में यथा प्रदत्त उपलब्ध लाभ, जो भी लागू हो		
	(क)	(ख)	(ग)
(क)	हाँ (अंतरवर्ती आपूर्तियों के लिए)	हाँ (एआरओ अथवा बैंक टू बैंक साख पत्र के मद्दे)	हाँ (एआरओ अथवा बैंक टू बैंक साख पत्र के मद्दे)
(ख)	हाँ	हाँ	हाँ
(ग)	हाँ	हाँ	हाँ
(घ)	हाँ	हाँ	हाँ
(च)	हाँ	हाँ	हाँ
(छ)	हाँ	हाँ	हाँ
(ज)	हाँ	हाँ	हाँ
(झ)	हाँ	हाँ	हाँ
(झ)	हाँ	हाँ	हाँ
(ञ)	हाँ	हाँ	नहीं
(ट)	हाँ	हाँ	हाँ

#### 8.4.1

इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ के विषय- वस्तु को उपर्युक्त पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

#### 8.4.2

इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ के विषय- वस्तु को उपर्युक्त पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

#### 8.4.3

इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ के विषय- वस्तु को उपर्युक्त पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

#### **8.4.4**

(i) इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ के विषय-वस्तु को उपर्युक्त पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

(ii) इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ के विषय-वस्तु को उपर्युक्त पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

(iii) इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ के विषय-वस्तु को उपर्युक्त पैराग्राफ 8.2(च) में दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

(iv) इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ के विषय-वस्तु को उपर्युक्त पैराग्राफ 8.2 और 8.4 में दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

(v) हटा दिया गया है ।

#### **8.4.5**

हटा दिया गया है ।

#### **8.4.6**

इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ के विषय - वस्तु को उपर्युक्त पैराग्राफ 8.4 में दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

#### **8.4.7**

इस पैराग्राफ को हटा दिया गया है क्योंकि इस पैराग्राफ के विषय -वस्तु को उपर्युक्त पैराग्राफ 8.2 और 8.4 में दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

#### **8.5**

##### **अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी/शुल्क वापसी के लिए पात्रता**

माल की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(ग) के अनुसार अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि माल के प्राप्तकर्ता ने ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट/छूट प्राप्त न की हो। इसी प्रकार आपूर्तियाँ निविष्टि/संघटकों पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3(ख) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि माल की आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदत्त इस प्रकार के शुल्क की सेनवेट क्रेडिट सुविधा/छूट प्राप्त न की गई हो । आवेदक को इस आशय की घोषणा माल के आपूर्तिकर्ता से आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट-III में प्रस्तुत करनी होगी । तथापि ऐसी आपूर्तियाँ निविष्टि/ संघटकों पर

अदा किए गए सीमाशुल्क पर मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी ।

#### **8.5.1**

मान्य निर्यात स्कीम के तहत ड्यूटी ड्रा बैक और अन्तिम उत्पाद शुल्क की वापसी में देरी होने पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा; यदि पूर्ण आवेदक की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मामले का निपटान नहीं किया गया हो (प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 के पैरा 9.10.1 में यथा निर्धारित) ।

#### **8.6.1**

**मुख्य/उप ठेकेदार  
द्वारा की जाने वाली  
आपूर्तियाँ**

मान्य निर्यात के सभी मामलों में, आपूर्तियाँ प्रत्यक्षतः नामित प्रोजेक्ट/एजेन्सियों/यूनिटों/अग्रिम प्राधिकार पत्र/ई पी सी जी प्राधिकार-पत्र धारक को की जाएंगी । तथापि, उप ठेकेदार नामित प्रोजेक्ट/ एजेन्सियों को सीधे आपूर्ति करने के बजाय मुख्य ठेकेदार को आपूर्ति करेगा । ऐसी आपूर्तियाँ प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 8.4 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्य निर्यात के लाभ पाने के पात्र होंगी ।

#### **8.6.2**

भारतीय या विदेशी मुख्य ठेकेदारों के भारतीय उप ठेकेदार द्वारा नामित प्रोजेक्ट/एजेन्सियों को सीधे की गयी आपूर्तियाँ भी मान्य निर्यात लाभ के लिए पात्र होगी बशर्ते कि मुख्य करार में मूल रूप में या बाद में उप ठेकेदार का नाम भी दर्शाया गया हो (लेकिन ऐसी वस्तुओं की आपूर्तियों की तारीख से पूर्व) तथा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट-22ग के अनुसार उपठेकेदार के नाम में परियोजना प्राधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

#### **8.7**

हटा दिया गया है ।

#### **8.8.1**

‘सीमेंट’ पर, केवल पैरा 8.2(घ) के अन्तर्गत आपूर्तियों के लिए मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध होंगे ।

### **विविध**

#### **8.8.2**

‘स्टील’ पर (क) पैरा 8.2(घ) के अन्तर्गत अथवा (ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के अन्तर्गत इनपुट के रूप में अथवा (ग) वस्तुओं के निर्माण के लिए ईओयू को एक इनपुट के रूप में आपूर्ति के लिए मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध होंगे;

### **8.8.3**

‘ईंधन’ पर (क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(च) दिनांक 17.03.2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 12/2012 - सीमा की क्रम सं0 356, 358 से 360 के अन्तर्गत पेट्रोलियम प्रचालनों की आपूर्तियों के लिए अथवा (ख) ई ओ यू के अथवा (ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक वार्षिक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक को की गई आपूर्तियों के लिए केवल मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध होंगे ।

## अध्याय - 9

### परिभाषाएं

- 9.1** विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:-
- 9.2** “उपांग” या “संलग्नी” का अर्थ है एक भाग, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है ।
- 9.3** “अधिनियम” का अर्थ है-विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, (1992 की संख्या 22) (एफ टी (डी एण्ड आर) एक्ट) ।
- 9.4** “वास्तविक उपयोक्ता” का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक हो सकता है ।
- 9.5** “वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी स्वयं की औद्योगिक यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा जाबिंग यूनिट सहित किसी अन्य यूनिट में अपने स्वयं के प्रयोग के लिए करता है ।
- 9.6** “वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्नलिखित में इस्तेमाल करता हो:-
- (क) कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो, या
  - (ख) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संस्थान, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अस्पताल, या
  - (ग) अन्य सेवा उद्योग ।
- 9.7** “ए ई जैड” का अर्थ है प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-8 में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र ।

- 9.8** “अपील” वह आवेदन है जो कि अधिनियम के भाग 15 के अंतर्गत जमा किया जाता है और जिसमें वह आवेदन शामिल हैं जोकि विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा सरकार के हित में नामित न्यायिक/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जमा किए जाते हैं ।
- 9.9** “आवेदक” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहाँ संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है ।
- 9.9.1** “प्राधिकार-पत्र” का अर्थ है विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार आयात अथवा निर्यात की अनुमति जैसा कि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, के भाग 2(छ) में बताया गया है।
- 9.10** “बी ओ ए” का अर्थ है अनुमोदन बोर्ड जैसा कि वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित है ।
- 9.11** “बीटीपी” से अभिप्राय उन बायोटेक्नालोजी पार्कों से है जिन्हें बायोटेक्नोलोजी विभाग की सिफारिश पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित किया गया है ।
- 9.12** “पूंजीगत माल” का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल है । पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, प्रारंभिक लाइनिंग हेतु रिफ्रेक्टरीज, प्रशीतन उपकरण, उर्जा अर्जित करने वाले सेट, मशीन टूल्स, इनीशियल चार्ज के लिए कैटालिस्ट और परीक्षण अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल हैं ।  
पूंजीगत माल के निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है ।
- 9.13** “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ है-वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस विदेश व्यापार नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य



अथवा कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो ।

**9.14**

“संघटक” का अर्थ है उप संयोजन या संयोजन का वह तत्व जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए । संघटक में दूसरे संघटक के उपषंगी या उपकरण भी शामिल हैं ।

**9.15**

“उपभोज्य” का अर्थ है कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिसकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो । विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान जिन मदों का अधिक मात्रा में या पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें माना जाएगा ।

**9.16**

“उपभोक्ता माल” का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए उपभोज्य माल और उसके अनुषंगी भी शामिल होंगे ।

**9.17**

“प्रतिसंतुलन व्यापार” (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत भारत से/को किया जाना वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौते या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता हो ।

प्रतिसंतुलन व्यापार (काउंटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमित एस्करो एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। निर्यातों और आयातों का संतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है ।

**9.18**

“विकासकर्ता” का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसा ही अन्य निजी या सरकारी उपक्रम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं को और बुनियादी सुविधाओं के एक भाग या सम्पूर्ण सुविधाओं का विकास, निर्माण करता है, डिजाइन तैयार करता है, स्थापना, संवर्धन करता है, वित्तीय सहायता, प्रचालन, रख-रखाव या प्रबन्ध करता है, इसमें सह-विकासकर्ता भी शामिल है।

- 9.19** “विकास आयुक्त” का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त ।
- 9.20** “डी एफ आर सी” का अर्थ है शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र (जैसा विदेश व्यापार नीति 2004-09 में दिया गया है)
- 9.21** “घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र” (डीटीए) का अर्थ है भारत के भीतर का क्षेत्र जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ईओयू/ईएचटीपी/एसटी पी/बीटीपी से बाहर है ।
- 9.22** “शुल्क वापसी” का अर्थ है भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में, किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती। माल में अयातित कलपुर्जे शामिल हैं यदि भारत में विनिर्मित पूंजीगत माल सहित आपूर्ति की गई है ।
- 9.23** “ई. एच.टी.पी.” का अर्थ है इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टैक्नॉलाजी पार्क।
- 9.24** “ई.ओ.यू.” का अर्थ है निर्यातोन्मुख एकक जिसके लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति-पत्र जारी किया गया हो ।
- 9.25** “उत्पाद शुल्क देय माल” का अर्थ है -कोई माल जिसका भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन हो ।
- 9.26** “निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, या निर्यात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
- 9.27** निर्यात दायित्व का अर्थ है:- प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा में शामिल निर्यात उत्पाद अथवा उत्पाद का क्षेत्रीय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में निर्यात करने का दायित्व।

**9.27.1**

“विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय है विदेश व्यापार नीति जो कि अधिनियम के भाग-5 के तहत निर्यात और आयात नीति को विनिर्दिष्ट करती है ।

**9.28**

“कम्पनी समूह” से अभिप्राय दो या अधिक इन्टरप्राइजेज जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ऐसी स्थिति में हों-

(क) अन्य इन्टरप्राइजेज में मताधिकार का 26 प्रतिशत या अधिक भागीदारी होगा; या

(ख) अन्य इन्टरप्राइजेज में निदेशक मण्डल के सदस्यों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो,

समूह कम्पनियों के लाभ का दावा करने या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा लाभ का दावा करने के लिए उनके निर्यात की गणना हेतु, समूह कम्पनी को विदेश व्यापार नीति की अधिसूचित निर्यात संवर्धन स्कीमों के अधीन आवेदन की तारीख को कम से कम 2 वर्ष पूर्व मौजूदा होना चाहिए ।

**9.29**

“प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)” का अर्थ प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) से है जिसमें प्रक्रिया (परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र शामिल हैं) निहित है और “प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड -2)” का अर्थ है प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) जिसमें सियॉन निहित है; दोनों विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित हैं।

**9.30**

“आयातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, या आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो ।

**9.31**

“बुनियादी सुविधाओं” का अर्थ है औद्योगिक, व्यावसायिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाएं या कोई अन्य सुविधा जो कि यथाअधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए हो ।

**9.32**

“आई टी सी (एच एस)” का अर्थ निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण से है ।

- 9.33** “जाबिंग” का अर्थ है-जाब वर्कर को आपूर्तित कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्रवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरूरी हो ।
- 9.34** “लाइसेंसिंग वर्ष” का अर्थ उस वर्ष से है जो वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो ।
- 9.35** “प्रबंधित होटल” से अभिप्राय तीन स्टार या ऊपर के होटल/होटल ऋंखला द्वारा होटल चलाना/होटल ऋंखला तथा होटल प्रबंधन चलाने के मध्य कम से कम तीन वर्ष के दौरान एक प्रबंधन चलाने के करार के अधीन प्रबंधन से है। प्रबंधन करार में प्रबंधित होटल चलाने के प्रबंधन/कार्यकलापों के क्षेत्र आवश्यक रूप को शामिल किया जायेगा।
- 9.36** “विनिर्माण” का अर्थ है-विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया गया, उत्पन्न किया गया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, पुनः पैकिंग, पॉलिशिंग, लेबलिंग, रि-कन्डीशनिंग, मरम्मत, रि-मेकिंग, रि-फर्बिशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन रि-इन्जीनिरिंग।
- विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए विनिर्माण में कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्पोदपादन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम-उत्पादन, अंगूरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं ।
- 9.37** “विनिर्माता निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है ।
- 9.38** “एम. ए. आई.” का अर्थ वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित बाज़ार पहुंच पहल स्कीम है ।
- 9.39** “व्यापारी निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो ।

- 9.40** “एन सी” का अर्थ शुल्क मुक्त स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र प्रदान करने की सिफारिश करने तथा डी जी एफ टी द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले मूल्य संवर्धित मानदण्ड व निविष्टि उत्पादन मानदण्ड की सिफारिश करने के लिए बनी विदेश व्यापार महानिदेशालय की मानदण्ड (नार्मस) समिति से है ।
- 9.41** “एन एफ ई” का अर्थ निवल विदेशी मुद्रा है ।
- 9.42** “अधिसूचना” का अर्थ उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।
- 9.43** “आदेश” का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश ।
- 9.44** “पुर्जे” का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के योग्य न हो । पुर्जा एक संघटक, स्पेयर अथवा उपसाधन हो सकता है ।
- 9.45** “व्यक्ति” का अर्थ है कोई व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, कम्पनी, निगम अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों सहित अन्य कोई वैध व्यक्ति ।
- 9.46** “नीति” का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 ।
- 9.47** “निर्धारित” का अर्थ है इस अधिनियम, अथवा विदेश व्यापार नीति अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम अथवा आदेश के तहत निर्धारित से है ।
- 9.48** “सार्वजनिक सूचना” का अर्थ विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सूचना से है ।
- 9.49** “कच्ची सामग्री” का अर्थ है: मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है, परन्तु वह अभी कच्ची, प्राकृतिक, अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित अवस्था में हैं किसी विनिर्माण के लिए, वह सामग्री या माल जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती है, चाहे वह सामग्री या माल

वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या संसाधित किया जाए या वह अब भी कच्ची या प्राकृतिक अवस्था में हो ।

**9.49.1**

“क्षेत्रीय प्राधिकारी” का अर्थ है अधिनियम/आदेश के तहत एक प्राधिकार पत्र प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी ।

**9.50**

“पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र” (आर.सी.एम.सी) का तात्पर्य विदेश व्यापार नीति या प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड/विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है ।

**9.51**

“नियमों” का अर्थ है अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम ।

**9.52**

“सेवाओं” में, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य करार के अन्तर्गत आने वाली सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है ।

**9.53**

“सेवा प्रदायक” का अर्थ है वह व्यक्ति जो:-

(i) भारत से किसी और देश के लिए “सेवा” प्रदान करता है,

(ii) भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई “सेवा” की आपूर्ति करता है, और

(iii) भारत से किसी अन्य देश की धरती पर व्यापारिक या वास्तविक उपस्थिति के माध्यम से “सेवा” की आपूर्ति करता है।

(iv) भारत में निर्यातों से सम्बन्धित “सेवा” की आपूर्ति जिसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में या भारतीय मुद्रा में किया गया हो और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया माना हो ।

**9.54**

“एस ई जेड” का तात्पर्य विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

- 9.55** “शिप” का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्र तट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है, इसमें पुराने पोत भी शामिल हैं ।
- 9.56** “एस आई ओ एन” का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) में अधिसूचित/ अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित, मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों से है ।
- 9.57** “स्पेयर्स” का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी पुर्जें या उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली या असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है। स्पेयर्स में संघटक या सहायक उपकरण शामिल हैं।
- 9.58** “विनिर्दिष्ट” का तात्पर्य अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है ।
- 9.59** “स्तर धारक” का आशय उस निर्यातक से है, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशक/विकास आयुक्त ने निर्यात सदन/ व्यापार सदन /स्टार व्यापार सदन/प्रीमियर व्यापार सदन के रूप में मान्यता दी है ।
- 9.59.1** “भंडार” से अभिप्राय जलयान या वायुयान के प्रयोग के लिए वस्तुएँ हैं और उनके ईंधन, स्पेयर्स और उपस्करों का अन्य सामान है, चाहे वह तुरन्त फिट होने वाला हो या न हो ।
- 9.60** “एस टी पी” का अर्थ साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क से है ।
- 9.61** “सहायक विनिर्माता” का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी उत्पाद या उसके हिस्सों/ उपांगों/संघटकों का विनिर्माण करता है । सहायक विनिर्माता के साथ-साथ निर्यातक का नाम भी निर्यात दस्तावेजों पर अवश्य पृष्ठांकित होना चाहिए।
- 9.62** “तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात” का आशय है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा दूसरे निर्यातक (निर्यातकों) की ओर से किया गया निर्यात। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे शिपिंग बिल आदि में विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नामों का उल्लेख करना होगा । बी आर सी, जी आर घोषणा, निर्यात

आदेश और बीजक, तीसरी पार्टी निर्यातक के नाम से होना चाहिए ।

**9.63**

“सौदा मूल्य” की परिभाषा राजस्व विभाग की सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली में यथा परिभाषित की गई है ।

**9.64**

“वन्य प्राणी” का अर्थ है कोई वन्य प्राणी जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड- 2(36) में यथा परिभाषित है ।